खण्ड-146, अंक-5
शुक्रवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(17 दिसम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 146 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता, में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद,विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेंद्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर, वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्र सिंह, बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री

भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुवदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री

रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
बिष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुवदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवपजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव,श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खाँ हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में कोसी के थानेदार के हाथों गनेशी कुम्हार की मृत्यु

**१—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या गृह मंत्री के पास ऐसी शिकायत आई है कि मथुरा जिले में गनेशी कुम्हार की मृत्यु कोसी के थानेदार द्वारा पीटे जाने से हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—जी हां।

**२—श्री रामहेत सिंह—क्या यह सही है कि उक्त केस की जांच को यहां से जो सी० आई० डी० भेजा गया उसकी सम्पूर्ण जांच की हुई फाइल को रेल से लखनऊ आते समय रास्ते में चुरा लिया गया ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे की इस केस में थाना इंचार्ज के अलावा और भी थाने के कर्मचारी इसमें शामिल थे ?

श्री हुकुम सिंह—इसमें ७ और पुलिस के आदमियों का चालान हुआ है।

श्री रामहेत सिंह—क्या यह सही है कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने से पहले मथुरा के एम० एल० एज० गृह मंत्री जी से मिले थे और उनसे स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता के बारे में कहा था ?

श्री हुकुम सिंह—मुझे इसका जाती इल्म नहीं है।

श्री रामहेत सिंह—क्या यह सही है कि इस केस में जब कि लाश थाने में थी, उस समय अगर गृह मंत्री डा० कैलाश नाथ काटजू न पहुंचते तो थाने में उस लाश को जलाने का इन्तजाम कर लिया था ?

श्री हुकुम सिंह—मुझे इसका पता नहीं। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि यह मामला अदालत में है, इसलिये इसके बारे में ज्यादा पूछना और मेरे लिये ज्यादा बताना ठीक नहीं होगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस फाइल की चोरी के संबंध में कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, इंक्वायरी हो रही है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फाइल जो चोरी गयी वहां रेल में किस स्थान से चोरी गयी ?

श्री हुकुम सिंह—यह तो चुराने वाला बता सकता है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गणेश कुम्हार की मृत्यु कब हुई ?

श्री हुकुम सिंह—उसकी तारीख तो ठीक नहीं बता सकता।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फाइल जो चोरी हुई है उसमें असल कागजात थे तथा उसमें श्री कैलाशनाथ काटजू की इंक्वायरी भी मौजूद थी और वे कागजात भी उस फाइल में शामिल थे ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी मुझे इत्तला नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गणेश कुम्हार किस कारण से पीटा गया था?

श्री हुकुम सिंह—मैंने यह कहा कि यह मामला सबजुडिस है, इसलिये इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह फाइल जो चोरी चली गई है उसके बारे में इंक्वायरी कब से हो रही है?

श्री हुकुम सिंह—चोरी के बाद से।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब फाइल वहां नहीं है तो मुकदमा कैसे चल रहा है?

श्री हुकुम सिंह—उसकी चार्जशीट गयी है, उसी के आधार पर मुकदमा चल रहा है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस थानेदार के खिलाफ मारे जाने का चार्ज है वह इस समय मुअत्तिल है या सर्विस में है?

श्री हुकुम सिंह—सब मुअत्तिल हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी दोबारा इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह—इन्क्वायरी हो रही है।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब रेल से फाइल चोरी हुई तो उस समय वह किसके चार्ज में थी?

श्री हुकुम सिंह—सी० आई० डी० आफिसर के चार्ज में थी।

कृषि उत्पादनों के दामों में गिरावट के कारण सिंचाई कर में कमी के लिये प्रार्थना

**३—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार को पता है कि इधर गत १ मास में कृषि उत्पादनों का दाम बहुत तेजी से गिरा है?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम मूर्ति)—मुख्य कृषि उत्पादन जैसे गेहूं, धान, गन्ना आदि के मूल्यों में गत १ मास में कोई विशेष कमी नहीं हुई है।

**४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसानों की गिरती आर्थिक स्थिति की दशा में वह सिंचाई रेट की बढ़ी दर को कम करने की योजना पर विचार कर रही है?

श्री राम मूर्ति—सिंचाई दरें किसान की आर्थिक दशा को दृष्टयन्तर्गत रखते हुये लगाई जाती हैं तथा इसकी आय उनकी आर्थिक दशा के सुधार में ही व्यय होती है। सिंचाई दरें अन्न की कीमत को भी सामने रखकर लगायी गयी है। अतः इस प्रश्न पर सरकार सावधानी के साथ दृष्टि रखे हुये हैं।

**५—श्री झारखंडेराय—अगर हां, तो कब तक उसके लागू होने की आशा है?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय सिंचाई दर बढ़ाई गयी, उस समय से अब तक कृषि उत्पादन के दामों पर गिरावट हुई है या नहीं ? अगर हुई है तो किस रेट से ?

श्री राममूर्ति—बाजार के भाव से मालूम होता है कि टेंडेंसी गिरने की तरफ है। अभी भाव फ्लक्चुएट कर रहे हैं इसलिये ठीक नहीं कह सकता कि कितने भाव गिरे है, कितने नहीं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि प्राइस इनडिसेज जो फूड आर्टिकिल्स के हैं वे सप्ताह-सप्ताह सरकार के पास आया करें ?

श्री राममूर्ति—सप्ताह के सप्ताह सब चीजें हमारे घरों में भी आ रही है, हम भी गेहूं, चावल और सब चीजें मंगा ही रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि माननीय राममूर्ति जी के घर में चीजें जो कुछ भी आती हों, लेकिन सरकार के पास इस बात के लिये कोई प्रमाण है या नहीं कि फूड आर्टिकिल्स की कितनी प्राइसेज हैं ? सरकार के पास इनडिसेज के आने की कोई व्यवस्था है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—स्टेटिक्स डिपार्टमेंट में जरूर आते रहे होंगे।

श्री गेंदासिंह—प्राइस इनडिसेज की शक्ल से जिस वक्त सिंचाई की दर बढ़ाई गयी थी उस वक्त से इस वक्त के फूड आर्टिकिल्स के प्राइस इनडिसेज में कोई अन्तर है ?

श्री राममूर्ति—उन चीजों में जरूर अन्तर हुआ है जिनको पानी की जरूरत नहीं होती।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई दर को कम करने के लिये सरकार के पास मांगें गयी हैं ? यदि हां, तो कहां कहां से ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई दर को कम करने के बारे में इस आदरणीय सदन के सदस्य अक्सर जिक्र करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से वक्तन-फवक्तन उसके बारे में बतलाया गया है, यह आज कोई नयी बात नहीं है। जब कीमतों में कोई खास फर्क हो जायगा तब सरकार जरूर कोई मुनासिब कार्यवाही करेगी।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने ऐसा कोई उपाय सोच निकाला है जिससे कृषि उत्पादन के दाम अधिक न गिरें ?

श्री रामसूर्ति—कृषि उत्पादन के भाव का जहां तक संबंध है,जो दुनिया के बाजार हैं उनके लिहाज से अपने मुल्क पर भी उसका असर पड़ता है। सरकार इस बात की कोशिश में रहती है और आदरणीय सदन के सदस्य जानते हैं कि पिछली मर्तबा जब गेहूं के दाम ज्यादा गिरने लगे तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से यह एलान हुआ कि १० रु० मन के भाव से गेहूं खरीदेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे ही रोज गेहूं का भाव १२, १३ रु० मन बढ़ गया। तो जब कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो सरकार ऐसे डाइरेक्टिव निकालती है और कोशिश करती है कि भाव इतने ज्यादा न गिरें कि जिससे हमारा स्ट्रक्चर ही बिलकुल बिगड़ जाय।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या यह सही है कि सिंचाई दर इतनी बढ़ी हुई है कि उसके अनुसार कर देने में किसान असमर्थ हैं ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज कर दूं कि हम लोगों को भी अपने दौरों में लोगों से मिलने का इत्तफाक होता है और हमारी हजारों आदमियों से मुलाकात होती है, जो अपना अनुभव है वह यही है कि काश्तकार पानी बढाने पर तो बराबर

[श्री राममूर्ति]

जोर देते हैं लेकिन दरों के बारे में जितनी चर्चा यहां होती है उतनी वहां नहीं होती। इसके साथ ही मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस समय हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही है और हमें पैसे की जरूरत है और अधिकतर हमारा रुपया नहरों और ट्यूबवेल्स ही में लग भी रहा है। तो इस समय मैं कहूंगा कि हमारी सहायता की जरूरत है ताकि हमारा काम आगे बढ़े।

श्री रामहेत सिंह—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जहां सिंचाई की दरें भी बढ़ी हुई हैं और पानी भी पूरा नहीं पहुंच रहा है उस क्षेत्र के किसानों के बारे में सरकार क्या सोच रही है?

श्री राममूर्ति—उस एरिया में पानी बढ़ाने की बात सरकार सोच रही है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि आबपाशी की बढ़ी हुई दरों के कारण क्या किसानों ने नहर और ट्यूबवेल्स का पानी लेना बन्द कर दिया है?

श्री राममूर्ति—पानी लेना बन्द नहीं किया है बल्कि दिन पर दिन मांग पानी की बढ़ रही है कि पानी ज्यादा दिया जाय।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उन्होंने जो अपने टूर के अनुभव की बात कही है वह गल्ला सस्ता होने के बाद की बात है या पहले की?

श्री राममूर्ति—यह दोनों समय की है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का सरकार का विचार है जिस कमेटी के अनुसार सिंचाई दर बढ़ाई गई है?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार को विदित है कि गल्ले के आजकल के मौजूदा दाम भी मध्यम वर्ग के लोगों के लिये काफी ज्यादा हैं?

श्री राममूर्ति—हो सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह गल्ले की और दूसरी इंडस्ट्रियल सामान की जो कीमतें कम हो रही हैं, उस पर सरकार ने कोई विचार किया है और अगर नहीं तो क्या इस सारे प्रश्न पर सरकार कोई वक्तव्य देगी?

श्री राममूर्ति—कीमतों के गिरने की कुछ टेंडेंसी है और जब वह एस्टेब्लिश हो जायेंगी और उनमें काफी फर्क हो जायगा तो सरकार अवश्य ही कोई कार्यवाही करेगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से जहां से फाइन क्वालिटी का लाखों मन चावल बाहर जाता है वहां जो चावल १ रुपये का डेढ़ सेर बिकता था वह अब ३ सेर का हो गया है?

श्री राममूर्ति—इसकी सूचना हमारे पास कुछ नहीं है।

तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में ढेबरुआ तथा खलीलाबाद थानों की पुलिस की कथित ज्यादती

*१—श्री झारखंडे राय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला के ढेबरुआ थाने की पुलिस के खिलाफ जो शिकायती आवेदन-पत्र उनके पास

२३ जनवरी, सन् १९५४ को प्रषित किया गया था उस पर क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम हुआ ?

*२--क्या सरकार के पास खलीलाबाद पुलिस थाना तथा पुलिस चौकी मगहर (जिला बस्ती) के खिलाफ कोई शिकायत आई है ? अगर हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां, इस प्रकार की शिकायतें आई थीं। जिला अधिकारियों द्वारा जांच करने पर वे निराधार पाई गईं।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह शिकायतें क्या थीं ?

श्री हुकुम सिंह--शिकायत संक्षेप में यह थीं कि ढेबरुआ में एक कांस्टेबिल ने २ आदमी वहोद और नीबर को मारा और कहा गया था कि पुलिस वहां बड़ी ज्यादती करती है और खलीलाबाद के बारे में भी शिकायत की गई थी कि वहां की पुलिस ज्यादती करती है, धमकाती है और मारपीट करती है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जांच किनके जरिये करवाई गई थी ?

श्री हुकुम सिंह--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट पुलिस।

नरैनी, जिला बांदा के श्री बद्रीप्रसाद करवरिया का पुलिस के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

*३--श्री जोरावर वर्मा--क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग ७-८ फरवरी, को नरैनी, जिला बांदा के अन्याय निवारण समिति के प्रधान श्री बद्री प्रसाद करवरिया ने उनके पास प्रार्थना-पत्र भेजा है कि नरैनी की पुलिस द्वारा लोगों पर अमानुषीय अत्याचार हो रहे हैं ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुम सिंह--ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इस सम्बन्ध में जिला बांदा के इस विधान सभा के सदस्य माननीय गृह मंत्री से मिले थे ?

श्री हुकुम सिंह--मिलने की बात मुझे नहीं मालूम।

श्री जोरवार वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इसको मालूम करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--गृह मंत्री जी आवेंगे तो पूछूंगा।

बांदा जिले में थानेदारों के स्थानान्तरण में विलम्ब

*४--श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि बांदा के लगभग सभी थानेदार ४-५ वर्ष से वहीं नियुक्त हैं और उनका ट्रांसफर दूसरे जिलों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--बांदा जिला ने कुल ३७ थानेदारों में से १२ थानेदार ऐसे हैं जो कि वहां के ४, ५ वर्ष से नियुक्त हैं, उनका स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से नहीं किया गया।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन थानेदारों का ट्रांसफर किन कारणों से नहीं हुआ ?

श्री हुकुम सिंह--वह तो जवाब में है कि प्रशासकीय कारणों से।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की कोई ऐसी नीति है कि कोई थानेदार या दूसरे कर्मचारी चार या पांच वर्ष बाद अवश्य बदल दिये जायं ?

श्री हुकुम सिंह---कोई ऐसी नीति नहीं है, लेकिन आदमी जब अच्छा काम करता है तो रहता है ।

'१ मई' दिवस, को मजदूरों के लिये सवेतन छुट्टी की मांग

*५---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वहां १ मई दिवस को जो अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन का एक पवित्र दिवस है, प्रदेश भर के मजदूरों के लिये सवेतन छुट्टी का दिन एलान करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह--- जी नहीं ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय श्रम-मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किन कारणों स इस छुट्टी को न देने का विचार सरकार रखती है ?

श्री हुकुम सिंह---इसमें नेशनल लास होगा ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह पहली मई का दिन किन कारणों से पवित्र दिन समझा जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह---झारखंडे राय जी खूब बता सकते हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--- क्या नेशनल लास को सामने रखते हुये सरकार मजदूरों को जो और छुट्टियां मिलती हैं उनको भी कटवाने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह---जितनी कट चुकी हैं उतनी काफी हैं, आगे न कटेंगी ।

*६---श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---[२४ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--- [१४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट बोर्ड प्रयाग के अधीनस्थ गोपनीय विभाग खोलने का विचार

*८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट बोर्ड, प्रयाग के अधीनस्थ कोई गोपनीय विभाग खोल रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---जी हां ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नये विभाग को खोलने की क्या आवश्यकता है जब शिक्षा विभाग पहले से ही है ?

डाक्टर सीताराम---इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि सन् १९४८ में विद्यार्थियों की संख्या एक्जामिनीज की ५८ हजार के करीब थी, लेकिन अब ५५ में ३ लाख १० हजार के करीब हो गई है । उसी बोर्ड आफ हाई स्कूल और इंटरमीडियेट एजूकेशन के आफिस में इसका आफिस भी है और बोर्ड की परीक्षा वहीं से होती है । बोर्ड के

आफिस से परीक्षा लेने में वहां से बहुत सी बातों का लीकेज हो जाया करता था। साथ ही साथ टैबुलेशन, और स्क्रूटिनी का काम इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट का खर्च भी अधिक होता है। इसलिये इन सब बातों को देखते हुये सरकार ने यह विचार किया कि जब हम इस गोपनीय विभाग को खोल देते हैं तो सरकार को १ लाख ६४ हजार रुपये की बचत होती है और साथ ही साथ लीकेज जो आफिस के द्वारा हो जाते हैं वह भी नहीं हो पायेंगे। इन सब बातों को देखते हुये यह गोपनीय विभाग सरकार ने खोलने का विचार कर लिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग पर वार्षिक व्यय कितना है ?

डाक्टर सीताराम---एक लाख ४५ हजार।

श्री गेंदा सिंह---क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह विभाग गृह विभाग के अधीन रहेगा या शिक्षा विभाग के अधीन ?

डाक्टर सीताराम--शिक्षा विभाग के।

श्री वीरेंद्र नाथ मिश्र (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गोपनीय विभाग शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कौन सा कार्य करेगा ?

डाक्टर सीताराम---मैं अपने पहले सप्लीमेंटरी प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि यह टेबुलेशन, कल्कुलेशन और स्क्रूटनी का काम करेगा।

श्री बलवन्त सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग का नाम गोपनीय विभाग क्यों रखा गया ?

डाक्टर सीताराम---ताकि यह शिक्षा सम्बन्धी सभी बातें गुप्त रख सकें।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस गोपनीय विभाग का प्रमुख संचालक कौन होगा ?

डाक्टर सीताराम---एक असिस्टेंट सेक्रेटरी होगा जो गजेटेड रैंक का होगा। वही उसका इंचार्ज होगा।

श्री शिवनाथ काटजू---क्या सरकार इसका स्पष्टीकरण कर देगी कि यह गोपनीय विभाग कोई सी० आई० डी० का मुहकमा नहीं है, जैसा कि सदस्यों को भ्रम है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

बुलन्दशहर जिले के बड़पुरा गांव में लूट-मार

*९--श्री धर्म सिंह---क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि बुलन्दशहर जिले में गांव बड़पुरा में तिथि ७-९-५४ को हरिजनों के घरों को लूटा गया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह---किन्हीं कारणों से गांव के जाटों और चमारों में झगड़ा हो गया। इसके फलस्वरूप जाटों ने चमारों के घरों पर धावा बोलकर लूटमार की। बाद में दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया, इसके कारण अब कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

*१०---श्री धर्म सिंह---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितना धन लूट में गया ?

श्री हुकुम सिंह---मय जानवरों के २०,००० रु० का नुक्सान बताया जाता है ।

श्री धर्म सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस लूटमार में कितने घर लूटे गये ?

श्री हुकुम सिंह---माननीय सदस्य खुद सुलह कराने में थे। वह मुझ से ज्यादा जानते हैं ।

श्री धर्म सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक हफ्ते तक न तो कलेक्टर और न एस० पी० उस मौके पर पहुंचे कि जहां पर यह ४०, ५० घरों में लूट-मार हुई थी ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये मेरे पास कोई सूचना इस वक्त नहीं है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी इस समझौते की खास-खास बातें बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह---जो समझौता धर्म सिंह जी ने कराया था उसमें यह था कि ६,००० रुपया जाट लोग चमारों को नकद दें, सौ मन गल्ला दें और मवेशी जो खो गये थे वह लौटा दें ।

श्री रामदास आर्य---क्या यह सही है कि इस घटना में स्त्रियों की बेइज्जती हुई ?

श्री हुकुम सिंह---मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूं ।

श्री धर्म सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो समझौते की शर्तें थीं वह सब पूरी हो गईं या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह---६,००० रुपया नकद दिया गया, सौ मन गल्ला दिया गया, कुछ मवेशी दिये गये और कुछ शायद मिले नहीं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी मिनिस्टर साहब भी इस समझौते के कराने में गये थे और उनके सामने जो समझौता हुआ उसमें कितने बदमाश पहले गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री हुकुम सिंह---मुझे यह पता नहीं कि डिप्टी कमिश्नर साहब वहां गये थे। समझौते के वक्त मुजफ्फरहसन साहब गये थे माननीय धर्म सिंह के साथ ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सी खास बात थी जिसके कारण यह सब झगड़ा हुआ ?

श्री हुकुम सिंह---वह मैं कहना नहीं चाहता, बहुत अश्लील है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या डिप्टी मिनिस्टर साहब, माननीय मुजफ्फर हसन साहब, ने कोई रिपोर्ट सरकार को इस सम्बन्ध में दी है ?

श्री हुकुम सिंह---यह रिपोर्ट आयी थी कि इन इन शरायतों पर समझौता हो गया ।

आजमगढ़ जिले में शस्त्र तथा बारूद-कारतूस के लाइसेन्सदार

*११---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में शस्त्र तथा शस्त्र सामग्री (बारूद-कारतूस इत्यादि) बेंचने का लाइसेंस किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है ?

श्री हुकुम सिंह-- सूची संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६७ पर ।)

*१२—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त किस्म के दुकानदारों में से कितने पर ब्लैक मार्केटिंग के मुकदमे चल चुके हैं ?

श्री हुकुम सिंह-- किसी पर भी नहीं ।

*१३—श्री उमाशंकर-- क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि शस्त्र बेंचने का लाइसेंस देने के लिये कौन कौन सी शर्तें हैं ?

श्री हुकुम सिंह--शस्त्र बेंचने का लाइसेंस पाने के लिये निम्नलिखित शर्तें हैं :

(१) विक्रेता ईमानदार तथा विश्वसनीय व्यक्ति है,

(२) शस्त्र तथा शस्त्र सामग्री सुरक्षित रखने का प्रबन्ध संतोषजनक है, तथा

(३) बारूद इत्यादि रखने का स्थान चोरी आदि की सम्भावना से उचित रूप में सुरक्षित है ।

श्री उमाशंकर-- क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि श्री ओम् प्रकाश गुप्त, पुत्र धर्म दत्त गुप्त नाबालिग हैं और उन पर नमक के ब्लैक मार्केटिंग का मुकदमा चला था ?

श्री हुकुम सिंह-- जी हां, ओम् प्रकाश के बाप पर चला था। इन पर नहीं चला और वह सेशन से छूट गये।

श्री उमाशंकर-- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में दो सवाल किये थे। एक तो ओम्प्रकाश गुप्त नाबालिग हैं और दूसरे यह कि धर्मदत्त गुप्त पर ब्लैक मार्केटिंग का मुकदमा चला ।

श्री हुकुम सिंह--उनकी जन्म-पत्री मेरे पास है नहीं, न कोई इत्तिला है कि वह नाबालिग हैं।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार हथियारों की दूकान का लाइसेंस नाबालिगों को भी दिया करती है ?

श्री हुकुम सिंह--जहां तक ख्याल है किसी नाबालिग को दिया नहीं गया।

श्री गेंदा सिंह-- क्या माननीय मंत्री जी ओम् प्रकाश जी की जन्म-पत्री मंगा करके यह देखने की कोशिश करेंगे कि वह नाबालिग हैं या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह--बहुतों के यहां जन्म-पत्री बनती नहीं है ।

*१४--श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)--[७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के महल से कोतवाली हटाने का विचार

*१५--श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में महरानी लक्ष्मीबाई के महल से कोतवाली हटाने के लिये उसकी नई इमारत बनाने के वास्ते उसने कौन सा स्थान निश्चित किया है ?

श्री हुकुम सिंह--झांसी कोतवाली की नई इमारत के लिए मोतीलाल लायब्रेरी के निकट जगह तजवीज की गई है। परन्तु अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह—जल्दी हो जायगा ।

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के सदस्य तथा अधिकार

*१६—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं, और उक्त कमेटी को क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना संलग्न सरकारी आदेश के प्रस्तर २ और ३ में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६८–३७२ पर ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या इस यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी का कोई सम्बन्ध केन्द्र के यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से भी है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी सेंट्रल एजुकेशनल ऐडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार इस ग्रान्ट्स कमेटी को स्टेच्यूटरी अथारिटी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—अभी सेंटर में डा० एस० एस० भटनागर की अध्यक्षता में एक कमेटी सन् ५३ में फार्म की गई । वह पार्लियामेंट के सामने बिल लाने वाले हैं । बिल पास कर देने के बाद ऐक्ट बन जायगा और उनकी रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को आयेगी तब स्टेट गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी । अभी यू० पी० गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी सिफारिश नहीं आयी हुई है ।

*१७—श्री नारायण दत्त तिवारी—[१४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१८–२०—श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—[७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में हत्या करने वालों को दंड

*२१—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बस्ती में पिछले दो वर्षों के भीतर कितनी हत्यायें हुईं और उनमें चालान किये हुये कितने अभियुक्तों को सजा हुई ?

गृहमंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अनुपस्थित)—सन् १९५२ में १८ हत्यायें हुईं जिनमें ९० चालान किये गये व्यक्तियों में से अभी तक ११ को सजा मिल चुकी है ।

सन् १९५३ में २७ हत्यायें हुईं जिनमें ८२ चालान किये गये व्यक्तियों में से अभी तक १३ को सजा मिल चुकी है ।

फैजाबाद जिले के बलखारी तथा जलालपुर थानों के अन्तर्गत डकैतियां

*२२—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि फ़ैजाबाद जिले के बलखारी तथा जलालपुर थानों के क्षेत्रों में पहली मार्च, १९५४ तथा १५ सितम्बर, १९५४ के बीच कितनी डकैतियां हुईं ?

श्री हुकुम सिंह—पुलिस सर्किल बलखारी में कोई डकैती नहीं हुई। पुलिस सर्किल जलालपुर में तीन डकैतियां हुईं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह तीन डकैतियां जिनके घरों पर हुईं उनके नाम और पते क्या हैं?

श्री हुकुम सिंह—नाम तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आज जो वह गृह मंत्री जी का उत्तर दे रहे हैं, तो क्या गृह विभाग की जगह पर आज वह उधार आये हुये हैं या यही स्थान उनके लिए आगे भी रहेगा?

श्री हुकुम सिंह—यह आज ही के लिये है।

*२३—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर) [२३ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४—श्री नारायण दत्त तिवारी—[१४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

हनुमान गढ़ी, अयोध्या के डाकू-साधुओं को दंड

*२५—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हनुमानगढ़ी, अयोध्या के कितने साधुओं को डाका आदि अपराधों में गत २ वर्षों में सजा हो चुकी है और कितनों पर मुकदमा चल रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५ को सजा हो चुकी है और २ पर मुकदमा चल रहा है।

*२६—श्री मदन गोपाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार हनुमानगढ़ी, (अयोध्या) के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हनुमानगढ़ी, (अयोध्या) के कुप्रबन्ध की सूचना विशेष कार्याधिकारी (धर्मादा) के पास से आई थी और सरकार यह विचार कर रही है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

तुलसीचौरा, अयोध्या को संरक्षित स्मारक बनाने का विचार

*२७—श्री मदन गोपाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार तुलसी चौरा (अयोध्या) के अक्वायर करने या उसे प्रोटेक्टेड मानूमेन्ट घोषित करने जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न विचाराधीन है।

कानपुर की होजरी फैक्ट्रियों पर मजदूरों के ऐवार्ड का बकाया

*२८—श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में सन् १९५० ई० में कितनी होजरी (मोजा, बनियाइन आदि) फैक्टरी थीं और इन फैक्टरियों में अलग-अलग कितने-कितने मजदूर काम करत थे?

श्री हुकुम सिंह—सन् १९५० ई० में कानपुर में ३ होजरी फैक्टरियां थीं। उनमें काम करने वाले श्रमिकों के १९५० के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(१)	मिश्रा होजरी मिल्स ..	.. लगभग	१५०
(२)	पक्का होजरी मिल्स ..	.. ,,	४८
(३)	जे० के० होजरी फैक्टरी ..	.. ,,	१५०

*२९—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में जून १९५४ से कितनी होजरी फैक्टरी हैं और उनमें अलग-अलग कितने मजदूर काम कर रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह—जून सन् १९५४ ई० में कानपुर में ४ होजरी फैक्टरियां थीं। उनमें काम करने वाले श्रमिकों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(१)	मिश्रा होजरी	.. ..	९०
(२)	पक्का होजरी .	.. ..	७१
(३)	सुप्रीम नेक वियर	.. ..	२०
(४)	यू० पी० निटिंग एन्ड वीविंग मिल्स	..	२१

*३०—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५० से जून १९५४ तक कानपुर की किस किस होजरी फैक्टरी पर मजदूरों का ऐवार्ड का कितना कितना रुपया बाकी है?

श्री हुकुम सिंह—मिश्रा होजरी फैक्टरी, कानपुर में एक एवार्ड के अन्तर्गत १०,६०० रुपया बाकी है।

जे० के० होजरी फैक्टरी को ५ एवार्डों के अन्तर्गत मजदूरों को रुपया देना है इनमें से २ एवार्डों में कुल १०,५९८ रु० ८ आ० निर्धारित किया गया है जिसमें से ५,५९८ रु० ८ आ० मजदूरों को मिलना बाकी है। शेष ३ एवार्डों में मजदूरों को मिलने वाली रकम, विवादों में अपील हो जाने के कारण, निर्धारित नहीं की गई है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मजदूरों की संख्या बराबर किन कारणों से घटती जा रही है?

श्री हुकुम सिंह—काम में कमी बेशी की वजह हो सकती है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मिश्रा होजरी फैक्टरी पर जो १०,६०० रुपया बाकी है, उसको दिलाने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री हुकुम सिंह—शायद नियम यह है कि पाने वाला अगर सरकार को दरख्वास्त दे तो सरकार बतौर मालगुजारी के उसे वसूल कराने की आज्ञा देती है। अभी कोई दरख्वास्त नहीं आयी।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां के मजदूरों ने कई बार इस तरीके की दरख्वास्तें दी हैं, यह सच है?

श्री हुकुम सिंह—ऐसी बात तो ठीक नहीं मालूम होती।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जे० के० होजरी फैक्टरी पर जो ५,५९८ रुपया पिछले दो ऐवार्डों का बाकी है, उसको मजदूरों को दिलाने की क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हुकुम सिंह—वही दरख्वास्त आने पर कार्यवाही की जायगी।

मान्यता प्राप्त भूमिहीन प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को भूमि दिलाने की सिफारिश

*३१—श्री गोवर्द्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रही है कि जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट जूनियर हाई

स्कूलों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है उन्हें स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार स्कूल से लगी भूमि एक्वायर कर के दी जा सके ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी हां ।

थाना पवई, जिला आजमगढ़ के थानेदार का गोयरी चांदपुर, जिला फैजाबाद में घरों की तलाशी लेना

*३२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या गृह मंत्री या इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस के पास इस बात की कोई शिकायत आई है कि थाना पवई, जिला आजमगढ़ के थानेदार ने ८ या ९ अगस्त को थाना जलालपुर, जिला फैजाबाद के गांव गोयरी चांदपुर में बड़ी सख्ती से कुछ घरों की तलाशी ली ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस के पास एक ऐसी शिकायत आई थी ।

थाना पवई के थानेदार चोरी के एक मामले में कुछ व्यक्तियों के घरों की तलाशी लेने गये । कथित अपराधियों की नियमानुसार तलाशी ली गई । सख्ती का सवाल नहीं उठता ।

*३३—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उक्त शिकायत पर कोई जांच की गई ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, परन्तु आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

नार्मल ट्रेनिंग के लिये बहराइच जिले के उम्मीदवारों के चुनाव में गड़बड़ी

*३४—श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बहराइच जिले के नार्मल ट्रेनिंग के लिये उम्मीदवारों के चुनाव की गड़बड़ी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला बोर्ड, बहराइच ने शिक्षा संचालक को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, अध्यक्ष ने अपने पत्र में शिकायत की थी कि नार्मल ट्रेनिंग के लिये कुछ ऐसे प्रार्थी चुने गये हैं जिनके नाम चुनाव कमेटी ने अपनी सूची में नहीं रक्खे थे और कहा है कि इस मामले में कुछ लोगों का हाथ है । इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है और इस पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री सियाराम चौधरी—क्या माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि शिक्षा संचालक महोदय चन्द दिन पहले हमारे जिले को गये थे ?

डाक्टर सीताराम—गये होंगे ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो नामजदगियां सरकार की तरफ से होती हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सुझाव आने के बाद, यह प्रथा कब से शुरू हुई है ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९५२ की जुलाई से ।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस सिस्टम के चालू होने के बाद काफी गड़बड़ी की गुंजायश पैदा हो गयी है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी बात नहीं है ।

श्री सियाराम चौधरी—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला अध्यक्ष बोर्ड की शिकायत करने के बाद भी वह व्यक्ति जो अनियमित रूप से नार्मल में शामिल हो गये थे, वह अब भी नार्मल ट्रेनिंग सीख रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—यह तो गलती उन शिक्षार्थियों की नहीं है जो वहां पर ट्रेनिंग पा रहे हैं, बल्कि उन आफिसर्स की है जिन्होंने नियुक्ति की है। अतः मैं प्रश्नोत्तर में बतला चुका हूं कि इन्क्वायरी की जा रही है। रिपोर्ट आ जाने पर बताया जा सकेगा कि सरकार क्या कार्यवाही करे।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इंक्वायरी कब तक समाप्त हो जायगी ?

डाक्टर सीताराम—शीघ्रातिशीघ्र।

*३५-३६—श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)—[१४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

शिवरतनगंज, जिला रायबरेली के थानेदार के हाथों बद्री हरिजन की मृत्यु

*३७—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या यह सही है कि सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत की गई है कि गत ११ अगस्त, १९५४ को थानेदार शिवरतनगंज, जिला रायबरेली के एक बद्री नामक हरिजन को थाने पर इतना मारा कि उसी दिन उसकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, यह घटना ८-९ अगस्त की रात को हुई थी। संबंधित पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा २१८/३२३/३३०/३०४ के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अभी मामले की जांच हो रही है।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बद्री पासी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई ?

श्री हुकुम सिंह—अभी इस मामले में इंक्वायरी हो रही है। इसके बारे में कोई रायजनी मालूम नहीं होता है।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इंक्वायरी कब तक खत्म होगी ?

श्री हुकुम सिंह—तारीख निश्चित करना तो असंभव सा है लेकिन जल्दी खत्म होगी।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त थाने के कौन-कौन से कर्मचारी मुअत्तल किये गये हैं और कितने ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी फेहरिस्त तो मेरे पास इस वक्त है नहीं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बद्री हरिजन को किन कारणों से पीटा गया ?

श्री हुकुम सिंह—कारण भी मैं नहीं बतला सकता।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या यह सत्य है कि इस व्यक्ति के मरने के बाद पुलिस वालों ने एक जाली नकब काटकर उस जगह पर उसकी लाश को बरामद किया है ?

श्री हुकुम सिंह---इसकी सूचना मेरे पास इस मिसिल में नहीं है।

श्री रामप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोई मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री हुकुम सिंह---सर्किल इन्सपेक्टर कर रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी मृत्यु के सिलसिले में मंत्री जी किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे ?

श्री हुकुम सिंह---जी हां, दे सकेंगे, जब फैसला हो जायगा।

*३८---श्री राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर)---[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८-४०---श्री राम कृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिये संस्कृत अध्यापकों की योग्यता

*४१---श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिये संस्कृत अध्यापकों की योग्यता क्या रखी गई है ?

डाक्टर सीताराम---ट्रेंड ग्रेजुएट के १२०-३०० रु० के वेतन क्रम के लिये :

संस्कृत विषय के साथ बी० ए० तथा एल० टी० या बी० टी०

अथवा

राजकीय संस्कृत कालेज बनारस का अंग्रेजी विषय के साथ शास्त्री तथा एल० टी० या बी० टी०

अथवा

राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस का अंग्रेजी विषय के साथ आचार्य या शास्त्री तथा रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग।

ट्रेंड अन्डर ग्रेजुएट के ७५-२०० रु० के वेतन क्रम के लिये

संस्कृत विषय के साथ हाई स्कूल तथा जे० टी० सी० और मध्यमा।

*४२---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या यह सही है कि सन् १९४६ से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*४३---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या यह सही है कि संस्कृत अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये हैं ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या यह सही है कि बहुत से संस्कृत के अध्यापक राजकीय पाठशालाओं में बिना अंग्रेजी और ट्रेनिंग की योग्यता हुये ४६ के पूर्व से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है, मंगाकर बतला सकता हूं।

श्री बसंतलाल शर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्थायी नियुक्ति का क्या आधार है ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये फरवरी १९५४ में एक नियम बना दिया गया है उसके मुताबिक उनको स्थायी करने के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये हैं और उनपर शीघ्र विचार किया जायगा ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो आवेदन-पत्र मांगे गये हैं उनमें क्या योग्यता रखी गयी है ?

डाक्टर सीताराम—यह तो प्रश्नोत्तर में बतला दिया गया है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४६ से पूर्व से जो अनट्रेन्ड अध्यापक का कार्य कर रहे हैं क्या उनको भी स्थायी कर दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—इस पर विचार किया जायगा । अगर उनमें योग्यता होगी तो जरूर स्थायी कर दिया जायगा ।

झांसी जिले में पहाड़ काटते समय मजदूरों की मृत्यु

*४४—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि गत मास में झांसी शहर तथा उसके समीप पहाड़ों के पत्थर तोड़ते समय कुछ मजदूर मरे तथा जख्मी हुये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी है कि यह घटना कैसे हुई ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, जिलाधीश, झांसी ने सूचित किया है कि यह घटना २६ अगस्त, १९५४ ई० को उस समय हुई जब कि तीन मजदूर पत्थर उड़ाने (ब्लास्ट करने) के लिये एक छेद बना रहे थे और दो अन्य मजदूर समीप ही दूसरे काम में लगे हुये थे । उनके ऊपर की चट्टाने मजबूती से जुड़ी नहीं हुई थीं । वे मिट्टी से कुछ यों ही कुछ मामूली तौर से सधी हुयी थी । एकाएक यह चट्टानें गिर पड़ीं जिससे मजदूर लगभग तीस फिट नीचे जा गिरे और उनके ऊपर चट्टानें और मिट्टी गिरी । इससे दो मजदूर घटनास्थल पर ही मर गये और एक अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मर गया । चौथा मजदूर अस्पताल में जाकर उसी दिन मर गया । पांचवें मजदूर के गहरी चोटें आईं परन्तु डाक्टरों का यह कहना है कि अब खतरे से बाहर है और धीरे-धीरे ठीक हो रहा है ।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त मजदूरों के आश्रितं को कोई हर्जाना दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह—तीन मजदूरों के आश्रितों को ढाई-ढाई सौ रुपए दिये गये ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह हर्जाना किसने दिया ?

श्री हुकुम सिंह—जो क्वेरी के प्रोप्राइटर मिस्टर निगम थे उन्होंने दिया ।

इलाहाबाद जिले में पिस्तौल तथा बन्दूक के लाइसेन्स

*४५—श्री कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में दो वर्षों में पिस्तौल तथा बन्दूकों के लाइसेंस कितनी संख्या में दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अनुपस्थित)—पिछले दो वर्षों में दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा निम्न प्रकार है —

	बन्दूक	पिस्तौल रिवाल्वर
१९५२ ..	१००	४८
१९५३ ..	१८४	४४

*४६-४७—श्री गोवर्द्धन तिवारी—[१४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८—श्री रामकुमार शास्त्री—[७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद में मुस्लिम जमात की बैठक

*४९—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी हाल ही में ११ और १२ सितम्बर सन् १९५४ को फर्रुखाबाद में मुस्लिम जमात की कौंसिल की मीटिंग हुई ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां।

*५०—श्री गज्जूराम—क्या सरकार को सूचना मिली है कि मुस्लिम जमात की इस मीटिंग में एक प्रस्ताव द्वारा यह भी मांग की गई कि देश में चल रहे गौ-रक्षा आन्दोलन तथा शुद्धि आन्दोलन पर सरकार पाबन्दी लगाये ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां।

*५१—श्री गज्जूराम—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि मुस्लिम जमात की मीटिंग में भारतीय मुसलमानों से कहा गया कि वह भारत छोड़ने के बजाय यहीं रहकर उपद्रव करें क्योंकि यही उनका पाकिस्तान है ?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह कौंसिल की मीटिंग किस उद्देश्य से बुलायी गयी थी और किन के प्रेसीडेंटशिप में हुई थी ?

श्री हुकुम सिंह—मुस्लिम संगठन के लिये बुलायी गयी होगी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस जमा में किस किस जिले से और प्रदेश से आदमी आये थे ?

श्री हुकुम सिंह—संभवतः बाहर के लोग भी थे।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार को मालूम है कि इस संस्था का संबंध देश के बाहर के लोगों से भी है ?

श्री हुकुम सिंह—ऐसी कोई इत्तला तो है नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इस जमात में क्या-क्या रेजोल्यूशन पास किये गये ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस जल्से में इस जमात में जो हमारे देश के नेता है उनको खुले रूप से गालियां दी गयीं और सरकार की आलोचना की गयी ?

श्री हुकुम सिंह—आलोचना की गयी, गाली कौन दे सकता है जी।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मीटिंग की सदारत किन सज्जन ने की थी ?

श्री हुकुम सिंह—बदरु दजा या ऐसे ही कोई थे।

श्री झारखंडेराय—माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास ऐसी कोई सूचना है कि इस जमात को, हमारे प्रदेश में काम करने वाली अमेरिकन एजेंसियों के जरिये कुछ सहायता मिलती है ?

श्री हुकुम सिंह—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री धर्म सिंह—क्या सरकार इस प्रकार की साम्प्रदायिक संस्थाओं पर जिनसे साम्प्रदायिकाता फैलती है पाबन्दी करने का विचार रखती है?

श्री हुकुम सिंह—पाबन्दी का मतलब मैं समझा नहीं।

श्री धर्म सिंह—रोक लगाने पर विचार करेगी?

श्री हुकुम सिंह—जब उचित मौका आ जायगा गवर्नमेंट सब कुछ करेगी।

श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जमायत इस्लामी के कुछ अखबारात भी हिन्दुस्तान से निकलते हैं?

श्री हुकुम सिंह—निकलते होंगे, उर्दू अखबार मैं पढ़ता बहुत कम हूं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अपने प्रांत में शुद्धि आन्दोलन जारी है वह किन-किन धार्मिक संस्थाओं द्वारा है?

श्री हुकुम सिंह—शुद्धि आन्दोलन होने की खबर मुझे है नहीं। लेकिन जो चाहे शुद्ध हो जाय। हर एक आदमी शुद्ध हो सकता है।

गवर्नमेंट इन्टर कालेज, मैनपुरी में केमिस्ट्री लेक्चरर के रिक्त स्थान की पूर्ति

*५२—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत जुलाई से अब तक गवर्नमेंट इन्टर कालेज, मैनपुरी में केमेस्ट्री लेक्चरर नहीं है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, यह पद १८ अगस्त १९५४, को रिक्त हुआ था।

*५३—श्री शिववक्ष सिंह राठौर—यदि हां, तो उक्त लेक्चरर का प्रबन्ध सरकार कब तक करेगी?

डाक्टर सीताराम—इस पर नियुक्ति कर दी गई है।

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पद पर कब नियुक्ति की गयी?

डाक्टर सीताराम—२० नवम्बर, १९५४ को।

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गत वर्ष भी चार महीने तक वहां कोई लेक्चरर नहीं था?

डाक्टर सीताराम—यह तो प्रश्न इस साल का है। गत साल के समय में ऐसी बात रही होगी।

राजनीतिक-पीड़ित विद्यार्थियों को शिक्षा-शुल्क से मुक्त करने के संबंध में आदेश

*५४—श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि राजनैतिक पीड़ित और उनके आश्रित विद्यार्थियों की फीस माफ करने के संबंध में उसने क्या निश्चय किया है और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने क्या आदेश निकाले हैं?

डाक्टर सीताराम—राजनैतिक पीड़ित तथा उनके आश्रितों को जो मान्यता प्राप्त प्राइमरी बेसिक पाठशालाओं तथा पूर्व माध्यमिक (जूनियर हाई) स्कूलों में पढ़ते हैं, शिक्षा शुल्क

से कुल अथवा आधी छूट देने के लिये विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और यह छूट शिक्षा संहिता अनुच्छेद ११३, ११४, ११५, ११६ में दिये हुये छूट में नहीं की जाती।
इस आदेश की सूचना समस्त अधिकारियों को दे दी गई है।

श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह भी बतायेंगे कि यह छूट सब विद्यार्थियों को दी जाती है जो राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित है या कुछ को दी जाती हैं?

डाक्टर सीताराम—गवर्नमेंट ने नवम्बर, १९४९ को जो आदेश शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा संस्थाओं को भेजे हैं उनके अनुसार सब लोगों के साथ ऐसी बात करते होंगे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि विश्वविद्यालयों में भी राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों की फीस माफ की जाती है?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये कोई आदेश नहीं है। लेकिन यह आदेश जरूर है कि उनकी होस्टल की फीस माफ की जाय और उनको होस्टल में प्रिफरेंस दिया जाय।

श्री वीरेंद्रनाथ मिश्र—अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि बेसिक पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों में राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों की फीस माफ होती है। क्या सरकार ऐसा कोई आदेश देगी जिससे हायर सेकेंड्री स्कूलों में भी राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों की फीस माफ हो?

डाक्टर सीताराम—इस पर भविष्य में विचार किया जायगा इस समय तो अभी कोई ऐसी बात है नहीं।

श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि जो सूचना पहले इस सम्बन्ध में प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी एजूकेशन पाने वाले विद्यार्थियों की भी दरख्वास्तें आयी थीं?

डाक्टर सीताराम—आई होंगी, लेकिन ७ नवम्बर, १९५४ को जो जी० ओ० प्रकाशित हुआ था वह प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के सम्बन्ध में था।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि जूनियर हाई स्कूल के राजनैतिक पीड़ित विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है और बहुत से विद्यार्थियों की फीस माफ नहीं हो रही है?

डाक्टर सीताराम—ऐसी शिकायत कोई सरकार के पास नहीं आई।

आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने के थानेदार के खिलाफ मुकदमा

*५५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोइजी, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ के निवासियों को ताजीरात हिन्द की दफा १५१ में १७ अप्रैल, सन् १९५४ को अतरौलिया थाने के थानेदार ने गिरफ्तार किया था?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

*५६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि बाद में जब आजमगढ़ जिला जेल में उनका डाक्टरी मुलाहजा किया गया तो डाक्टर ने उनको बहुत ही संगीन चोटों से घायल बताया?

श्री हुकुम सिंह—डाक्टरी जांच से पता चला कि उनके बदन पर चोटें थीं।

*५७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उन घायल व्यक्तियों ने जिलाधीश आजमगढ़ के यहां चोटों के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुम सिंह---उन्होंने जिलाधीश के इजलास में थानेदार के खिलाफ आई० पी० सी० की धारा १४७/३२५/३४२ के अन्तर्गत एक मुकदमा दायर किया है। मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस्तगासा दायर होने के पहले जिलाधीश के यहां आवेदन-पत्र दिया गया था उसकी जांच नहीं की गई?

श्री हुकुम सिंह---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि घायल व्यक्तियों को डाक्टरी रिपोर्ट क्या है?

श्री हुकुम सिंह---डाक्टरी रिपोर्ट यहां मेरे पास नहीं आई है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि मुजरिम थानेदार मुअत्तल क्यों नहीं किया गया?

श्री हुकुम सिंह---कायदा यह है कि जब कोई इस्तगासा दायर होता है तो पहले चार्ज शीट बनाई जाती है तब अफसर मुअत्तल होता है।

श्री उमाशंकर---उत्तर में जो धारायें बतलाई गई हैं जिसके अनुसार मुकदमा दायर किया गया क्या वे धारायें पुलिस कोड की होती हैं?

श्री हुकुम सिंह---यह तो कानूनी मशविरा किसी वकील से लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस्तगासे में कितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है?

श्री हुकुम सिंह---जिन लोगों को कहा जाता है उन्होंने मारा है उन्हीं के खिलाफ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस्तगासा कब दायर हुआ और उसमें क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हुकुम सिंह---नोटिस की जरूरत है।

मेसर्स लल्लामल हरदेवदास काटन स्पिनिंग मिल पर मजदूरों का बकाया।

*५८---श्री हर दयाल सिंह पिपल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेसर्स लल्लामल हरदेवदास काटन स्पिनिंग ऐन्ड जिनिंग मिल पर कितना रुपया मिल-मजदूरों का वेतन के रूप में शेष है?

श्री हुकुम सिंह--- इस मिल पर जनवरी तथा फरवरी १९५३ के माह का मजदूरों के वेतन का भुगतान शेष है। इन दो माह का कुल वेतन ३८,३१४ रु० होता है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मजदूरों को इस रुपये को दिलाने के लिये सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है?

श्री हुकुम सिंह--- इस वक्त तो मैं नहीं बतला सकता कि क्या-क्या कार्यवाही हुई है लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि सरकार पूरी सहायता इस रुपये को दिलाने में करेगी।

*५९---श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचना है कि उक्त मिल में से बहुत सा मशीनरी का सामान गुप्त रूप से बेंचा जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह---सरकार के पास इस विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

लखनऊ और कानपुर के राजकीय सहायता प्राप्त महिला विद्यालय

*६०---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कानपुर और लखनऊ में लड़कियों के ऐसे विद्यालय कितने हैं जिन्हें राजकीय सहायता (ग्रान्ट्स) मिलती है ?

श्री हरगोबिन्द सिंह---कानपुर में १८ और लखनऊ में २२।

*६१---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि परीक्षा फल के अनुसार यह किन-किन विद्यालयों की ग्रान्ट्स (राजकीय सहायता) को घटाने अथवा बढ़ाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हर गोबिन्द सिंह---किसी को भी नहीं। राजकीय सहायता शिक्षा-संहिता की धारा ३७७ के अन्तर्गत दी जाती है न कि परीक्षाफल के अनुसार।

सहारनपुर-मेरठ रेलवे लाइन पर मोटर दुर्घटना में छात्रों की मृत्यु

*६२---श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या सरकार को विदित है कि श्रमदान के लिये जाते हुये विद्यार्थियों की एक मोटर सहारनपुर-मेरठ लाइन पर एक ट्रेन से टकरा गई और उसमें १० छात्र मरे और १८ घायल हुये ? क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच कराई है ? यदि हां, तो क्या ज्ञात हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अनुपस्थित)---जी हां। सरकारी जांच से यह पता चला है कि उस मोटर के ड्राइवर जमील की असावधानी तथा उतावलेपन के कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने उक्त ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और उसका चालान कर दिया। उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान (I. P C.) की धारा २७९/३३८/३०४ (ए) के अन्तर्गत एक मुकदमा भी चलाया गया है।

नैनीताल व अल्मोड़ा जिलों में जे० टी० सी० और एच० टी० सी० के चुनाव में हरिजन

*६३---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा व नैनीताल में जून, १९५४ में जे० टी० सी० और एच० टी० सी० का चुनाव हुआ है ? उसमें कुल कितने उम्मीदवार चुने गये और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---१९५४ में जे० टी० सी० में चुने गये उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है:---

अल्मोड़ा		नैनीताल	
कुल संख्या	हरिजन की संख्या	कुल संख्या	हरिजन की संख्या
१५	२	१६	३

१९५४ में एच० टी० सी० में चुने गये उम्मीदवारों की संख्या:

अल्मोड़ा		नैनीताल	
कुल संख्या	हरिजनों की संख्या	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
६३	५	५४	८

कृषि योजना के अधीन अध्यापकों की ट्रेनिंग पर व्यय

*६४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतायेगी कि कृषि योजना के अधीन लिये गये अध्यापकों की ट्रेनिंग कहां-कहां हुई और उस पर कितना व्यय सरकार का प्रत्येक ट्रेनिंग सेंटर पर हुआ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कृषि योजना के अधीन अध्यापकों की ट्रेनिंग निम्नलिखित स्थानों पर हुई। प्रत्येक स्थान पर जो व्यय हुआ वह उन स्थानों के नामों के सम्मुख अंकित है :—

स्थान		व्यय रु०	आ०	पा०
(१) रुद्रपुर नैनीताल	..	३,२५,९२८	२	६
(२) मुजफ्फरनगर	..	३४,५८८	१३	३
(३) आगरा	..	३२,३०२	०	६
(४) इलाहाबाद	..	३०,८१२	०	६
(५) गोरखपुर	..	३३,४१३	१	३
(६) लखनऊ	..	३१,९०२	०	९
(७) अल्मोड़ा	..	२४,२८२	३	६
(८) फैजाबाद	..	२७,४९६	१३	३
(९) झांसी	..	३२,१५७	११	०
योग	..	५,७२,८८२	१४	६

जौनपूर जिले से हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट परीक्षाओं में नकल संबंधी शिकायतें

*६५—श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)— क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गत वर्ष हाई स्कूल तथा इन्टर मीडियेट की परीक्षा में कितने केन्द्रों से नकल होने के विषय में सरकार के पास शिकायतें पहुंची हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—८३।

*६६—श्री लाल बहादुर सिंह—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों तथा संस्थाओं के विरुद्ध सरकार क्या करने का इरादा रखती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—बोर्ड तथा शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

*६७—श्री लाल बहादुर सिंह—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जौनपुर जिले में किन-किन केन्द्रों के सम्बन्ध में यह शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री हरगोविन्द सिंह—(१) शाहगंज पब्लिक इन्टर मीडियेट कालेज, शाहगंज, जौनपुर।

(२) हिन्दू इन्टर मीडियेट कालेज, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।

(३) बी० आर० पी० इन्टरमीडियेट कालेज, जौनपुर। प्रथम दो केन्द्र तोड़ दिए गए हैं तथा बी० आर० पी० इन्टरमीडियेट कालेज के संस्थागत परीक्षार्थी दूसरे विद्यालय से परीक्षा में सम्मिलित होने पायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा

*६८—**श्री रामअधार तिवारी** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने की है?

श्री हरगोविन्द सिंह—उत्तर प्रदेश के जिन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७३ पर।)

चकिया हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थानाभाव

*६९—**श्री रामलखन** (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशी राज्य के विलीनीकरण के पूर्व बनारस स्टेट सेक्रेटेरियट से आदेश नं० ९५२५, तारीख २६ जुलाई, १९४९ को निकला था जिसके अनुसार चकिया जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल की इमारत का कुछ भाग आदित्यनारायण हाई स्कूल, चकिया, बनारस के वास्ते उस समय तक के लिये दिया गया था जब तक कि हाई स्कूल की इमारत तैयार न हो जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह— जी हां, प्राइमरी स्कूल की पूरी इमारत एवं जूनियर हाई स्कूल के तीन कमरे दिये गये थे।

*७०—**श्री रामलखन**—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त हाई स्कूल की इमारत तैयार हो जाने के बावजूद भी जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल की इमारत अब तक खाली नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह— जूनियर हाई स्कूल की इमारत खाली कर दी गई है, परन्तु प्राइमरी स्कूल की इमारत अभी तक खाली नहीं की गई है, क्योंकि चकिया हायर सेकेंडरी स्कूल के लिये जो इमारत तैयार हुई है वह उसके लिये पर्याप्त नहीं है।

*७१—**श्री रामलखन**—क्या सरकार को मालूम है कि जिला विद्यालय निरीक्षक बनारस ने २४ फरवरी, १९५४ को कोई आदेश इमारत खाली करने के लिये हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री हरगोविन्द सिंह—दिनांक २४ फरवरी, १९५४ को कोई आदेश नहीं भेजा गया था बल्कि २८ फरवरी, १९५४ को जूनियर हाई स्कूल की इमारत खाली करने के लिये आदेश भेजा गया था जिसके अनुसार प्रधानाचार्य ने जूनियर हाई स्कूल की इमारत खाली कर दी है।

*७२-७३—**श्री कृष्ण शरण आर्य**—[२४ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७४--श्री देवकी नन्दन विभव--[१४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी जिले के लोकाही ग्राम में पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु

*७५--श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)--क्या यह सही है कि ग्राम लौकाही, थाना ईसानगर, जिला खीरी स दो प्रार्थना-पत्र जिला मैंजिस्ट्रेट तथा सुपरिंटेंडेंट पुलिस खीरी को दिये गये हैं कि वहां के एक व्यक्ति को थाना इञ्चार्ज, थाना ईसानगर ने गोली से मारा है ?

डाक्टर सम्पूर्णनन्द--(अनुपस्थित) जी हां।

*७६--श्री रामभजन शर्मा-- यदि यह सत्य है तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(अनुपस्थित) एक मैजिस्ट्रेट ने मामले की मौके पर जांच की जिससे विदित हुआ कि एक चोरी के मामले में थानेदार ईसानगर कुछ सिपाहियों के साथ ग्राम लोकाही में श्री लछमन के घर की तलाशी के लिये गये थे। श्री लछमन पुलिस के बुलाने पर बाहर नहीं आये और जब पुलिस अन्दर घुसने लगी तो उन पर उसने बरछी से हमला किया जिसके फलस्वरूप एक सिपाही को चोट आई। अतः पुलिस के एक दूसरे सिपाही ने आत्मरक्षा में अपनी राइफल से गोली चलाई जिससे श्री लछमन की मृत्यु हो गई।

बशीरतगंज, लखनऊ के हरिजनों का बसाना

*७७--श्री रामशंकर रविवासी (जिला लखनऊ)--क्या सरकार के पास बशीरत-गंज स्कीम लखनऊ के हरिजनों का कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री हरगोबिन्द सिंह--जी नहीं।

*७८--श्री रामशंकर रविवासी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन हरिजनों को वह किसी अन्य स्थान पर बसाने को सोच रही है या उसी स्थान पर ?

श्री हरगोविन्द सिंह--प्रश्न ही नहीं उठता।

*७९-८१--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--[२९ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २२-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में नार्मल ट्रेनिंग स्कूल के चुनाव में हरिजन उम्मीदवार

*८२--श्री राम दास आर्य--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष होने वाले नार्मल ट्रेनिंग स्कूल के चुनाव में जिला मुजफ्फरनगर से कितने उम्मीदवार लिये गये और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--५२ उम्मीदवार लिये गये हैं जिनमें से ४ हरिजन हैं।

हरिजन कल्याण विभाग द्वारा घरेलू उद्योग-धंधों में सहायता के लिये आदेश

*८३--श्री रामस्वरूप--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कल्याण विभाग द्वारा घरेलू उद्योग-धंधों के लिये दिये जाने वाली सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र जिला हरिजन उप-समिति की सिफारिशों के बाद प्रदेशीय कार्यालय में भेजने का सरकारी आदेश जारी किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, ऐसा आदेश संचालक, हरिजन कल्याण ने सब जिला नियोजन अधिकारियों के पास भेजा था।

*८४--श्री रामस्वरूप--यह आदेश कब जिला हरिजन अधिकारियों को भेजा गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह आदेश १७ सितम्बर, सन् १९५४ ई० को जारी किया गया।

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)--[१४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला देवरिया के अमुवाखास बेहूपार टेस्ट वर्क पर मजदूरी की अप्राप्ति के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव आया है। वह इस प्रकार है--

देवरिया के अमुवाखास बेहूपार टैस्टवर्क पर ५ हजार ग्रामवासी जो नाममात्र की मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं उन्हें पिछले तीन सप्ताह से मजदूरी नहीं दी जा रही ह। जिला अधिकारियों तथा माननीय राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश से प्रार्थना करने पर भी मजदूरी न मिलने से इन हजारों व्यक्तियों की भूख से पीड़ित होने से जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर विचार करने के लिये सदन अपने कार्य को स्थगित करता है।

इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय करने के पूर्व मैं माननीय राजस्व मंत्री से कहूंगा कि यदि वे चाहें तो इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--श्रीमन्, यह जो उद्देश्य इस कामरोको प्रस्ताव का है वह मेरी राय में इतने महत्व का नहीं है जो सार्वजनिक कहा जा सक। और जिसके बारे में सदन का आधा घंटा समय लगाया जाय। सूबे के अन्दर कई दर्जन टेस्टवर्क चल रहे हैं और जिला अधिकारियों को आदेश यह है कि हफ्ते में वह दो बार मजदूरी दे दिया करें लेकिन यह टेस्टवर्क डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से बहुत दूर हो रहे हैं। आम तौर पर शहर से ३०, ३० और ४०, ४० मील के फासले पर ये गांवों में चल रहे हैं जहां पर आमदरफत का जरिया भी आसान नहीं है। खजाना जिले के हेड-क्वार्टर पर रहता है तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि रुपया पहुंचने में कठिनाई किसी जगह पर हो जाय। सिर्फ विचार यह करना है कि अगर कहीं पर देर हो गयी तो क्या वह मामला इतने महत्व का है कि जिसके ऊपर यह काम रोको प्रस्ताव यहां पर लाया जाय। मेरी अपनी राय यह है कि इतने सार्वजनिक महत्व का यह नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं केवल आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने यह कहा कि यह प्रश्न सार्वजनिक महत्व का नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार से यह सार्वजनिक महत्व का है। ५ हजार से ज्यादा आदमी तीन स ताह से मजदूरी नहीं पा रहे हैं और वह मजदूरी पाते हैं सिर्फ पांच आना और ७ आना तो जो आदमी ५, ७ आना मजदूरी पाये, जो तीन सप्ताह से उसको न पाये हों और जो बाढ़ग्रस्त हों और सखे से परेशान हों और इस वक्त उनकी जीविका का दूसरा सहारा न हो तो इस समय वह क्या करें। तीन सप्ताह से उनको मजदूरी नहीं मिली है जब कि प्रतिदिन कानून

[श्री गेंदा सिंह]

के मुताबिक मजदूरी उनको मिलनी चाहिये। यह शिकायत पहली मर्तबा यहां पर नहीं की गयी है पिछली मर्तबा भी यह शिकायत हुयी है जब कि उनको दो सप्ताह तक मजदूरी नहीं दी गयी थी। जब राजस्व मंत्री जी उस इलाके में गये थे तब उनको पत्र लिख कर मैंने दिया था। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी मजदूरी कम पाने के बाद जिनके लिये सरकार यह समझती है कि उन लोगों की अवस्था ऐसी है कि उनको मजदूरी देकर जिन्दा रखा जाय, तो यदि उनको जिन्दा रखना है और उनके इस काम के लिय उपाध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है कि १३ तारीख को माननीय राजस्व मंत्री को और कलेक्टर को तार दिया गया लेकिन १३ के बाद आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो एक मर्तबा पहले इसकी अवहेलना हो चुकी है और बार-बार अवहेलना होती चली जा रही है और इस ओर जब राजस्व मंत्री का, दूसरे सरकारी कर्मचारियों का जब ध्यान दिलाया जाता है और उसके बाद भी नियम का पालन नहीं होता तो फिर कोई चारा नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि सदन में आपका ध्यान दिलाया जाय। मैं समझता हूं कि इससे अधिक सार्वजनिक महत्व का इस लोक-प्रिय सरकार के लिये कोई काम नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना है कि यह प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है और इस पर विचार किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय राजस्व मंत्री उन वाक़यात से इंकार करते हैं जो इस तार में हैं।

श्री चरण सिंह—मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो श्री गेंदा सिंह जी ने इतनी लम्बी अवधि की बात कही है यह सरासर गलत है और ५ हजार आदमी वहां पर काम कर रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आम तौर पर मेरी इत्तिला यह नहीं है कि यह इतना बड़ा टेस्ट वर्क है जिस पर ५,००० आदमी काम करते हों लेकिन अगर ५००० के बजाय ५०,००० हजार आदमी और मजदूरी मिलने की अवधि ६ महीने कर दी जाय तो वह सार्वजनिक महत्व का सवाल हो जाता है। जो फैक्ट्स माननीय गेंदा सिंह जी ने बतलाये हैं वे आंशिक रूप में गलत हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मुझे तो इसमें अनुमति देने से इंकार नहीं करना चाहिये। सदन के सामने दोनों पक्षों की बातें आ गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सज्जन अनुमति देने के पक्ष में हों वे अपने स्थानों पर खड़े होने की कृपा करें, तब अन्दाजा चलेगा कि सदन भी अनुमति देता है या नहीं।

(गणना के उपरान्त)

१७ माननीय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हुये हैं, ३६ की आवश्यकता है, इसलिये इसकी अनुमति नहीं दी गई।

लैन्ड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री उपाध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के लैण्ड एक्वीजीशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ मार्च, सन् १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १ सितम्बर, १९५४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ८ नवम्बर सन् १९५४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४

श्री उपाध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ सितम्बर सन् १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ अक्तूबर, १९५४ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २३ नवम्बर सन् १९५४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश का २३ वां अधिनियम बन गया।

*लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—अब लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार जारी होगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें टाइम लिमिट कर दी जाय। सिर्फ एक ही बात पेश की गई और उस पर हो सकता है कि १ घंटे में जवाब हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शुक्ल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अभी तो इब्तदा है और इसके बाद सदन का कार्य देखने के बाद आवश्यक हो तो कोई प्रस्ताव इस प्रकार का आ सकता है। बार-बार कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रकार की पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर सदन बाद को विचार कर लेगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि यह विधेयक इस सदन द्वारा पुनः एक प्रवर समिति के समक्ष, जिसकी नामावली बाद को प्रस्तुत की जायगी, नियत विचारार्थ भेज दिया जाय जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे।

उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ यूनिवर्सिटी का कल माननीय गुप्ता जी ने जो संशोधन बिल हमारे सामने सदन में शाम को पेश किया था, वह किन किन कारणों से इस सदन में पेश किया गया है उनको भी सुना। मुझ को तो ऐसा अनुभव हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल पेश किया था उस समय इस सदन द्वारा उसका इतना कड़ा और घोर विरोध हुआ था जिसके कारण इसको पेश करने की उनकी, मंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई। इसलिये बजाय इसके कि वह उसको खुद पेश करते उन्होंने डर से और इन लांछना से बचने के लिए माननीय गुप्ता जी को सदन के सामने यह अवसर दिया कि वह उस बिल को पेश करें। उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय गुप्ता जी ने इस बात को बड़े कड़े शब्दों में और अगर आप आज्ञा दें तो मैं तो कहूंगा कि डिक्टेटोरियल मैनर्स के साथ, जिस प्रकार एक तानाशाह भाषण करता है, उसी भावना का परिचय दिया है, उसी रूप में उसको पेश किया है और उन्होंने अपने भाषण में यह दिखाया कि इस ऐक्ट में जो यह संशोधन पेश किया जा रहा है उसमें कोई खामी नहीं है। मुझे दुःख है कि वे इस समय यहां नहीं हैं, नहीं तो मैं उनसे पूछता और पूछना भी चाहता हूं कि जब उसमें कोई कमी, खामी नहीं है, कोई खराबी नहीं है तो फिर इस विधेयक का यहां

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जोरावर वर्मा]

लाना ही बेकार है। जब वे इस बात को मानते हैं कि पुराने बिल में कोई खामी नहीं है तो फिर उसको इस सदन में क्यों लाये हैं। उन्होंने बड़े अभिमानपूर्वक बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह से यहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर उपकुलपतियों के चुनाव के विषय में कोई दलबन्दी नहीं है, पार्टीपालिटिक्स नहीं है और न कमी हुई है लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गुप्ता जी, जिनको "मदर आफ दि लखनऊ यूनिवर्सिटी" कहा जाय, "किंग आफ दी यूनिवर्सिटी" कहा जाय, 'होल एन्ड सोल मोनार्क' कहा जाय, या यूनिवर्सिटी का सर्वेसर्वा' या 'सब कुछ कहा जाय' जिनको इस यूनिवर्सिटी में ३४ वर्ष रहते हुए हो गये उनके द्वारा इस बिल का इन्ट्रोडक्यूस किया जाना सेल्फ कंडेमनेशन आत्म-प्रपंचना-विडंबना की पराकाष्ठा है। उनको ३४ वर्ष यूनिवर्सिटी में रहते होते हुए भी उनके एक साथी माननीय ठाकुर हरगोविन्द सिंह जी शिक्षा मंत्री को यह आवश्यकता पड़ गयी कि वह उस लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में इस प्रकार का कायाकल्प करने वाला संशोधन पेश करें। इससे और अधिक प्रमाण इस बात का हो ही नहीं सकता कि इसमें कुछ न कुछ ऐसी खामियां जो दबाई जा न सकें, जिन पर पर्दा न डाला जा सके अवश्य हैं, जिनके कारण माननीय ठाकुर साहब मजबूर हो गये कि माननीय गुप्ता जी द्वारा परिपालित-परिचालित और परिपोषित और सभी प्रकार से उस पर हावी होते हुए भी उनकी इच्छा के विरुद्ध यह संशोधन विधेयक बिल उनको पेश करना पड़ा, यह विधेयक सदन के सामने संशोधनार्थ प्रस्तुत करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं उन्होंने जिस समय भाषण दिया तो ऐसी बातों का जिक्र भी नहीं किया जिनकी वजह से यह बिल यहां इन्ट्रोडक्यूस, पेश करना पड़ा और न माननीय गुप्ता जी ने इस बिल के द्वारा जो यूनिवर्सिटी का अहित होने जा रहा है, उसका ही कुछ जिक्र दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो यूनिटरी टीचिंग और रेजीडेंशियल केरेक्टर उस यूनिवर्सिटी का अब तक रहा है वह इस संशोधन विधेयक द्वारा खत्म हो रहा है, क्योंकि इसमें भी एफिलिएटेड मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कालेजेज की व्यवस्था की जा रही है और इस यूनिवर्सिटी का जो पुराना एकात्मक शैक्षिक और आवासिक चरित्र था वह समाप्त हो रहा है। यह कहा जा सकता है कि हमने जो बिल पेश किया है उसमें प्रवर समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि इन तीन शब्दों यूनिटरी, टीचिंग और रेजीडेंशियल को रहने दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह सिफारिश पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वास्तव में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बिल ड्राफ्ट किया था उसमें कम से कम सेंस आफ प्रोपोर्शन तो था ही। जब हमने यूनिवर्सिटी के करेक्टर (चरित्र रूप) को चेंज कर दिया, यूनिवर्सिटी के यूनिटरी टीचिंग गौर रेजिडेंशियल रूप को खत्म कर दिया तो फिर हमें इन शब्दों को भी हटा देना चाहिये था। लेकिन आखिर पता नहीं कि जो प्रवर समिति बैठी, उसने यह क्यों उचित समझा कि ये तीन शब्द रहने दिये जायं। इन शब्दों को रखने का मतलब मैं सिर्फ यही समझता हूं कि या तो दूसरे लोगों को शक पैदा करने के लिये या डाज देने के लिए ही है कि जैसी पहले यूनिवर्सिटी थी वैसी ही अब भी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना बड़ा वैषम्य विरोधाभास है कि नाम तो यूनिटरी टीचिंग और रेजिडेंशल है परन्तु उसके करेक्टर रूप को ऐफिलिएटिंग कर दिया गया है। इस बात को कहना अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहना पड़ रहा है कि इसे अगर यों कहा जाय कि यह यूनिवर्सिटी इस तरह से हमारे सामने आ रही है जैसा कि कोई ऐसी दुकान हो, जिस पर साइनबोर्ड तो लगा हो "शुद्ध देशी घी का और वहां बिक रहा हो शुद्ध डालडा—वेजिटेबिल।" तो वह कितनी विचित्र बात है? उपाध्यक्ष महोदय, देहाती भाषा के बहुत अच्छे शब्दों में इसी को कहा गया है "आंख के अन्धे नाम नयनसुख"। दिखलाई पड़ता नहीं, आंखें हैं नहीं और नाम है नयनसुख। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बतलाऊं, इस प्रकार की

और कितनी ही बातें हैं जैसे "ऊंची दुकान फीका पकवान", ऐसी और बहुत सी बातें उदाहरण को हैं जो इस बिल के लिये कही जा सकती है इस बिल से उपमा दी जा सकती है। मैं अभी तक यह नहीं समझ सका और न हमारे माननीय मंत्री जी ने जिन्होंने इसको कल पेश किया,और जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, अपने भाषण में समझाने, बतलाने का कष्ट किया, इस बात की ओर कोई संकेत नहीं किया कि आखिर एफिलिएटेड कालेज की जो व्यवस्था इसमें की गई है वह क्यों की गयी है किन कारणों व परिस्थितियों वश ऐसा किया गया है। हमारे माननीय सभासचिव जी जो इस समय सदन में बैठे हुए हैं वे शायद मौका लगे तो इसको बतलावें। इसके पेश करने वाले माननीय मंत्री जी अगर यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि आखिर आपने इस बात की ओर प्रकाश क्यों नहीं डाला कि इसमें जो ऐफिलिएटिंग मान्यता देने की जो व्यवस्था की गई है उसका क्या आधार है? उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही होगा कि जिस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक हमारे सामने आया था—पेश किया गया था तो हमें बतलाया गया था कि जो मूथम कमेटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जांच के लिये बैठी थी उसने रिकमेंड किया था सिफारिश की थी कि वहां ऐफिलिएटिंग कालेजों की व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि वहां एफिलिएशन की समस्या है इसलिये उस बिल में एफिलिएटिंग की व्यस्था की गई थी। उपाध्यक्ष महोदय! यहां न तो मूथम कमेटी की तरह कोई इन्क्वायरिंग कमेटी बैठी और न उसकी तरह किसी ने बतलाया कि इस यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर को, रूप को किन किन कारणों से परिवर्तित, चेंज करना चाहिये। क्योंकि कुछ खराबी, कमी की बातें तो हैं, जो पुराना अधिनियम है उसके खिलाफ कुछ न कुछ काम तो अवश्य हो रहा है; जिसके आधार पर यह बिल सदन के सामने इस रूपमें आया। मैं क्या बतलाऊं, दुर्भाग्यवश माननीय रामनरेश शुक्ल जी भी आज नहीं हैं जिन्होंने अपनी गरजती हुई घोर वाणी में कहा था कि हमारी राज्य सरकार इसलिये इसमें, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय में हस्तक्षेप करती है कि उसके अन्दर बड़ा भ्रष्टाचार है, और इसीलिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेघनाथ साहा जैसे प्रसिद्ध विज्ञान वेत्ता को भाग कर कलकत्ते के विश्वविद्यालय में शरण लेनी पड़ी और श्री राम प्रसाद त्रिपाठी जैसे विद्वान न जाने कितने व्यक्तियों को वहां से इलाहाबाद से भागना पड़ा। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या यहां भी कोई ऐसी ही घोर अन्याय की बात है कुछ लोगों के साथ अन्याय और अनेक प्रकार की इनजस्टिस की गयी है और जिनकी रक्षा के लिये यह संशोधन अधिनियम में लाया गया है? माननीय गुप्ता जी ने इसके ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाला। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस समय बतलाया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस कदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि २० लाख रुपया अध्यापकों ने अपने डी० ए० और पे आदि को बढ़ा लिया और इस तरह से वहां रुपये का बड़ा दुरुपयोग हुआ मैं उनसे पूछता हूं कि क्या यहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह का कोई घपला हुआ है? कोई ऐसा ही गोलमाल है? जहां तक मैं जानता हूं लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कुछ न कुछ गोलमाल अवश्य है। क्योंकि इस प्रकार के बिल का सदन में आना ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि कुछ न कुछ गोलमाल कुछ न कुछ इनजस्टिस और कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य है और इसलिये यह बिल हमारे सामने इस सदन में आया है।

जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमेंट ने गतवर्ष यहां एक आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना के लिये लगभग ८ लाख रुपया देना स्वीकृत किया था, निर्धारित किया था लेकिन उस ८ लाख रुपये में गड़बड़ करके आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना करने के बजाय जहां तक मुझे मालूम है, उसे मेडिकल कालेज के प्रयोग में लाया गया है, बिल्डिंग बनवाने में लगा दिया गया है। गवर्नमेंट ने इस सदन से बजट तो पास कराया आयुर्वेदिक कालेज के लिये और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के शुभचिन्तकों ने उसे लगा दिया मेडिकल कालेज के लिये सदुपयोग में। क्या मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने अगर कुछ रुपये का सदुपयोग या दुरुपयोग जो कुछ वे कहें किया था

[श्री जोरावर वर्मा]

तो आप ने भी यहां ऐसा ही किया है। मैं माननीय गुप्ता जी से कहता हूं कि आप ने ऐसा क्यों किया इसी को कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आप तो ३४ वर्ष से यहां विश्वविद्यालय के शुभचिन्तक की हैसियत से कार्य कर रहे हैं। क्या मैं माननीय राम नरेश शुक्ल से भी पूछ सकता हूं कि क्या जिस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्री मेवनाथ साहा के साथ अन्याय हुआ क्या यहां भी वैसे ही अन्याय नहीं हुये हैं? मुझे मालूम है कि यहां भी किस तरह से अग्रवाल पंडितों को सुपरसीड कर के हेड आफ दि डिपार्टमेंट बनाये गये हैं और उस का नतीजा यह हुआ है कि अच्छे-अच्छे लोगों को यनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी है और उनको संत बिनोवा की शरण में जाना पड़ा है। अच्छे से अच्छे विद्वानों ने जिन्होंने जीवन भर यूनिवर्सिटी की सेवा की और शिक्षा के क्षेत्र में ही सारा जीवन लगाया और जिन्दगी को ही यूनिवर्सिटी के फलने-फूलने में लगाया उन को भी यहां के अन्याय से घबरा कर, ऊबकर और तानाशाही तरीकों से भयभीत होकर किसी प्रकार से बचकर भागना पड़ा और जिनका वास्तव में हक था उनको हेड आफ दि डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया और न जाने कितने योग्य और सीनियर अध्यापकों को सुपरसीड करके अयोग्य थोड़ी सर्विस वाले जूनियर अध्यापकों को सीनियर के ऊपर लाकर बिठा दिया गया है। ये चीजें हैं यह फैक्ट है जो वहां हुये और हो रहे हैं अगर मैं इस प्रकार के कांडों को कथा कहने लगूं कि वहां कितना घपला है और कितना अन्याय है और पक्षपात हुआ है तो वह एक बहुत लम्बी कहानी होगी परन्तु पूरी कथा को कहकर सदन के अमूल्य समय को नष्ट करना उचित न होगा, फिर भी मैं कुछ उदाहरण दे देना चाहता हूं अगर श्रीमान् जी कहीं हेड आफ दि डिपार्टमेंट हैं तो उनकी श्रीमती जी कहीं दूसरी जगह हेड आफ दि डिपार्टमेंट बना दी गई हैं, अगर पिता जी किसी डिपार्टमेंट में हेड आफ दि डिपार्टमेंट हैं तो उनके सुपुत्र किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हेड या सबार्डिनेट बना दिये गये हैं, अगर ससुर साहब एक फैकल्टी के हेड हैं तो दामाद साहब दूसरी फैकल्टी के हेड या सहायक बना दिये गये हैं। इस प्रकार का मानोपोलाइजेशन एकाधिकार और आपको शायद कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दिखाई देगा। जिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम को शिक्षा मंत्री जी ने कंडेम किया है, मैं समझता हूं कि वहां भी शायद इतनी हालत खराब न होगी जितनी यहां है। कल माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन बिल पेश किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि जैसे यहां कोई इस प्रकार बातें हुई ही नहीं हैं। यहां के घपलों की मैं कहां तक चर्चा करूं कि किस तरह से यहां हर विभाग टोटुलर लोगों के हाथ में है और वे मंत्री जी के हाथ में कठपुतली बन गये हैं, मैं इसकी ओर संकेत करूंगा कि वहां किस तरह से यह सब कुछ हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस प्रस्तावित बिल को देखें तो बजाय इसके कि यह कहा जाय कि यह लखनऊ यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक है इसको चांसलर और वाइस चांसलर का विधेयक कहा जाय तो उचित ही नहीं अपितु अधिक उपयुक्त होगा जहां देखिये वहां चांसलर विराजमान हैं, हर जगह यूनिवर्सिटी के हर क्षेत्र में बिल की धारा उपधारा में चांसलर महोदय मौजूद हैं। सम्माननीय राधाकृष्णन् जो मैं समझता हूं कि शिक्षा के संबंध में बहुत बड़े विद्वान हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन को रिपोर्ट में साफ-साफ बतलाया है, राय दी है कि जहां तक चांसलर का सवाल है जिस प्राविन्स में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हों वहां पर गवर्नर को चांसलर न होना चाहिये। उन्होंने इसका कारण भी दिया है और वह यह है कि गवर्नर को शासन के इतने अधिक काम रहते हैं कि अगर उनको तमाम यूनिवर्सिटियों का चांसलर बना दिया जायगा तो वे यूनिवर्सिटियों की ओर जितना ध्यान उनको देना चाहिये वह न दे सकेंगे। कहने वाले यह कह सकते हैं कि पहले से ही ऐसा रहा है लेकिन देखना यह है कि क्या कभी पहले के गवर्नरों ने इस तरह से वहां के मामलों में दस्तअन्दाजी की है, जिस तरह से आजकल हमारे चांसलर महोदय करते हैं? मैं समझता हूं कि इसका कोई उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री के पास न होगा। जिन लोगों ने पहले अंग्रेजी जमाने में हमको गुलाम बना कर रखा था, उन लोगों ने भी कभी यूनिवर्सिटियों के मामले में, जो हायर एजूकेशन की केंद्र हैं, एक चांसलर की हैसियत

से इतना हस्तक्षेप कभी नहीं किया। लेकिन आज जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तब हमारे गवर्नर महोदय, चांसलर के नाम से आये दिन इस प्रकार हस्तक्षेप करते ह कि यूनीवर्सिटी के प्रोफेसरों, टीचरों और लड़कों का हगनी-मूतनी तक बन्द हो जाती है। कोई जरा सी बात हुई कि हमारे गवर्नर चांसलर महोदय जाकर पहुंच जाते हैं और वहां की छोटी से छोटी बातें तक उनके कान तक पहुंच जाती हैं कि आज यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातें हुई हैं। तो इस तरह की बात मैं समझता हूं इस संशोधन विधेयक द्वारा ला देना यह किसी भी डिमौक्रेटिक गवनमेंट के लिये और विशेषत: ऐसी गवर्नमेंट के लिये जिसको हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो बड़े अपमान और कलंक की बात है कि शिक्षा के केंद्र में जिसके द्वारा हमको प्रकाश मिलता है और जिनसे हमें ऐसे विद्यार्थी पैदा करने हैं जिनके हाथ में भविष्य में देश के शासन की बागडोर रहती है वहां पर इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया गया है जिस तरह से एक स्लेव गुलाम देश के नागरिकों के विरुद्ध भी कभी नहीं किया गया होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये शब्द कहे तो शायद कोई माननीय सदस्य यों कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि 'आप छोटे मुंह बड़ी बातें कह रहे हैं' लेकिन मैं आपको बताऊं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी वर्मा जैसे कांग्रेसी सदस्य जब एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोर्ट की मीटिंग में गत १० मई को बैठे हुये थे और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी वहां पधारे थे तब उन्होंने इन दोनों बिलों के बारे में कुछ कहा था उसको यदि मैं आपकी आज्ञा से उद्धरण दे दूं तो अधिक उपयुक्त होगा। आपकी आज्ञा से जो कुछ उन्होंने उस समय वहां कहा था उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने कहा था:—

"Without casting any aspersions on the highest authority in the state I do not believe in the institution of chancellors for Allahabad and Lucknow, Universities."

यह उपाध्यक्ष महोदय, उनका मत है वे इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि गवर्नर चांसलर और वाइस-चांसलर को इन दोनों बिलों में जिस प्रकार सर्वशक्ति युक्त रखा गया है, वह हमारे गवर्नमेंट दल के एक विशेष ख्याति प्राप्त सदस्य हैं जिनका ऐसा मत है, कहना है।

जहां तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाइस-चांसलर की बात आती है और जहां तक लखनऊ विश्वविद्यालय की बात है वहाँ यह व्यवस्था है कि एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन होने पर वाइस-चांसलर की नियुक्ति गवर्नर चांसलर द्वारा होती है। यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिलकुल अलग व्यवस्था थी, जैसा कि माननीय गुप्त जी ने स्वयं बतलाया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसके विपरीत व्यवस्था थी। उसका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति का एलेक्शन कोर्ट के द्वारा होता था और गवर्नमेंट को उसकी नियुक्ति करनी पड़ती थी। क्या मैं माननीय गुप्त जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि जब यहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक्जीक्यूटिव कमेटी की सिफारिश पर चांसलर द्वारा वाइस-चांसलर की नियुक्ति होती थी तो फिर क्या आवश्यकता थी कि यहां भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरह ही इतना लम्बा प्रोसीजर कर दिया गया है। उसी पद्धति को अपनाया जा रहा है क्या वह कह सकते हैं कि उन्होंने इसलिये ऐसा किया है ताकि लोग यह न कह सकें कि किसी संस्था के साथ इन्जस्टिस की गई है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें एक बड़ी राजनैतिक भावना, चाल छिपी हुई है। जो पुराना ऐक्ट है उसको पढ़कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसका मतलब यह है कि एक्जीक्यूटिव कमेटी एकमत होकर एक नाम उपकुलपति के लिये रिकमेंड करती थी और चांसलर महोदय उसको ही एप्वाइन्ट कर देते थे। लेकिन अब जो व्यवस्था इसमें की गई, इसके विपरीत है और उसका बहुत ही लम्बा प्रोजीजर है। वह क्या है? एक्जीक्यूटिव कमेटी अगर अपनी पहली मीटिंग में एक व्यक्ति का नाम एकमत से निश्चित कर दे तो गवर्नर उसको वाइस-चांसलर बना देंगे। लेकिन इसके साथ ही उनको यह भी अधिकार होगा कि वह उस नाम को रिटर्न भी कर सकते हैं और अगर

[श्री जोरावर वर्मा]

उस मीटिंग में एक नाम सर्वसम्मति से निश्चय न हो सके तो १० दिन के अन्दर फिर दूसरी बैठक में यह निश्चय करें और तीन नामों की एक लिस्ट बनायें। अगर तीन से अधिक नाम आते हों तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से वह तीन आदमियों का पैनल गवर्नर चांसलर महोदय के पास भेज दें। इनमें से किसी एक को वह वाइस-चांसलर बना देंगे। अब अगर चाँसलर महोदय अब भी चाहें तो उसको भी रिटर्न कर सकते हैं। यह क्या है? इस में जो राजनीतिक बात है और गवर्नमेंट का जो मकसद है वह इसमें नहीं छिपा हुआ है। पहले जो व्यवस्था थी उसमें यह हो सकता था कि जो मकसद गवर्नमेंट का था वह पूरा होता हो क्योंकि यह हो सकता था कि एक्जीक्यूटिव कमेटी सर्वसम्मति से ऐसे आदमी का नाम न भेजे जिसको गवर्नमेंट चाहती हो लेकिन अब जहां तीन आदमियों के नाम की व्यवस्था आती है तो यह बिलकुल सच है कि गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उसका नाम मंगवा लेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझसे इस बात का प्रश्न कर सकते हैं कि यह कैसे होगा? इसके लिये मैं आपका ध्यान इस बिल की उस धारा की तरफ दिलाऊंगा जो उसमें रक्खी जा रही है अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें एक्जीक्यूटिव कमेटी में वन थर्ड से अधिक आदमी गवर्नमेंट के नामिनीज हैं, चांसलर के नामिनीज हैं। अब यह व्यवस्था है। अगर सर्वसम्मति से एक नाम आ जाता है तो गवर्नमेंट या कोई इंटरेस्टेड मिनिस्टर या मंत्री अपने आदमी को नहीं बुला सकता। लेकिन अब इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परिपाटी इसलिये रख दी गई है कि जिसको वह चाहें वही वाइस-चांसलर हो सके। क्योंकि एक्जीक्यूटिव कमेटी में इतने सदस्य गवर्नमेंट के नामिनेटेड होंगे और कुछ कोर्ट के द्वारा आ सकते हैं जिससे वन थर्ड की मैजारिटी से कोई नाम पैनल में भेजा जा सकता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि यह बिल फिर से वापस प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय क्योंकि जो व्यवस्था अभी तक रही उसकी गुप्त जी ने भी बड़ी सराहना की कि हमारे यहां वाइस-चांसलर की नियुक्ति की जो प्रणाली रही वह बहुत ही सुन्दर रही, इलाहाबाद की तरह यहां कभी गड़बड़ी नहीं हुई, पार्टी पालिटिक्स यहां इसके कारण नहीं बढ़ी। तो अगर यहां की व्यवस्था में कभी गड़बड़ नहीं रही और अच्छी थी तो आपको क्या जरूरत थी कि आप इलाहाबाद वाली व्यवस्था को यहां ले आयें? कोई सुधार वहीं होता है जहां कोई गलती बुराई होती है। जब कोई गलती बुराई ही नहीं है, जैसा कि आपने माना और अपने भाषण में भी कहा कि कभी हमारे यहां इस व्यवस्था के कारण लड़ाई आपस में नहीं रही, तो उस समय मैं इसको वापस इसीलिये भेजना चाहता हूं कि वही व्यवस्था यहां रहे जो पहले थी कि एक्जीक्यूटिव कमेटी केवल एक नाम भेजे। मेरी इस बिल को वापस भेजने की यही सबसे बड़ी वजह है। आपके कथनानुसार इलाहाबाद वाली प्रणाली इलाहाबाद के लिये ठीक नहीं थी। उसमें कोर्ट के द्वारा चुनाव होता था, उसमें दलबन्दी होती थी और उसके कारण वहां बड़ी-बड़ी लड़ाइयां होती थीं और जिसके कारण यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा गिरती थी, टीचर्स पढ़ाने के बजाय दलबन्दी में पड़ जाते थे लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में इस तरह का कांड तो अभी तक नहीं हुआ और जब अभी तक इस तरह का कांड नहीं हुआ और न होने की आशा है तो मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल फिर से प्रवर समिति को वापस भेजा जाय और उसमें वही व्यवस्था रखी जाय जो पहले थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई खराबी होने की आशंका नहीं आई और न आयेगी और इसलिये मैं समझता हूं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो यह पुराने लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक का अपमान है और यह गुप्त जी के विरुद्ध लांछन है कि जब कोई गलती बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है, तो संशोधन किस बात का? आपको कोई सनक सवार तो हो नहीं गई है और आपका दिमाग तो खराब हो नहीं गया है क्योंकि जब इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई गलती नहीं है तो सुधार किस बात का? आपने जब उसमें कोई खराबी नहीं देखी तो इस नई व्यवस्था को उस पर लादने का आखिर मतलब क्या है? आपका इलाहाबाद वाली व्यवस्था को लखनऊ विश्वविद्यालय पर लादने का क्या मतलब है? या तो आप साफ कहिये कि हम अपने आदमी को भेजना चाहते हैं और

इसलिये यह व्यवस्था रखना चाहते हैं या आप समझाइये कि इस मूल अधिनियम के द्वारा यह अन्याय हो रहा है और इसलिये हमने यह संशोधन सदन के सामने पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल पेश करते हुये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह दलील दी थी कि हमारे इस विधेयक का आधार राधाकृष्णन कमीशन, मूथम कमेटी और न जाने कौन कौन कमेटियां हैं; पता नहीं। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से माननीय गुप्ता जी ने भी इन कमेटियों का नाम ले दिया। तो मैंने पहले भी इनको पढ़ा था और जब उनका भाषण सुना तो रात में इन किताबों के पन्ने पलटाये, लेकिन कहीं भी मुझे एक शब्द ऐसा नहीं मिला कि जिसके आधार पर माननीय मंत्री जी ने यह व्यवस्था की है, यह विधेयक पेश किया है। आपकी आज्ञा से मैं राधाकृष्णन कमीशन का वाइस-चांसलर के विषय में क्या सुझाव है, पढ़ देना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से एक बात कह देना चाहता हूं कि वह अपने संशोधन की पुष्टि में बातें कहें, विधेयक की कमजोरियों को बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यह संशोधन स्वीकार, क्यों किया जाय, इसके विषय में कह सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--श्रीमान् जी, यही मैंने कहा कि पुराने ऐक्ट में यह व्यवस्था थी कि एक्जीक्यूटिव कमेटी एक आदमी को नौमीनेट करे और मेरी समझ में यह बहुत अच्छी है। मंत्री जी ने भी कल यही कहा था कि इस व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है और जो सुधार किये गये हैं वे राधाकृष्णन कमीशन और तमाम कमेटियों के ऊपर आधारित हैं लेकिन जो विधेयक अब आ रहा है उसमें मैं वह चीज नहीं देख रहा हूं, इसीलिये मैं इसको प्रवर समिति में भेजना चाहता हूं कि जो माननीय गुप्ता जी ने इस बिल में बातें रखी हैं उनके बिलकुल विपरीत राधाकृष्णन् कमीशन ने राय दी है और उन्होंने उसी बात की ताईद की है जो इस ऐक्ट में पहले से थी। राधाकृष्णन कमीशन की वाल्यूम एक, पेज ४२२-४२३ पर वाइस-चांसलर की, जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात है, इस बात को स्पष्ट किया है जहां इस तरह के चुनाव की व्यवस्था है वहां घपला होने की गुंजाइश है। इसको दूर करना चाहिये। कमीशन का यह मत है:--

"In the State Universities, as it is the Vice-Chancellor is externally appointed. After careful consideration, we reject this idea, feeling in the first place, that a Vice-Chancelor for whose appointment the University is responsible will find it easier to gain the respect and confidence of his colleagues; and secondly that it is really a part of a university's duty to learn how to choose its own Vice-Chancellor wisely and that, therefore to deprive it of this duty would be a consel of despair. But we recommed that certain safeguards in the method of choosing the Vice-Chancellor should be laid down by each university in its statutes."

उन्होंने जो व्यवस्था दी है वह मैं सब नहीं पढ़ूंगा सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये जो अप्लाई करती है वही पढ़ूंगा।

राधाकृष्णन कमीशन का मत है--

"(*i*) The Chancellor should appoint the Vice-Chancellor upon the recommendation of the Executive;

(*ii*) The Executive should send forward one name only to the Chncellor. He can of course refer the name back but cannot initiate the appointment himself."

यह उनकी सलाह है कि एक्जीक्यूटिव कमेटी सिर्फ एक नाम केवल भेज सकती है और आपने इसमें व्यवस्था की है तीन नाम भेजने की।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--डेमोक्रेसी है, इसी से यह व्यवस्था की गई है।

श्री जोरावर वर्मा—जी नहीं, इसमें कुछ राज है। केवल एक नाम एक्जीक्यूटिव कमेटी भेजे, इससे अधिक नहीं। हां, गवर्नर महोदय को अधिकार है कि अगर एक नाम आता है, वह उसको फिर रिटर्न कर सकते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही की व्यवस्था थी और मैं चाहता हूं कि जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है इसको प्रवर समिति को लौटा दिया जाय क्योंकि इससे अन्याय होने की गुंजाइश है और यूनिवर्सिटी की शिक्षा का हित नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि वाइस-चांसलर के चुनाव के संबंध में यह जो विधेयक सामने है और जो पुराना यूनिवर्सिटी ऐक्ट था, दोनों में वाइस-चांसलर की नियुक्ति का कोई स्टैन्डर्ड नहीं था कि किस व्यक्ति को हम वाइस-चांसलर बनावें। मैं यह चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय और इस बात पर पूर्ण रूप से विचार हो कि कैसा आदमी वाइस-चांसलर नियुक्त हो। वाइस-चांसलर कौन हो, इसके लिये राधाकृष्णन् ने कमीशन ने सिफारिश की है या और बड़े बड़े विद्वानों ने जिनका कि नाम मैंने अभी लिया, बताया है। डा० हृदयनाथ कुंजरू, डा० अमरनाथ झा और इकबाल नारायण गुर्टू तथा और जितने इस देश के माने हुये विद्वान हैं, सबने इस बात पर जोर दिया है कि वाइस-चांसलर वही व्यक्ति होना चाहिये जिसने कम से कम दस साल तक किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षण का कार्य किया हो या जो कम से कम ५ वर्ष तक किसी युनिवर्सिटी, कालेज का प्रिंसिपल रहा हो या ऐसा आदमी हो जो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हो जिसकी रेसपेक्ट सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स करते हों। आपकी आज्ञा से मैं इस पुष्टि में राधाकृष्णन कमीशन के पेज ४२२ से पढ़ देना चाहता हूं :—

" It is his duty to know the Senior members of the staff intimately, and to be known to all members of the staff and students, He must command their confidence both by adequate academic reputation and by strength of personality. He must know his university well enough to be able to foster its points of strength and to foresee possible points of weakness before they become acute. He must be the 'keeper of the university's conscience,' both setting the highest standard by example and dealing promptly and firmly with indiscipline or malpractice of any kind. All this he must do and it can be done as constitutional ruler ; he has not, and should not have autocratic power. Besides this, he must be the chief liason between his univiersity and the public; he must keep the univerisy alive to the duties it owes to the public which it serves, and he must win support for the university and understanding of its needs not merely from potential benefactors but from the general public and its elected representatives. Last, he must have the strength of character to resist unflinchingly the many forms of pressure to relax standards ofall sorts, which are being applied to universities today.

That is a full-time task and it needs an exceptional man to undertake it."

यह उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राधाकृष्णन कमीशन की राय है इस प्रकार का व्यक्ति वाइस-चांसलर होना चाहिये। अब आपकी आज्ञा से इतना थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं कि कल हमारे माननीय गुप्ता जी ने यह कहा था कि ऐसे-ऐसे योग्य वाइस-चांसलर हमने अपने यहां चुने, जिनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है लेकिन मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आक्षेप न करते हुये आपका ध्यान गत लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कांड हुआ, उस की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर उसका कोई सब से बड़ा कारण है तो वाइस-चांसलर की इनकांपिटेंसी है जो अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने स्टूडेंट्स को नहीं सम्हाल सके और वहां गवर्नमेंट को अपनी फोर्स (शक्ति) लगानी पड़ी। मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी के लिये ही नहीं बल्कि यू० पी० गवर्नमेंट के लिये और सब के लिये जो इसके लिये उत्तरदायी है, बड़े शर्म की बात है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस प्रांत में यही

एक संस्था है जहां पर कि स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चली और गोली ही नहीं चली बल्कि यहां के विद्यार्थियों में एक मर भी गये, उसका कारण क्या है ? क्या कभी माननीय मंत्री जी ने इसको भी ध्यान से सोचा है कि आखिर उन्होंने वहां ऐसा वाइस-चांसलर क्यों लाद दिया है ? उपाध्यक्ष महोदय, वहां ऐसे वाइस-चांसलर हुये कि जिस रास्ते से चलते थे, लड़के तालियां बजाते और लोग मजाक उड़ाते थे। तो क्या मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछ सकता हूं, इस सरकार से और उन लोगों से भी जो इसके जिम्मेदार हैं कि क्या ऐसे वाइस-चांसलर को लादने से वह आशा पूरी हो सकती है जो कि कल माननीय मंत्री जी ने की थी कि हमारे विश्वविद्यालय ऐसे हों कि जिन से देश को प्रकाश मिल सके और वह कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड का मुकाबला कर सकें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ? मैं तो समझता हूं कि कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। हमारा यह देश भारतवर्ष वह देश है जहां पर शिक्षार्थियों ने अपने गुरुओं को ईश्वर से भी अधिक समझा है और मैं आपकी आज्ञा से संत कबीर का एक दोहा पढ़ देना चाहता हूं जिसमें गुरू का महत्व ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। संत कबीर ने कहा है :—

गुरु गोबिन्द दोनों खड़े काके लागूं पांय।
बलिहारी उन गुरुन की जिन गोबिन्द दिये बताय।।

तो वह ईश्वर को भी ठुकराते हैं और कहते हैं कि गुरू ही मेरे लिये सब कुछ है, मैं ईश्वर को नहीं जानता। तो वहां यह व्यवस्था है कि हमारे गुरुओं का या वाइस-चांसलर का इस तरह से अपमान हो ? मैं यह नहीं कहता हूं कि वाइस चांसलर का ही इसमें दोष है। मैं तो उस अथारिटी को इसका दोषी समझता हूं जिसने उनको इसके ऊपर लादा है।

इस प्रकार से जो जिस पद के लिये योग्य नहीं हो, जो जिस कार्य को सम्भाल न सकता हो उन्हीं को फिर भी उस पर लाद दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह इस सरकार के लिये और ऐसे लोगों के लिये बड़े शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात और कह देना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा था कि हमारे यहां इस प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ कि वाइस-चांसलर जिसको तय किया गया उसका विरोध किया गया हो लेकिन मैं वह दिन बता सकता हूं, समय बता सकता हूं, वह बातें बता सकता हूं जबकि प्रेजेंट वाइस चांसलर का एक्सटेंशन हुआ तो वहां जो टीचर्स रेप्रेजेंटेटिव ह उन्होंने विरोध किया, लेकिन तब भी वही वाइस-चांसलर हुए। तो यह कथन सत्य से परे है कि विरोध नहीं होता, होता है, लेकिन क्या होता है ? वहीं होता है जहां जबरदस्ती की जाय, जहां यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई आदमी लादा जाय। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं यह चाहता हूं कि यह बिल फिर से रेफर कर दिया जाय ताकि इसमें जो व्यवस्था थी पुराने ऐक्ट में कि एक्जिक्युटिव को ही अधिकार हो कि यूनेनिमसली कम से कम एक नाम भेजे तो आज कल लोगों की राय यह है कि पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब कम से कम विद्वानों का आदर तो होता था, विद्या का आदर होता था, उस समय विद्वान लोग ही वहां पहुंचते थे, उनको ही वहां पद दिये जाते थे, लेकिन इस डेमोक्रेसी में जब कोई भी आदमी वोटों के बल पर या पार्टी के बल पर वहां पर लादा जा सकता है तो इसमें कोई न कोई इस प्रकार का बन्धन जरूर हो जो यूनिवर्सिटी की शोभा को न घटाये, उसका अपमान तो न करे। इस बात की ओर राधाकृष्णन कमीशन ने भी संकेत किया है और श्रीमन्, आपको याद होगा कि मैंने पढ़ा था कि मूथम कमेटी की भी यही राय है, उनका भी मत है कि यूनिवर्सिटी में हम ऐसे वाइस-चांसलर को भेजें जो टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, शिक्षा में, यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट रखते हों और उनकी रेस्पेक्ट को कमांड करते हों, ऐसे आदमी न हों जिन को ऊपर से बाहरी आदमी लाद दें और यूनिवर्सिटी उसके भार को सहन न करे या उसको ठुकरा दे और इसके कारण यूनिवर्सिटी का भी अपमान हो।

तो उपाध्यक्ष महोदय, आगे आप देखेंगे कि कोर्ट के कंस्ट्रक्शन का जहां तक संबंध है, कोर्ट में जहां पुरानी व्यवस्था थी उसके अनुसार अभी तक यह देखा गया है या जैसे कहा गया कि इस कमीशन के आधार पर हमने यह तमाम बातें निर्णय की हैं तो राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी यूनिटरी करैक्टर की हो, चाहे फेडरल करैक्टर की, चाहे टीचिंग या अफिलिएटिंग

[श्री जोरावर वर्मा]

हो, उसकी जो बाडी है उसकी अधिकतम संख्या ऐसी होनी चाहिये कि जो सौ की संख्या है उसके अन्दर कम से कम इस बात का प्रोपोर्शन जरूर हो कि आधे तो सदस्य ऐसे हों जो यूनिवर्सिटी के हों और आधे आउटसाइडर हों? आपको आज्ञा से राधाकृष्णन कमीशन की एक लाइन में पढ़ देना चाहता हूं--

"The total number should not exceed hundred. Our witnesses are practically unanimous that a body larger than hundred can not fulfill its proper function. The Senate should be more or less equally divided between internal and external members."

यह उपाध्यक्ष महोदय, इस राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट है। लेकिन अगर आप इस विधेयक को देखें तो इसमें कोर्ट के कंस्ट्रक्शन में कुछ हद ही नहीं है, कोई तादाद ही नहीं कि आया सैकड़ों या हजारों तक होगी।

एक सदस्य--१६० है।

श्री जोरावर वर्मा--आपने पढ़ी नहीं है।

डाक्टर सीताराम--१६० है।

श्री जोरावर वर्मा--आपने भी ठीक से नहीं पढ़ा। आप गलतफहमी में हैं। वह तो अनलिमिटेड है। जो एक्स-आफीशियो मेम्बर्स हैं उनके सहित १६० होगी? देखिये धारा १६ की उपधारा (2-A) एक्सक्लूडिंग लाइफ मेम्बर्स उनमें कितने आते हैं, जिन्होंने एमीनेंट सर्विसेज की हैं। उनका तो खैर १०-५ का नम्बर हो सकता है। कमीशन ने कहा है कि "यूनिवर्सिटी शुड नाट परचेज बाई मनीड मैन" लेकिन आपने रखा है कि जो २० हजार रुपया से ज्यादा यूनिवर्सिटी को देता है वह लाइफ मेम्बर हो सकता है। ऐसे लोगों की कोई संख्या है, क्या सभा सचिव इसको बताने की कृपा करेंगे कि उनकी कोई हद्द है? उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब पता नहीं कि राधाकृष्णन कमीशन का न जाने क्यों नाम ले लिया जाता है। मैं तो समझता हूं कि यह कमीशन का अपमान है क्योंकि इसने जो रिकमेंडेशन की है उस पर तो शतांश भी ध्यान नहीं दिया गया है। जो व्यवस्था सरकार ने यानी शिक्षा मंत्री जी ने की है वह उससे बिलकुल उल्टी है। कमीशन की राय का उसका सार यह है कि हमें ऐसी व्यवस्था रखना है कि यह जनतांत्रिक शासन है कहीं ऐसा न हो कि कैपिटलिस्ट्स यूनिवर्सिटीज को परचेज कर लें और इसे फैक्ट्री बना लें। राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के ४२५ पृष्ठ पर कैपीटेलिस्ट्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। उसने नम्बर बतला दिया है कि अधिक से अधिक ५ हो।

"The donor even of the largest sum should not have the right as an individual to a seat on the Senate, still less shold he have the right to nominate some one else to a seat. Without doubt a conspicuoulsy generous donor and friend of a University would be placed on the Senate, either by the donors or by co-option or as a nomnee of the Chancellor. But there is danger, if donations of a certain size, carry with them an automatic seat on the Senate, that the balance of Senate membership may be distorted or in extreme cases that a group could buy up the control of a University."

ऐसा समय आ सकता है कि आप ने जो यह संख्या १६० रखी है हो सकता है वह २६० हो जाय तो आप क्या करेंगे तो क्या हमारी सरकार का यह मकसद है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जनतांत्रिक सिद्धांत को अपनाया है वह चाहती है कि हमारी यूनिवर्सिटीज कैपीटलिस्ट का अखाड़ा बने और फैक्ट्री की तरह यहां भी कार्यालय स्थापित किया जाय या आप इसमें कमलापति जुग्गीलाल का जूट मिल बनाना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको आपके सामने रखा जा सकता है। यह चीज न तो राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में है, न मूथम कमेटी की रिपोर्ट में और न आचार्य नरेंद्रदेव कमेटी की रिपोर्ट में है। कल गुप्ता जी ने जिक्र किया था, उनका नाम लेने से मैं तो समझता हूं कि उनके साथ अन्याय है क्योंकि जिन बातों की ओर उन्होंने संकेत किया है उनकी ओर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने फूटी आंख से भी नहीं देखा है, अच्छी आंखों से देखना तो बहुत दूर की बात है। यह कहना कि हमारा बिल बहुत अच्छा है, घोर अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपकी आज्ञा से एक्जीक्यूटिव कमेटी पर आता हूं। उसकी व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है। हमारे कमीशन ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी हो, लेकिन २० सदस्यों से अधिक उसमें नहीं होंगे और क्या व्यवस्था होगी "देअर मस्ट बि पैरिटी" यानी आधे मेम्बर्स यूनिवर्सिटी के होंगे और आधे आउटसाइडर्स होंगे। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो इंटर्नल मेम्बर्स हों उनकी संख्या अधिक हो इसलिये कि जब उनकी अधिक संख्या रहेगी तो यूनिवर्सिटी का वह कुछ ध्यान रखेंगे और अगर आपने आउटसाइडर्स की अधिक संख्या रख दी तो उसका क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता हूं, यह तो यह सदन ही बतायेगा या आने वाला समय बतायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक और विशेष बात यह है कि जो हमारा पुराना लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट था उसमें यह व्यवस्था थी कि चांसलर के कुछ नामिनी होते थे और टीचर्स के रेप्रेजेंटेशन की जो वर्तमान संख्या रखी गयी है उससे अधिक थी लेकिन अब बजाय चांसलर के नामिनी के स्टेट गवर्नमेंट के नामिनी बढ़ा दिये गये हैं और टीचर्स की संख्या सिर्फ २ रखी गयी है। २६ या २७ मेम्बरों में सिर्फ २ अध्यापक रहेंगे जब कि राधाकृष्णन कमीशन ने, आचार्य नरेंद्र देव और मूथम कमेटी ने इस बात को बिलकुल साफ कहा है कि टीचर्स को तो इगनोर ही नहीं किया जा सकता। इस बात के लिये तमाम प्रमाण जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें भरे पड़े हैं, लेकिन मैं उसको संक्षेप में ही कहता हूं ताकि सदन का समय अधिक न लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा सा कमेटी आफ रेफरेंस पर आइये कि जो कमेटी हमारी सरकार ने विधेयक में प्रस्तुत की है और जो पुराना ऐक्ट है अगर दोनों का आप मुकाबिला करें तो पता लग जायगा कि हमारी सरकार का क्या मतलब है? जो पुराना ऐक्ट है उसमें यह है कि जो कमेटी आफ रेफरेंस हो वह न्यू आइटम्स के ऊपर गौर करेगी कि उसका एक्सपेंडीचर किस प्रकार से हो। लेकिन जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी का सारा बजट एक कमेटी के कंट्रोल में होगा और तमाम आइटम्स पर यह कमेटी विचार करेगी। इतना ही नहीं, जो पुरानी कमेटी आफ रेफरेंस थी उसमें मैं समझता हूं कि कोई गवर्नमेंट का रेप्रेजेन्टेटिव भी नहीं था लेकिन अब इसमें वाइस-चांसलर है, ट्रेजरर है, तीन कोर्ट के मेम्बर, दो गवर्नमेंट द्वारा नामिनेट किये हुए आदमी होंगे। चाहे जहां जाइये आपको स्टेट गवर्नमेंट से छुटकारा नहीं मिल सकता। मालूम पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट को सिवाय यूनिवर्सिटी के और कोई काम ही नहीं रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य इस बात को भूले जा रहे हैं कि उन्हें बिल का विरोध नहीं करना है बल्कि उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है। अपने प्रस्ताव की पुष्टि में ही उनका भाषण होना चाहिये। विधेयक की त्रुटियां तो और संशोधनों के द्वारा भी दूर की जा सकती हैं।

श्री जोरावर वर्मा—जी, अच्छा मेरा भाषण इसी के समर्थन में हो रहा है। इस लिये इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसी पर गौर किया जाय और जो नयी व्यवस्था की जा रही है उसको ड्राप किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक जो सबसे बड़ी बात आती है वह है टीचर्स के विषय में डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेना। वाइस-चांसलर और उनकी सलाह के लिये एक जज होंगे और वे दोनों एक आदमी कोआप्ट करें और यह कमेटी टीचर्स के बारे में निर्णय दें। उपाध्यक्ष महोदय,

[श्री जोरावर वर्मा]

मैं समझता हूं कि आज तक शायद संसार के किसी भी विश्व विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि टीचर्स का इस तरह से विक्टिमाइजेशन किया जाय। यह ठीक है कि उनसे गलतियां हो सकती हैं, गलतियां सब से होती हैं, लेकिन ऐसे युग में जब कि घोर पार्टीबन्दी का जमाना है, जैसा कि मंत्री जी ने कल बतलाया था, ऐसे युग में टीचर्स के लिये एक विक्टिमाइजेशन की कमेटी बना देना जो उनके कांडक्ट के तमाम प्रकार की बातों की देखभाल करेगी। इस प्रकार का मामला जब उनके सामने रेफर होगा तो इस पर विचार करेंगे। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इसको फिर प्रवर समिति में भेज दिया जाय। या तो इसमें सुधार किया जाय बजाय जज के टीचर्स या सबसे अधिक अच्छा तो यही होता कि जो हमारी अकेडेमिक कौंसिल है उसके ऊपर इस कार्य का भार सौंप दिया जाय क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था का, टीचर्स का जो आन्दोलन चल रहा है जब से यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तबसे घोर विरोध हो रहा है। जहां भी टीचर्स को मौका मिला है यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने इसका घोर विरोध किया है क्योंकि इस कमेटी को बजाय 'कंसलटेटिव कमेटी टु एडवाइज आन एनी डिसिप्लिनरी मैटर अफैक्टिंग ए टीचर' कहने के इसको "पालिटिकल मेजर कमेटी" कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि यह जो कमेटी रखी गयी है इसके अन्दर पालिटिकल मैटर्स होंगे। इसमें राजनीति छिपी हुई है। जो टीचर किसी विशेष पार्टी से संबंध नहीं रखता होगा तो उसको किसी न किसी प्रकार कमेटी द्वारा रगड़ दिया जायगा, क्योंकि उसके बचाव के लिये इस विधेयक में कोई चारा नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर सचमुच पुरानी भारतीय परम्परा को कायम रखना है जो कि नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों में थी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा भी है और उन्होंने यह भी कहा कि मैं टीचर्स का बड़ा आदर करता हूं तो जहां वह टीचर्स का आदर करते हैं और आशा करते हैं कि आगे आने वाले विद्यार्थी भी आदर करेंगे, तो यह जो उनके विक्टिमाइजेशन की व्यवस्था की गयी है इससे टीचर्स स्वतंत्र रूप से कार्य कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार वह भली भांति शिक्षा देने का कार्य सम्पादित कर सकते हैं। जब रात दिन उन पर यह नंगी तलवार लटकती रहेगी क्योंकि इसमें कोई नियम है नहीं कि किस प्रकार का कार्य करेंगे तब उनके कंडक्ट के खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता था कि यह कंसल्टेटिव कमेटी जो है उसमें जो वाइस-चांसलर रखे गये हैं, उनको न होना चाहिये क्योंकि अगर सचमुच में यह चाहते हैं कि टीचर्स के कंडक्ट को देखना चाहिये कि अध्यापन कार्य को भूल कर पार्टी पालिटिक्स में तो नहीं पड़ जाते हैं या पढ़ाने में सुस्त हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसको रिटर्न कर दिया जाय और जो इस कमेटी का चेयरमैन वाइस-चांसलर को रखा गया है, इसको हटा कर किसी डीन आफ फैकल्टी या हेड आफ दि डिपार्टमेंट को रखा जाय और यह जो जज की व्यवस्था की गयी है यह भी विश्वविद्यालय की इज्जत के खिलाफ है। जितना शिक्षित वर्ग और टीचर्स हैं सब इसके लिये खिलाफ है। यह विश्वविद्यालय के घर की बात है। इसलिये अपने ही आदमियों द्वारा इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इसका दायरा यूनिवर्सिटी तक ही रहे। टीचर्स का कंडक्ट हेड आफ डिपार्टमेंट और डीन आफ फैकल्टी द्वारा देखा जाता है और वही कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें जो व्यवस्था की गयी है इससे टीचर्स को बड़ी परेशानी होगी और वह अपनी ड्यूटी कभी नहीं कर पायेंगे। वह इशारे पर नाचेंगे किसके? हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के या हो सकता है कि हमारी सरकार के गवर्नर महोदय के इशारे पर? क्योंकि उसको हमेशा संदेह रहेगा कि कोई यह जासूस कमेटी तो नहीं नियुक्त कर दी गयी है। जब टीचर्स को सदैव यह संदेह रहेगा तो वह अध्यापन कार्य अच्छी तरह से कैसे कर सकेंगे? तो कम से कम ऐसी जो धारायें है जैसे कंसलटेटिव कमेटी बना दी गयी है जिसका कार्य वाइस-चांसलर को दिया गया है इसके ऊपर पुनः गौर होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डिसिप्लिन की बात आती है हम यह देखते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कल बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि वे यूनिवर्सिटी में जो इनडिसिप्लिन बढ़ रहा है,

उसे मिटा देना चाहते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने उसका बहुत कुछ भार टीचर्स पर डाला लेकिन हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो पूरा भार टीचर्स पर ही डाला था कि वे अपनी ड्यूटीज अदा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है और पालिटिक्स में पड़ गये हैं। उन्होंने पोलिटीशियन टीचर्स का बड़ा घोर विरोध किया और जो इनडिसिप्लिन बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर लादी। मैं समझता हूं कि ऐसा न हो कि हमारी सरकार को गलतफहमी हो गई हो। इनडिसिप्लिन केवल यूनिवर्सिटीज में ही नहीं है, इनडिसिप्लिन की व्यवस्था हमारे समाज में मिलेगी, सरकार के किसी विभाग में भी जाइये वहां मिलेगी लेकिन इसको सिर्फ टीचर्स पर ही लाद देना, मैं समझता हूं कि यह सत्य के परे होगा। अगर आप देखें कि इनडिस्पिलिन की व्यवस्था हमारे देश में कैसे आई तो हमें मालूम होगा कि इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे इन नेताओं को ही है। जिस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध चल रहा था उस समय इन नेताओं ने ही यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टूडेंट्स के अन्दर ऐसी भावना भरी, उनसे स्ट्राइक करवाई, उनसे जुलूस निकलवाये। यह ठीक है कि आज जमाना बदल गया है, उनको उस रवैये को बदलना चाहिये लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं क्या इसके लिये आप कुछ समय भी देंगे। कोई जादूमन्तर तो है नहीं उनके पास। यह जो व्यवस्था आप करने जा रहे हैं इनडिसिप्लिन को ठीक करने के लिये मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। जो इस ऐक्ट में डिस्ट्रस्ट और अविश्वास को रक्खा जा रहा है वह इस बिल से निकल जाना चाहिये। मैं चाहता हूं इसीलिये कि यह बिल पुनः प्रवर समिति को रेफर कर दिया जाय। यह बिल अविश्वास पर कायम है जिसमें न स्टूडेंट्स पर विश्वास है, न टीचर्स पर विश्वास है, अगर विश्वास है कुछ तो सरकार के ऊपर है, हमारी सरकार ही है जो कुछ है और कोई कुछ नहीं। उन यूनिवर्सिटियों पर जिन्होंने देश की सेवा की है, जो आगे हमारे लीडरों को ट्रेनिंग देंगी, जिन पर हमारे इस देश के भविष्य का निर्माण निर्भर करता है, इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कर लेना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि फिर आपका विश्वास है, तो किस पर है? क्या उस अपढ़ ग्रामीण जनता पर है जिसने बिना समझे बूझे कुछ लोगों को वोट दे दिये? इतने कड़े-कड़े बन्धन लगाने के लिये ही यह अधिनियम लाया गया है ताकि हम यूनीवर्सिटी को कठपुतली बना दें। नियमों और उपनियमों के द्वारा ऐसा करना कुछ उचित नहीं है। यह जो व्यवस्था है इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी सरकार पर भी है। इसलिये मैं सरकार को एक चांस और देना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री को देना चाहता हूं कि जो व्यवस्था उन्होंने इस विधेयक में की है, शिक्षित समाज के विरुद्ध उस पर वह पुनः विचार करें और देखें कि वास्तव में यह जो इन-डिसिप्लिन फैला है और जो बुरी व्यवस्था युनिवर्सिटी के अन्दर आई उसके लिये कौन जिम्मेदार है? टीचर्स और स्टूडेंट्स इसके लिये जिम्मेदार हैं या खुद माननीय मंत्री जी ही जिम्मेदार हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं इस सदन को आपके द्वारा बतलाऊं कि यह जो इनडिसिप्लिन फैला इसका क्या इतिहास है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं? यह जो इन-डिसिप्लिन फैला, यह तब से फैला जब से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के हाथ में शिक्षा की बागडोर आई। इसकी तरफ पूरा ख्याल किया जाय तो पूरा पता लग सकता है कि इसके पहले यूनिवर्सिटी में टीचर्स और विद्यार्थियों के बीच क्या व्यवस्था थी। इस प्रकार की बात कह देना कि सारी उनकी जिम्मेदारी है, यह उचित नहीं जान पड़ता है।

मैं इस बिल को पुनः सेलेक्ट कमेटी में इसलिये रेफर कर देना चाहता हूं कि उसमें कम से कम वहां इन बातों पर और विचार हो जायगा। जब पूरे प्रान्त की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, प्रान्त की सारी शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है तो फिर उन लोगों के ऊपर इतना डिसट्रस्ट नहीं करना चाहिये। उनके प्रति इस प्रकार की घृणा का भाव नहीं रखना चाहिये। अभी उनके विषय में जब यह बात कही गयी तो उसका चारों ओर से विरोध हुआ था। इस प्रकार की बातों पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। जिस प्रकार से अध्यापक हैं उसी प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्री जी भी एक समाज के व्यक्ति हैं। इस प्रकार के कहने से गलतफहमी की भावना उत्पन्न हो सकती है। उन लोगों में यह भावना पैदा हो

[श्री जोरावर वर्मा]

जायगी कि इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल के द्वारा ही की गयी है। इस बिल पर उनको पुनः विचार करना चाहिये जिससे उनकी यह कठिनाई दूर हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सरकार से और माननीय मंत्री जी से इस बात का कम से कम निवेदन करूगा कि जो यह कमीशन जिसकी दुहाई उन्होंने यहां पर दी, उसका रिगार्ड करें, क्योंकि यह कमीशन श्री राधाकृष्णन जी के सभापतित्व में बैठा था जो कि शिक्षा के बड़े भारी विद्वान थे। मैं यह समझता हूं कि वह हमारे प्रान्त के ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के वाइस-प्रेसीडेंट हैं, इसलिये कि उनका स्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कमेटी को यह बिल इसलिये रेफर किया जाय कि इसमें जो व्यवस्था एफिलियेटिंग कालेजों की की गयी है वह मूथम कमेटी के कहने के अनुसार की गयी है जैसा कि उन्होंने पिछले बिल के समय बतलाया था। इस प्रकार की व्यवस्था लन्दन की युनिवर्सिटी में भी है लेकिन उन्होंने भी यूनिटरी करेक्टर के होते हुए कुछ कालेजों को मान्यता दी है। वहां पर इसके उन्होंने भी दो एस्पैक्ट कर दिये हैं। माननीय मंत्री जी ने मूथम कमेटी का नाम लिया था। कम से कम मूथम कमेटी की ओर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें जो व्यवस्था बतलायी गयी है एक तो इन्टरनल और दूसरी एक्सटरनल यह दो व्यवस्थायें वहां पर रखी गयी हैं। जिस प्रकार कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है कि अब उनको एफिलियेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिये यह करना पड़ेगा कि उनके लिये अलग से एक एक्जिक्यूटिव बाडी बनानी पड़ेगी और इस प्रकार की वह व्यवस्था मैं समझता हूं कि यूनिटरी या रेजिडेंशियल केवल एक तरह की ही वह रह सकेगी या तो फिर उसका यूनिटरी करेक्टर हटाइये और अगर उसको नहीं हटाना चाहते हैं तो जिन कालेजों को रिकगनिशन दी है उनको वह रिकग-निशन न दीजिये। जिस प्रकार अभी तक लखनऊ युनिवर्सिटी है उसको वैसे ही रखिये और आगरा यूनिवर्सिटी एफिलियेटिंग है तो कालेजों को उनके साथ रख दीजिये। तो आप इस प्वांइंट आफ व्यू से इस पर विचार करें हमको इस कमेटी को फिर से इसलिये रेफ़र करना है कि हमारा स्टैंडर्ड आफ़ एजूकेशन, शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है और उस हालत में गिर गया जब कि यूनिटरी रेजीडेंशल करेक्टर यूनिवर्सिटियों का था। तो जब यह कैरेक्टर होते हुये भी इनका स्टैंडर्ड गिर गया...

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि वह कुछ और यसम लेना चाहते हैं क्या?

श्री जोरावर वर्मा—जी हां, १०-५ मिनट तो कम से कम लगेगा ही।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जोरावर वर्मा—मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मैं विश्वविद्यालय की ओटोनामी पर बोल रहा था और मैं यह कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज की दूसरी जो बाडीज हैं उन पर गवर्न-मेंट ने पावर्स बढ़ा कर अपना क़ब्जा कर लिया है और इस तरह से यूनिवर्सिटी का एक प्रकार से अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया है। इसलिये इस पर पुनः कंसीडरेशन होना चाहिये। इसके अलावा अधिष्ठाता महोदय, अगर आप ट्रेजरर के एप्वाइंटमेंट और उसकी पावर्स पर विचार करें और उनसे पुराने ऐक्ट में जो ट्रेजरर को पावर्स दी हुई है उनका मुकाबला करें तो आपको मालूम होगा कि हमारे इस प्रस्तुत विधेयक में ट्रेजरर को किस प्रकार से होल एण्ड सोल मोनार्क आफ फाइनेंस की बना दिया गया है इससे पता चलता है कि इस बिल को क्यों दुबारा प्रवर समिति में भेजे जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वाइस-चांसलर के अप्वाइंट-मेंट में पहले एक्जीक्यूटिव सिफारिश करती है, वैसा ही ट्रेजरर की नियुक्ति के बारे में भी कहा गया है और अब इस बिल में ट्रेजरर की नियुक्ति में दूसरे प्रोसीजर के एडाप्ट करने

का प्रस्ताव रक्खा गया है । अगर यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी समिति यदि एक नाम को यूनेनीमसली तय नहीं करती है तो बजाय इसके कि वह एक नाम को तजवीज करे तीन नामों के पेनल को भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है। उसकी पावर्स को इतना अधिक बढ़ा दिया गया है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल जो कि एक सुप्रीम बाडी है, उसको भी उसके मातहत कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त एक बात और मैं कह रहा था कि युनिवर्सिटी का जो वास्तव में यूनिटरी करेक्टर है उसको चेंज करने की व्यवस्था की जा रही है उसमें यह निश्चित नहीं किया गया है कि जो एफीलिएटिंग कालेजेज लिये जा रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी। इसी प्रकार से जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक हमारे सामने आया था उसमें माननीय मंत्री जी को यह स्वीकार करना पड़ा था कि जिन-जिन संस्थाओं को हमने स्वीकृति दे दी है इन ४-५ संस्थाओं के अलावा और संस्थाओं को स्वीकृति नहीं दी जायगी, लेकिन हमारे सामने जो प्रस्तुत विधेयक है उसमें कोई लिमिट नहीं है कि जितनी संस्थाओं को एफिलिएशन दिया गया है, उनकी संख्या उतनी ही रहेगी या उनकी संख्या और भी बढ़ेगी। दूसरी चीज यह है कि इस विधेयक में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरह से यह निश्चित नहीं है कि एफिलिएशन की परिधि सिटी में १० मील के अन्दर ही रहेगी या वह बढ़ भी सकेगी इस तरह से इस यूनिवर्सिटी को एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी में जो परिवर्तित करने की व्यवस्था की गयी है इससे हमारी शिक्षा का स्तर गिर जाने का बड़ा अन्देशा है। इसलिये मैं सरकार से चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। अगर सचमुच में सरकार शिक्षा के सम्बन्ध में उत्सुक है और शिक्षा की व्यवस्था में और अधिक प्रोत्साहन देना चाहती है और अधिक से अधिक संस्थायें, डिग्री कालेज खोलना चाहती है तो उसके लिये उपयुक्त होगा कि कोई नयी यूनिवर्सिटी खोल दे। अभी सदन को मालूम हो है कि कानपुर में एक यूनिवर्सिटी खोलने की इतनी धूमधाम थी और वहां के बड़े-बड़े उद्योगपति इस बात के लिये तैयार हैं कि अगर गवर्नमेंट उनकी मदद लेना चाहे तो वे मदद देने के लिये तैयार हैं। इस तरह से जो कालेज इस यूनिवर्सिटी में एफिलिएट किये जा रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी या जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रोपोजल किया गया है वह भी गवर्नमेंट जल्दी ला सकती है। मेरे कहने का मतलब यह था कि हमारे प्रान्त में यूनिटरी और रेजिडेंशल करेक्टर की कोई यूनिवर्सिटी नहीं रही। सब यूनिवर्सिटी को एक ही स्टैन्डर्ड में ला दिया गया है। जस्टिस की दृष्टि से यह ठीक है लेकिन कम से कम एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक यूनिवर्सिटी इस तरह की रहती कि हम इसके कैरेक्टर को जो कि पुराने ऐक्ट में दिया गया है उसको मेंटेन करें कि जो दो प्रकार की संस्थायें टीचिंग और एफिलिएटिंग हैं या ऐफिलिएटिंग हैं और जो रेजिडेंशल और युनिटरी हैं इन दोनों के करेक्टर में क्या अन्तर है। इसका निर्णय कैसे हो सकेगा कि वास्तव में कौन सी यूनिवर्सिटी किस टाइप की है। हमारे देश के जो महान् विद्वान रहे हैं उनका बहुत बड़ा विश्वास इस मत में रहा है कि रेजिडेंशनल यूनिवर्सिटी शिक्षा के संबंध में बहुत बड़ी उन्नति प्रदान करती है। आपकी आज्ञा से मैं सर तेज बहादुर सप्रू की भावना को जो उन्होंने प्रकट की है कि वास्तव में हिन्दुस्तान की प्रगति इस तरह की यूनिवर्सिटीज की ही शिक्षा से हो सकती है, उसे पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :—

"Speaking for myself, for many years past, I have held the opinion that the principal line of progress of education in India must be towards a University of unitary and residential character ."

इस प्रकार से जो बातें इस करेक्टर की चेंज कर दी गयीं और यह कहा जा रहा है कि हम शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं और शिक्षा की प्रगति को बढ़ा रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, इस संबंध में मुझे सिर्फ एक वाकया याद आता है —एक आदमी था जो एक पेड़ की डाल पर बैठ कर उसे काट रहा था। जब वहां से राहगीर निकले और उन्होंने कहा कि भाई तुम यह क्या अंधेर कर रहे हो ? जिस पेड़ की डाल पर बैठे हो उसे ही काट रहे हो ? इस तरह से तुम गिर जाओगे। इस पर उसने कहा कि "वाह" मैं क्या अंधेर कर रहा हूं, जब पेड़ गिरने लगेगा

[श्री जोरावर वर्मा]

तो मैं एक डाल से कूद कर दूसरे डाल पर चला जाऊंगा" इसी तरह का यह प्रोवीजन है कि जिसकी हम आशा रखते हैं और जिस बात को हम सचमुच में ही चाहते हैं उस शिक्षा की जड़ को ही काट रहे हैं और फिर भी कहा यह जा रहा है कि नहीं, हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा की प्रगति हो और उसकी उन्नति हो। इसी प्रकार श्री परिपूर्णानन्द जी ने, जिस समय कोर्ट की मीटिंग इलाहाबाद में हुई थी तो, इसके मुताल्लिक़ अपनी राय दी थी कि इस तरह की व्यवस्था करके हम सचमुच में जिस शिक्षा को सिद्धान्तः बढ़ाना चाहते हैं उसी को बरबाद कर रहे हैं। मैं आप की आज्ञा से उनकी दो-तीन लाइनें पढ़ देता हूं। जो उन्होंने १० मई, १९५४ को इलाहाबाद कोर्ट में कही थीं —

"We are actually going to give such a blow to it that posterity would curse us. To deprive the University of its unitary nature, to amend the Act of 1921, so far as its colleges are concerned, it is actually to cut at the very root of our existence."

यही बात लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये लागू होती है। हमारे जो सरकारी पक्ष के लोग हैं उनकी भी यह राय है कि हमको इसके यूनिटरी करेक्टर को न बदलना चाहिये। इस के अलावा आज विद्यार्थियों में जो चरित्र-निर्माण की कमी देखी जाती है उसकी ओर बिल में कोई कदम नहीं उठाया गया है और कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और जब तक हमारे विश्वविद्यालयों में चरित्र-निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं आवेगी तब तक देश ऊंचा नहीं हो सकता और न देश में ऊंचे दर्जे के विद्यार्थी पैदा हो सकते हैं। अगर हम देखें तो बिल में विद्यार्थियों को विकटेमाइज करने की ही व्यवस्था रखी गयी है और रक्खा गया है कि अगर उनका काम ठीक नहीं होगा तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें यूनिवर्सिटी आटोनोमी के विरुद्ध जो धारणा निहित है उसको हमें दूर करना चाहिये और अगर हम उसको दूर करने में सफल हो सकें तो बहुत भला होगा।

इस बिल में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि जिस तरह से कांस्टीट्यूशन में शिड्यूल्ड कास्ट्स का रिप्रिजेन्टेशन अनिवार्य दिया हुआ है वैसा कोई रिप्रिजेन्टेशन यूनिवर्सिटीज में नहीं दिया गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत से लोगों को यह बात नागवारा होगी और वह कहेंगे कि शिक्षा जैसी पवित्र संस्थाओं में इस बात का जिक्र क्यों किया जाता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा संविधान तो उससे भी अधिक पवित्र है, उसमें भी जिक्र है कि मैनेजमेंट में हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। अगर इस बिल में भी इस तरह की व्यवस्था कर दी जाती तो उससे हरिजनों का बहुत हित हो सकता है क्योंकि अगर देखा जाय तो शिक्षा ही मनुष्य की उन्नति की इति श्री है। जब तक उनका रिप्रिजेन्टेशन यूनिवर्सिटीज में न होगा तब तक हरिजनों को शिक्षा में प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। हमारी सरकार तो उत्सुक है कि उनको नौकरियों आदि में १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाय लेकिन जैसा कि प्रश्नों के पूछने पर आपको मालूम हुआ होगा वह केवल कागज पर ही रह जाता है और उसका ख्याल नहीं किया जाता है। मैं पुरानी जगहों के बारे में कुछ नहीं कहता लेकिन जो नये स्थान विभागों में निकलते हैं उनमें हरिजनों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। मैंने यहां पर केवल इसलिये जिक्र किया क्योंकि वहां हरिजनों को इगनोर किया जाता है। मैं कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वह इस बात का दावा करती है कि हरिजनों को बहुत अधिकार दिये जा रहे हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि मन्त्रिमंडल में या और जगहों पर कहीं भी उनका रिप्रिजेन्टेशन उचित नहीं है। विधान परिषद् में, राज्य परिषद् दिल्ली में आप देखें तो यह उदाहरण हैं कि जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार जो कहती है वह करती नहीं है। इसलिये अगर हरिजनों के लिये इस जगह कोई प्राविज़न बिल में हो जायगा तो उनको सन्तोष रहेगा और उसके आधार पर वह लड़ सकेंगे।

मैं चाहता हूं कि इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो ज़िक्र करने योग्य हैं और जिन को रेफर कर देना चहिये। तो जो मेरे खास प्वाइन्ट्स हैं कि प्रवर समिति को क्यों रेफर करना चाहिये वह केवल दो ही हैं। एक तो यह कि लखनऊ विश्वविद्यालय का यूनिटरी टीचिंग और रेज़ीडेंशियल करेक्टर रहे और इस पर प्रवर समिति फिर से विचार करे कि जो विशेषता इस विश्वविद्यालय को पहले से मिली हुई थी वह वहां कायम रहें और जब तक वहां का करेक्टर इस प्रकार का न होगा तब तक शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकती। यह हो सकता है कि वहां से निकले हुये विद्यार्थियों की संख्या या क्वानटिटी बढ़ जाय लेकिन क्वालिटी जिसकी महात्मा गांधी भी सराहना करते थे वह अच्छी नहीं हो सकती। इसलिये हमें क्वालिटी पर ही ध्यान देना चाहिये। इस समय यहां आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ तीन ही विश्वविद्यालय सरकार के अधीन हैं। अब तक दो यूनिवर्सिटीज़ का तो गला घोंट कर उनको एफिलिएटिंग बना ही दिया गया है यानी इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय को और अब सरकार चाहती है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ भी वही व्यवहार करें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को पुनः प्रवर समिति को रिफर कर दिया जाय ताकि वह इन प्वाइंट्स पर कम से कम विचार तो करें।

दूसरी बात आटोनोमी स्वतंत्रता की है जो यूनिवर्सिटी को होना चाहिये। क्योंकि शैक्षिक, आर्थिक और प्रबन्ध शासन सम्बन्धी स्वतंत्रता को हड़प कर लिया गया है।

अधिष्ठाता—मैं देख रहा हूं कि जो बात आप पहले कह चुके हैं उसको दोहरा रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा—जी नहीं, मैं तो समराइज़ कर रहा हूं। तो जहां तक वाइस-चांसलर की नियुक्ति, ट्रेज़रर की नियुक्ति तथा बोर्ड का कम्पोजीशन जो है उसमें गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप बढ़ा लिया है तो यह तमाम जो प्वाइंट्स हैं उन पर विचार कर लेना परमावश्यक है इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और माननीय मन्त्री जी इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो लखनऊ युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में संशोधन विधेयक इस भवन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन और माननीय वर्मा जी ने जो इसके लिये संशोधन रखा है कि इसको पुनः सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, यह यूनिवर्सिटीज के बारे में कोई पहला विधेयक हमारे भवन के सामने नहीं है। पिछले १४ महीनों में हम दो विधेयक, इस किस्म के एक आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में और दूसरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में पास कर चुके हैं। जिस समय कि वे विधेयक इस भवन के सामने प्रस्तुत हुये उनके विरोध में जो भाषण दिये गये थे उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना था और आज भी इस विधेयक के विरोध में जो भाषण हुआ उसको भी बड़े ध्यान से सुना। मुझको दुख है कि आज के विरोध में जो डिबेट का स्तर था, मैं यह कह सकता हूं कि वह बहुत काफी नीचा था। माननीय वर्मा जी अपने भाषण को शुरू करते हुये यह कहा कि चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक का इतना ज्यादा विरोध हुआ था कि माननीय शिक्षा मंत्री ने हिम्मत नहीं की कि वह खुद आते और इस बिल को भवन में पेश करते और उन्होंने इस बिल को माननीय गुप्त जी द्वारा पेश करवाया। मैं समझता था कि विरोधी दल की एक जिम्मेदारी होती है। उसका एक स्टैंडर्ड होता है। मुझको बड़ा दुःख है कि माननीय वर्मा जी ने इस तरह की दलीलें दीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—विरोधी दल तो बोला ही नहीं अभी तक।

श्री नवल किशोर—खैर, वे भी विरोधी दल की तरफ से ही हैं। मैं इसकी बाबत तो ज्यादा नहीं कह सकता, न उस टोन में उसका जवाब ही देना चाहता हूं और न दे सकता हूं

[श्री नवलकिशोर]

हूं लेकिन मैं वर्मा जी से कहूंगा कि माननीय गुप्त जी ने स्पष्ट कह दिया था कि चूंकि कौंसिल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल चल रहा है इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री वहां हैं और कोई विशेष कारण उनकी अनुपस्थिति का नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय गुप्त जी ने अपने भाषण को डिक्टेटोरियल तरीके पर शुरू किया। मुझको नहीं मालूम कि डिक्टेटोरियल के क्या मतलब हैं। मुझे याद पड़ता है कि कल का जो भाषण इस विधेयक के सम्बन्ध में हुआ वह बहुत स्पष्ट था और ह्यूमिलिटी से भरा हुआ था। माननीय गुप्ता जी ने एक नहीं दस बार कहा कि इस बिल की प्रवर समिति में जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफारिशें आयीं थी उनमें से ७० फीसदी को स्वीकार किया गया और आज भी सरकार अगर विश्वविद्यालय के हित में कोई संशोधन आता है तो उस पर गौर करने के लिये तैयार है। इतने बड़े आश्वासन के बाद यह कहा जाय कि उनकी स्पीच एक डिक्टेटोरियल स्पीच थी मुझे बड़ा खेद है कि किस स्तर से हमारे विरोधी दल के साथी ने अपना विरोध शुरू किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का करेक्टर क्या होना चाहिये। श्रीमन्, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितने कमीशन हमारे देश में बैठे और इंटरनेशनल कमीशन्स में भी तथा अन्य जितने शिक्षा शास्त्री हैं उन सब ने इसको स्वीकार किया है कि सबसे अच्छा करेक्टर यूनिवर्सिटी का यूनिटरी और रेजिडेंशियल होता है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। मैं भी यह चाहता हूं और चाहता था अच्छा यही होता कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का करेक्टर भी यूनिटरी करेक्टर मेनटेन किया जाता परन्तु वस्तुस्थिति कुछ ऐसी थी और कुछ मजबूरियां ऐसी थीं जिनके कारण यह बात बदलनी पड़ीं। यहां मेडिकल कालेज हैं, और आयुर्वेदिक कालेज एक गवर्नमेंट की ओर से खोला जा रहा है इसके साथ जे० के० इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस, इन तीनों को इसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त थी इसलिये कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उस वस्तुस्थिति के वह हमने मान लिया। इसमें कुछ एसोशियेटेड कालेज भी बनाये गये हैं। मालूम हुआ कि अभी तक कुल १० एसोशियेटेड कालेज लखनऊ के ऐसे हैं जिनको विश्वविद्यालय की तरफ से मान्यता दी जा चुकी है। मैं समझता हूं कि १० कालेजेज की तादाद एक काफी बड़ी तादाद है और यदि इसके ऊपर कोई सीमा न निर्धारित की गयी तो वह दिन भी आ सकता है कि यह आगरा यूनिवर्सिटी की तरह एक एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी हो जायगी। इसके लिये होना यह चाहिये कि जितने कालेजेज को मान्यता दे दी गयी, वह दे दी गई लेकिन भविष्य में, यह मैं माननीय मंत्री जी से तथा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन कालेजेज को बढ़ाया जाय क्योंकि यह भी देखा गया है कि जल्दी में हम उन कालेजेज को डिगरी के स्तर तक पहुंचा तो देते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो कि उस स्तर के नहीं होते अथवा उस स्तर को क़ायम नहीं रख पाते। तो इस बात की तरफ भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में बहुत सी बातें कही गईं। श्रीमन्, मैं यह कहना उचित समझता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक बहुत कुछ वही है जो कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी विधेयक था। सिर्फ दो-चार जगह इसमें कुछ भिन्नता है। तो मैंने यह देखा कि वही आर्गूमेंट, वही दलीलें जो उस समय दी गयी थीं जिस समय कि इलाहाबाद संशोधन विधेयक पेश हुआ था, इस समय भी दी गईं। इस सिलसिले में राधाकृष्णन् कमीशन और मूथम कमेटी के भी कुछ कोटेशन्स दिये गये उसका हवाला दिया गया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है क्योंकि राधाकृष्णन् कमीशन ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वाइस-चांसलर का एप्वाइंटमेंट एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफारिश पर चांसलर को करना चाहिये और उचित यह है कि एक्जीक्यूटिव एक ही नाम भेजे। माननीय गुप्त जी ने यह बताया था कि हमारे इस विश्वविद्यालय की यह परम्परा रही है कि आज तक कोई ऐसा मौक़ा नहीं आया जब कि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल ने कभी एक से अधिक नाम की सिफारिश की हो और उसी परम्परा को स्पष्ट और मजबूत बनाने के लिये इसके अन्दर जो प्राविजन है उसमें यह है कि पूरी कोशिश की जाय इस बात की, कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अन्दर सर्वसम्मति से एक ही नाम भेजा

जाय और किसी कारण से यदि एक नाम न भेजा जा सके तो सात दिन के बाद उनको फिर मौका होगा कि फिर वह इस बात पर गौर करें और एकमत से एक नाम भेजें। इस तरह से उनको दो मौके दिये गये और उसके बाद अगर तीन नाम की सिफारिश की जाय और अगर चांसलर फिर नामों को वापस कर दे तो फिर इस बात का मौक़ा होगा एक्जीक्यूटिव कौंसिल को कि तीसरी बार वह एकमत से किसी एक व्यक्ति के नाम को भेजे। मैं समझता था कि जहां तक कम से कम इस प्रावीजन का संबंध है राधाकृष्णन कमीशन की जो सच्ची भावना है और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि वाइस चांसलर के चुनाव में जितनी कम से कम गुटबन्दी हो उतना ही अच्छा है तो मैं समझता हूं कि उसको अक्षरशः इस प्राविजन में रखा गया है। लेकिन फिर भी हमारे मित्र को इस बात पर आपत्ति हुई। मूथम कमेटी की बात भी कही गयी। मैं इस सिलसिले में इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार जो कमेटी बनाती है, आमतौर से कभी-कभी ऐसी होती है कि जिस प्रश्न पर कमेटी सिफारिश किया करती है और उन सिफारिशों को जब कार्यान्वित करने का मौक़ा आता है तो उस समय के जो सरकम्सटांसेज होते हैं, उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं उनमें काफी अन्तर हो जाता है और उनकी सभी सिफारिश की अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो सरकार का किसी कमेटी को बनाने का यह मतलब नहीं होता कि एक-एक शब्द सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को माने ही। सरकार के सामने कमेटियां संबंधित सभी रिपोर्टें थीं, मूथम कमेटी की रिपोर्ट थी, आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट थी, राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट थी और उन्होंने तीनों को लेकर इस बात की कोशिश की कि एक किस्म का एक समन्वय हो जाय तो अच्छा हो और इसी आधार पर उन्होंने अपना यह बिल बनाया।

इस सिलसिले में कि इसको प्रवर समिति को क्यों भेजा जाय, माननीय वर्मा जी ने दो बातें बताईं – एक तो युनिटरी करेक्टर की और दूसरे यूनिवर्सिटी की आटोनोमी की बात। यूनिटरी करेक्टर की बात तो, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस सिद्धान्त को मान चुके हैं कि हम एफिलियेटेड कालेज कुछ बना सकते हैं, रख सकते हैं। सवाल तादाद का होता है और मैंने यह अर्ज किया कि तादाद जरूर निर्धारित होनी चाहिये और इसको बहुत नहीं बढ़ने देना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि जब उस चीज को एक विधेयक के अन्दर इतनी काफी अच्छी तरह से और खूबी के साथ इस भवन ने थ्रैस आउट किया है तो मैं नहीं समझता कि क्या वजह है कि इस सवाल को लेकर फिर उसको प्रवर समिति के पास भेजा जाय। आटोनोमी की जो बात कही, सो मैं तो श्रीमन्, आटोनोमी की बात सुनते-सुनते काफ़ी परेशान हुआ हूं। मैं नहीं जानता कि वर्मा जी आटोनोमी के क्या मानी समझते हैं? मैं तो यह समझता हूं कि आटोनमी के मानी यह है कि यूनिवर्सिटीज को स्वतंत्ररूप से अपना कार्य संचालन करने की सुविधा हो, उनके यहां किस तरह की पढ़ाई हो, किस तरह से ऐक्जामिनेशन्स हों, इस तरह की आजादी होनी चाहिये। यदि इसको मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि कहीं आटोनोमी का हनन नहीं हुआ। आटोनोमी का जिक्र करते हुये उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी कांड की बातें कहीं। मैं चाहता था कि वह गड़ी हुई बातें न उखाड़ी जातीं तो अच्छा था। उन्होंने यह भी कहा कि उसकी जिम्मेदारी वाइस-चांसलर के ऊपर है। मैं श्रीमन्, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर उस कांड की जिम्मेदारी किसी पर है, तो उन गैर जिम्मेदार राजनैतिक पार्टियों पर है जो युनिवर्सिटी के अन्दर घुस कर उसको अपना अड्डा बनाना चाहती हैं। अभी १३ तारीख को लखनऊ युनिवर्सिटी विधेयक के विरोध में कुछ आंशिक हड़ताल लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई है। कुछ विद्यार्थी यहां आये और कौंडिसल हाउस के सामने कुछ डिमान्स्ट्रेशन किया। मैंने देखा उस डेमान्स्ट्रेशन के साथ हमारे माननीय नेता विरोधी दल, श्री राजनारायण जी, माननीय नारायण दत्त तिवारी और श्री झारखंडे राय, यह सब एक ही प्लेटफार्म पर थे। इसको तो जान कर मुझे खुशी हुई कि उन सबकी दिलचस्पी एक ही जगह पर है। मैं तो यह कहना चाहता था कि मैंने उन भाषणों को बड़े ध्यान से सुना। अव्वल तो समझ में नहीं आया कि लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक जो अभी तक भवन के सामने नहीं आया था, उसके विरोध का प्रश्न क्या उठता था?

[श्री नवलकिशोर]

या तो यह कहा जाता कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है युनिवर्सिटी के अन्दर हस्तक्षेप करने का या विधान के बदलने का। इस नियम को पिछले जो दो विधेयक थे उनमें हम मान चुके। फिर मैंने कोशिश की जानने की कि आखिर हमारे विद्यार्थियों को क्या शिकायत है, कौन से ऐसे प्रोवीज़न्स हैं जिन पर वे अपना विरोध करना चाहते थे। मैं भी चाहता था कि उनकी बातें सुनूं। मगर श्रीमन्, मेरे तो कानों में एक ही आवाज़ आयी कि आज का दिन लखनऊ के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिवस है। जो विद्यार्थी वर्ग ने सरकार की तानाशाही नीति के खिलाफ अपना मोर्चा खड़ा किया है। मैं नहीं समझ पाया कि कहां सरकार की तानाशाही और कहां लखनऊ का विधेयक ? कानपुर के मजदूर भी आये उसी दिन और फिर यह नारे लगाये गये कि मजदूर, विद्यार्थी भाई-भाई हैं और यूनियन के प्रेसीडेंट मिस्टर रोबिन मित्रा ने यहां तक कहा कि हम मजदूरों के हर एक आन्दोलन में उनके साथ हैं और उनकी मांगों का समर्थन करेंगे। तो मुझे तो ऐसा मालूम पड़ा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विधेयक का विरोध नहीं था बल्कि सरकार के खिलाफ़ एक आम मोर्चा बनाने की बात थी। तो मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो आवाज़ उठाते हैं कि राजनीतिक दलों को यूनिवर्सिटी से हट कर रहना चाहिये, यूनिवर्सिटी के भोले-भाले विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिये। अगर इसको मान लिया जाय तो श्रीमन्, क्या यह उचित है कि हम उन भावी नागरिकों को आटोनोमी के नाम पर अनुशासनहीनता की बात सिखायें। आटोनोमी के नाम पर कैंग्रास लायें तथा इसकी आड़ में वहां कुछ पोलिटिकल पार्टीज़ अपना अड्डा बनाने की कोशिश करें। अगर यही आटोनोमी के माने हैं तो मैं कह सकता हूं कि मैं इसका हामी नहीं हूं। आटोनोमी अगर सच्चे माने में ली जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी इस विधेयक के अन्दर आटोनोमी का हनन नहीं होता है।

इसके बाद यह भी कहा गया कि आज तो आप ऐसी बात कहते हैं लेकिन जब अंग्रेजों का जमाना था और आपकी उनसे जंग थी तो आप भी यही कहते थे विद्यार्थियों से कि डू आर डाई ? मैं पूछना चाहता हूं कि विदेशी सरकार के प्रति जो सत्तारूढ़ हो वह स्थिति और आज जब कि जनप्रिय सरकार हो वह स्थिति, क्या दोनों एक ही हैं ? और अगर उनका राजनीतिक अध्ययन इतना ही है, तो मैं कह सकता हूं कि उनकी सुझ-बूझ उनको मुबारक हो। यह भी बताया गया कि इसके अन्दर टीचर्स के ऊपर अविश्वास की बात है और यह कहा गया कि टीचर्स के ऊपर विश्वास की कुछ कमी दिखायी पड़ती है। मैंने इस विधेयक को बहुत अच्छी तरह से देखा। मैं तो समझता हूं कि टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें सुविधा हो, उस तरीके में कुछ उन्नति हो, इस बात की तो कोशिश की गई है, मगर टीचर्स के खिलाफ अविश्वास की कोई बात तो मेरी समझ में नहीं आयी। जिन माननीय मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया था कल उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने और हममें से हर भाई जो यहां हैं, उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, वह उन्हीं टीचर्स से सीखा है जिनके चरणों में बैठ कर हमने पढ़ा है। तो जहां इतनी अगाध श्रद्धा हो टीचर्स के प्रति, वहां अविश्वास की बात कहां से उठ सकती है। एक चीज जरूर है इसमें कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी की बात कही गयी है। तो मैं समझता हूं कि जिन कमीशंस की दुहाई दी गई है अगर उनको ही देखा जाय तो मालूम होगा कि उनका भी यह मत है कि वाइस-चांसलर की ही यह जिम्मेदारी है कि वह विश्वविद्यालय के अन्दर डिसिप्लिन मेंटेन करे। तो अगर यह जिम्मेदारी दी गई है और उसकी पूर्ति के लिये एक डिसिप्लिनरी कमेटी अगर बना दी गई है यह बात देखने के लिये कि कुछ टीचर्स अपनी जो सीमा है, तथा उनका जो अध्यापन का कार्य है, उसके बाहर तो वह नहीं जाते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी आपत्ति की बात आ गई है। मैं यह बात कहना चाहता हूं निहायत अदब के साथ कि यह जो हड़तालें होती हैं, लखनऊ युनिवर्सिटी में या इलाहाबाद युनिवर्सिटी में उनके लिये मेरा तो यह ख्याल है कि इसके पीछे बहुत कुछ हमारे टीचर साहबान का भी हाथ है। यदि वह टीचर जो उनका मुख्य अध्यापन कार्य है उसको छोड़ कर इस राजनैतिक दलदल में पड़ें तब मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं तो उनको रोकना पड़ेगा। इसलिये इस कमेटी का

होना भी अत्यन्त आवश्यक चीज है। यह भी कहा गया कि अगर लखनऊ युनिवर्सिटी में कोई मजबूरी नहीं थी तो इस बिल का अमेंडमेंट क्यों हुआ और यही माननीय जोरावर वर्मा जी ने कहा। सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि इसमें गड़बड़ियां थीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को लाने की एक आवश्यकता यह भी पड़ी कि चूंकि सबका मत यह था कि जो हमारी कोर्ट और एग्जीक्यूटिव हैं वह बहुत बड़ी हैं, उतनी बड़ी न हो कर छोटी हो जायं और चुनाव जितना कम से कम हो सके, उतना कम किया जाय। तो यही स्वयं एक नीति ऐसी थी कि जिसके लिये इस विधेयक के अन्दर संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। इसके साथ-साथ जब यह हुआ तो यह भी देखा गया कि जब हम यह चाहते हैं कि वाइस-चांसलर का चुनाव एकमत से हो तो यह भी उचित समझा गया कि वाइस-चांसलर का टर्म ५ साल का रहना चाहिये और वह ५ साल का रखा गया। साथ ही जैसा मैंने कहा कि टीचर्स के भर्ती करने के नियम में कुछ रद्दोबदल किये गये। एग्जामिनेशन कमेटी बनाई गई और रिफरेंस कमेटी बनायी गई। रेफरेंस कमेटी का तो मकसद सिर्फ यह है कि वह बजट को देखे जैसा कि संकेत माननीय मन्त्री जी ने भी किया था कि हमारी यूनिवर्सिटीज बिना कुछ सोचे-समझे अपने ऊपर कर्ज को बढ़ाती चली जाती हैं और आखीर में उसका उत्तरदायित्व हमारी सरकार के ऊपर पड़ता है। तो सरकार रुपया देती चली जाय यूनिवर्सिटीज को और उसके खर्चे के ऊपर कोई अंकुश न हो कि वह उस पैसे को किस तरह खर्च करती है, तो यह तो मुनासिब बात नहीं है। इसलिये इसका प्राविजन रखा गया है और ट्रेजरर के पावर्स को भी इसमें कुछ बढ़ाया गया है। पिछले विधेयकों के सम्बन्ध में बड़े जोर के साथ कहा गया कि युनिवर्सिटीज को फाइनेंशल कठिनाई नहीं होनी चाहिए, मुनासिब बात है और अगर कल के भाषण को उन लोगों ने सुना होता तो स्पष्ट शब्दों में कहा यह कहा गया कि जितना रुपया विश्वविद्यालय को सरकार को देना चाहिये, सरकार अपनी किसी मजबूरी की वजह से, उतना पैसा नहीं दे पाती है लेकिन फिर भी इस बात का आश्वासन दिया गया था कि सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि अधिक से अधिक पैसा यूनिवर्सिटीज को दिया जाय और वह भी ब्लाक ग्रान्ट्स के रूप में दिया जाय। तो मैं समझता हूं कि वह भी एक इस विधेयक के सम्बन्ध में जो एक आश्वासन आया, वह एक कदम हमको आगे ले जाता है। अब मैं और ज्यादा समय इसलिये नहीं लूंगा क्योंकि जो बातें कहीं गई हैं उनमें वही पुरानी दलीलें हैं, उनके वही जवाब होंगे जो पिछले व्याख्यान में दिये जा चुके हैं तो मैं समझता हूं कि भवन के लिये यह उचित है कि वह इस विधेयक पर शान्तिपूर्वक विचार करे और उस तरफ के हमारे सदस्यों को जो अपने संशोधन पेश करने हों तो वह पेश करें और यदि सरकार समझेगी कि वह यूनिवर्सिटी के हक में है तो वह उनको स्वीकार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को उनके सुन्दर व स्पष्ट भाषण के लिये बधाई देता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन इस सदन के सामने रखा है, मैं समझता हूं कि उसे फिर से सेलेक्ट कमेटी में भेज देने की बात हमारी समझ में नहीं आती है। मैं यह जानता हूं कि अगर सेलेक्ट कमेटी में यह फिर से बिल चला गया तो उसका नतीजा वही होगा जो आज बिल हमारे सामने है। मैं कल बड़े गौर के साथ माननीय गुप्ता जी का भाषण सुन रहा था और मुझे उनके भाषण से वही शिकायत रही जो पहिली मर्तबा जब इलाहाबाद युनिवर्सिटी का बिल इस सदन के सामने आया था और हमारे कुछ साथियों ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी में जो गड़बड़ है उसे छिपाने की कोशिश की। वही शिकायत आज मेरी गुप्ता जी से भी है कि लखनऊ युनिवर्सिटी के अन्दर जो कुछ गड़बड़ियां थीं उन्हें भी उन्होंने छिपाने की कोशिश की और उसका एक कारण यह हो सकता है कि अगर वह उनको इस सदन के सामने रखे होते तो हम लोग शायद उनसे यह कह सकते थे कि इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के तो सर्वेसर्वा आप ही हैं, आपके वक्त में लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर इतनी गड़बड़ हो गयी? अधिष्ठाता महोदय, यह बात नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर गड़बड़ नहीं है। यहां की जो गड़बड़ है वह खुली नहीं है। यहां जिस प्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये एक

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मूथम कमेटी एप्वाइंट हुई थी, उसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनी, लेकिन यहां पर एक आर्टिफिश्यल यूनिटी है, एक बनावटी ढांचा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एक बम का गोला फटता है उसी तरह से यह आर्टिफिश्यल यूनिटी किसी दिन बैठ जायगी तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी का सत्यानाश हो जायगा। जब मैं माननीय गुप्ता जी का भाषण सुन रहा था अध्यिाता महोदय, तो मुझे महाभारत का एक किस्सा याद आ रहा था। जहां पर यूनिवर्सिटी की उन्होंने तारीफ की, अपने गुरुओं की तारीफ की, ३४ साल से अपना सम्बन्ध यूनिवर्सिटी से बताया और कहा कि मैं गुरुओं की बड़ी इज्जत करता हूं और साफ़ तौर से कहा कि उनके चरणों में शिक्षा पायी है, उनके खिलाफ बात भला हम कैसे कर सकते हैं, तो महाभारत में आप देखें कि द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ हो गये थे और उन्होंने बचपन में अर्जुन को धनुष विद्या सिखाई थी। तो जब लड़ाई में सामना पड़ा तो अर्जुन द्रोणाचार्य पर तीर चलाते जा रहे थे और "गुरू" भी कहते जाते थे, तो उन्होंने कहा कि गुरू भी कहता जाता है और अपमान भी करता जाता है। मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आज उन गुरुओं की, जिनकी उन्होंने कल तारीफ की, सारी सत्ता, सारी ताक़त इस बिल के द्वारा वह लिये ले रहे हैं। मुझे दुःख हुआ अधिष्ठाता महोदय, आज हिन्दुस्तान में बेरोजगारी है। जो लोग समझते भी हों कि गलत काम हो रहा है पर वह उसके लिये लड़ने को तैयार नहीं हो सकते। अगर आज वह लड़ें तो कल नौकरी से बाहर चले जाते हैं और खाने का प्रश्न उनके सामने हो जाता है। इस बिल के द्वारा हमारे टीचरों का सारा प्रभुत्व जो यूनिवर्सिटी के अन्दर था---कैसे वह हटाया गया उसे भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा---उस पर जो कुठाराघात हुआ है तो फिर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वह क्यों यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं यह हमारी समझ में नहीं आता है। मुझे दुख इस बात का भी हुआ, कल माननीय मंत्री जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में कहा था कि हम लोग इस बिल को लाये हैं तो उन्होंने खुद राय जाहिर की है और उन्होंने चटर्जी जैसे बड़े बड़े विद्वानों का नाम भी लिया। अगर उन्होंने राय दी है कि यह यूनिवर्सिटी वाले जहाँ तक प्रोफेसरों का सवाल है, टीचर्स का सवाल है, अगर यह उनके हक में है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई। वैसे तो कल जो माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया उसमें और माननीय हरगोविन्द सिंहजी के भाषण में बहुत अन्तर था, इसमें कटुता नहीं थी।

लखनऊ में जो आज आर्टीफिशियल यूनिटी बनी हुई है उसका कारण माननीय गुप्ता जी का डंडा है। उनकी ताक़त के कारण आज किसी को हिम्मत नहीं होती कि कुछ कह सके। उनकी पर्सनालिटी की वजह से कोई उनके खिलाफ आज कुछ नहीं कह सकता है। जहां तक गुप्ता जी की बात है मैं उनकी बहुत ज्यादा कदर करता हूं और बहुत गौर से हम उनकी बात को सुनते हैं। कल जो उनका भाषण हुआ था हम उसको बड़े गौर से सुन रहे थे कि आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहा है। उसमें बहुत सी खराबियां हैं, मैं उनके बारे में तो नहीं कहूंगा लेकिन खराबियां हैं जरूर। आज हमारी यूनिवर्सिटीज का स्टेंडर्ड बहुत गिर गया है, इससे हमें दुःख होता है। कल जो साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये बोले थे, हम देखना चाहते थे कि उनका लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी कुछ प्रेम है या सारा प्रेम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये ही है। मैं वही स्टेंड ले रहा हूं जो आगरा यूनिवर्सिटी के लिये लिया था।

आटोनोमी की बहुत बड़ी बात है। आज आटोनोमी का नाम लेकर हर पार्टी का आदमी समझ लेता है कि मैंने आटोनोमी का नाम ले लिया तो मैं उसका पक्षपाती बन गया। शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूं और खास तौर से बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में, हमारी यूनिवर्सिटीज में आटोनामी रहे। हम चाहते थे कि हमारी यूनिवर्सिटीज भी आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरह से आटोनामस रहें। इस बिल को आखिर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ हममें भी गड़बड़ी थी, हम इसको छिपाना नहीं चाहते हैं। आटोनोमी के शब्द पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं यूनिवर्सिटी की आटोनोमी के पक्ष में तो जरूर हूं लेकिन कहीं न कहीं तो कुछ रोक-टोक होनी चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे अमरीका का एक किस्सा याद आ रहा है। एक आदमी हिन्दुस्तान से अमरीका चला गया और उसने सुन रखा था कि अमरीका आजाद मुल्क है, वहां आजादी है जो चाहो कर सकते हो । वह सड़क पर इधर-उधर घूमने लगा। कभी दायें, कभी बायें। लोगों से उसकी मुठभेड़ होने लगी। उन्होंने समझा कि शायद यह पागल हो गया है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है उसने कहा कि हम स्वतंत्र मुल्क में रहते हैं और हम हर बात में स्वतंत्र हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आप इस बात का तो खयाल करें कि "yo r liberty begins where mv nose end" यूनिवर्सिटी की आटोनोमी के लिये यह कि वहां का सारा कार्य एक्जीक्यूटिव कौंसिल या यूनिवर्सिटी के लोग ही करेंगे तो इसका तो मैं पक्षपाती हूं। लेकिन जब हमारे लोग ही गलत काम करने लगें, हमारे प्रोफेसर ही गलत रास्ते पर चलने लगें और हमारी यूनिवर्सिटीज के स्टैन्डर्ड को गिराने की कोशिश करें तब या तो गवर्नमेंट इंटरफियर करे या फिर जनता हस्तक्षेप करके उनको निकाल बाहर फेंके। जहाँ तक यूनिवर्सिटी को आटोनोमी का सवाल है, मैं गुप्ता जी से भी ज्यादा तेज शब्दों में इसका पक्षपाती हूं। अब अधिष्ठाता महोदय, मैं आटोनोमी पर कुछ कहना चाहता हूं। हम लोग जो कहते हैं कि आज यूनिवर्सिटी की आटोनोमी पर हमला हो रहा है उसका कारण मैं भी थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जो पार्ट चांसलर महोदय यूनिवर्सिटी में खेलेंगे उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं और उससे बताना चाहता हूं कि किस तरह से उसकी आटोनोमी पर हमला हो रहा है। हमारे जो गवर्नर महोदय हैं वह इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे। गवर्नर महोदय का खुद का व्यक्तित्व कितना ही बड़ा क्यों न हो लेकिन क्योंकि वह कांस्टीट्यूशनल हेड हैं और कांस्टीट्यूशनल हेड होने के नाते अपने मिनिस्टर्स की ऐडवाइस पर ही तो कुछ काम करेंगे, कर सकते हैं, इसलिये अगर यूनिवर्सिटी के मामले में कहीं पर हम चांसलर की बात करते हैं और अगर हमारे गवर्नर महोदय दबने वाले हो गये, मिनिस्टरों का असर उनके ऊपर पड़ने की बात आ गयी और अगर वह उनको सलाह देंगे तो यूनिवर्सिटी के मामले में जो कुछ वह करेंगे वह गवर्नमेंट करेगी। इसलिये गवर्नमेंट का हस्तक्षेप यूनिवर्सिटी में चांसलर के जरिये हो जाता है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर चांसलर कोई भी काम यूनिवर्सिटी में करता है तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से जो हुक्म निकलेगा वही हमारे चांसलर महोदय करेंगे। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। यह तो वैधानिक चीज है। अगर वह यह कहते कि जो उत्तर प्रदेश का हमारा गवर्नर होगा वह कम से कम जब चांसलर की हैसियत से काम करेगा तो उस वक्त उनकी कांस्टीट्यूशनल पोजीशन गवर्नर की न रह कर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अगर माननीय मंत्री ऐसा हमको विश्वास देंगे, जो वह शायद नहीं दे सकते हैं और देना भी नहीं चाहिये अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तो हम मान सकते हैं। लेकिन जो गवर्नर ऐसा करेगा उसको थोड़े दिन के बाद निकाल दिया जायगा। इसलिये यूनिवर्सिटी के मामले में चांसलर जो उसके सब से बड़े अफ़िसर होंगे वह इस तरह से कांस्टीट्यूशनल हेड होने के नाते अपने मिनिस्टर्स की ही ऐडवाइस पर काम कर सकने की वजह से वह आज यूनिवर्सिटी के अन्दर जो इंटरफ़ियरेन्स करते हैं वह गवर्नमेंट का इंटरफ़ियरेन्स हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि आटोनोमी पर हमला हो रहा है। हम पसन्द करेंगे कि जो हमारी यूनिवर्सिटी का चांसलर हो वह एलेक्टेड हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल के सबन्ध में माननीय नारायण दत्त जी ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस चांसलर हों और इसके लिये उन्होंने अपने कुछ आर्गुमेंट्स दिये थे। जो दूसरी तरफ से आर्गूमेन्ट्स दिये गये थे उनमें भी कुछ जान थी। लेकिन फिर भी इस चीज को किसी तरह से बचाने की कोशिश करनी चाहिये कि यूनिवर्सिटी का हेड गवर्नमेंट के इनफ्लुएन्स में किसी तरह से न हो। अगर है तो उसमें गवर्नमेंट का हाथ हो जाता है और इस तरह से हमारी आटोनामी खत्म हो जाती है।

अब अधिष्ठाता महोदय, वाइस-चांसलर को लीजिये। अगर यह कहा जाय कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति में गवर्नमेंट का किसी प्रकार से कोई हाथ नहीं है, यह तो सारी एक्ज़ीक्यूटिव को अधिकार दे दिया गया है कि वह जिसको चाहे रेकमेंड करे। नवल किशोर जी

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

ने हमको बहुत समझाने की कोशिश की, बिल्कुल स्कूल ब्वाय समझ लिया हमको, लेकिन एक्जी-यूटिव कौंसिल पहले तो एक आदमी का नाम पेश करे, नहीं कर सकती है तो तीन का नाम पेश करे, उसके बाद वे चांसलर के पास जायेंगे और चांसलर उन त नों में से किसी को छांट लेगा। सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी का सारा काम चलाने के लिये उसका एग्जीक्यूटिव आफ़िसर कि ये या एकेडेमिक आफ़िसर कहिये, सारी यूनिवर्सिटी की जान वाइस-चांसलर है और अगर उसके बनाने में सरकार का इन्फ्यूलेन्स हो गया तो यह अवश्य है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफ़ियरेन्स साबित हो गया है, वह कैसे ? वाइस-चांसलर को एग्जीक्युटिव कौंसिल चुनेगी। अब, अधिष्ठाता महोदय, एक्जीक्यूटिव कौंसिल कैसी है उसे मैं आपको ज़रा बताने की कोशिश करूंगा। एक्जिक्यूटिव कांउसिल में एक तो वाइस-चांसलर हैं और दूसरे ट्रेज़रर हैं। हमारा कहना यह है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जैसा कि हमारे मूथम साहब ने कहा, 'अल्टिमेटली दि यूनिवर्सिटी विल बी व्हाट, इट्स टीचर्स मेक इट।" पहली जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर पर है। इसके बाद जिम्मेदारी टीचर्स पर आती है। अगर टीचर्स का हाथ वाइस-चांसलर के छांटने में नहीं होता है तो अगर कल इस बिल के पास होने के बाद यूनिवर्सिटी बिगड़ जाती है तो टीचर्स को इसके लिये दोष नहीं दिया जा सकता है। उसका कारण यह है कि जितने डीन आफ फैकल्टीज एक्जिक्यूटिव काउंसिल में होंगे उतने ही उसमें चांसलर के नामिनीज होंगे। यह तो बराबर का मामला कर दिया। उसके बाद वह कहते हैं कि एक एसोशियेटेड कालेज जो हैं उनका एक प्रिंसिपल मेम्बर होगा। वह सीनियरिटी और बाई रोटेशन होगा। किस तरह से गवर्नमेंट का उस पर प्रभाव पड़ेगा वह मैं बताता हूं। एसोसियेटेड कालेजेज को गवर्नमेंट की एड मिलती है, इसलिये उनका जो प्रिंसिपल होगा वह भी गवर्नमेंट का ही नुमाइन्दा समझिए। उसके बाद दो टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और टीचर्स की डेफिनीशन यह दी गयी है कि यूनिवर्सिटी का टीचर हो या किसी कांस्टीटुएंट कालेज का भी टीचर हो सकता है। कांस्टीटुएंट कालेजेज गवर्नमेंट द्वारा मंड हैं, इसलिये उस पर भी गवर्नमेंट का प्रभाव होगा। उसके बाद एक डेलिगैसी और प्रोवोस्ट का प्रतिनिधि होगा और एक डीन आफ दि स्टूडेंट्स, जिसकी चर्चा बहुत है, वह भी रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे टीचर्स ऐज़ ए क्लास अगर ले लें तो दो टीचर्स हो गये, एक प्रिन्सिपल हो गया, एक प्रोवोस्ट हो गया और एक डीन आफ दि स्टूडेंट्स हो गया। पांच हो गये, पांच कोर्ट द्वारा चुने जायेंगे जो न टीचर होंगे और जिन्हें न टीचर मेम्बर चुनेंगे। इस तरह से कहते हैं कि सारा इसमें टीचर्स का हाथ है। वही वाइस-चांसलर की नियुक्ति में ज्यादा हाथ रखेंगे, यह बिलकुल ग़लत है। टीचर्स का इसमें बिलकुल कोई हाथ रहता ही नहीं। यह जो प्रोविज़न रखा गया है वाइस-चांसलर के चुनाव का इसके मुताबिक कोई भी प्रोफेसर जो उम्मीद करते हों कि हम भी कभी वाइस-चांसलर हो जायेंगे वह हो नहीं सकता। आज ही मैं सुबह के अख़बार में पढ़ रहा था। सेंट्रल पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट्स को क्या हिदायतें दी हैं यूनिवर्सिटी के मामले में, तो उन्होंने अपने जवाब में यह कहा कि हमने यह हिदायत दे रखी है कि यूनिवर्सिटी की बाडीज़ में प्रिपांडरस हिस्सा हमारे टीचर्स का होना चाहिये। लेकिन यहां पर हमारी जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल बनी है उसमें टीचर्स का प्रिपांडरस हिस्सा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि यह न हो। गवर्नमेंट का प्रभाव न पड़े। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कांउसिल के मेम्बरों को प्रभावित करने की कोशिश न करे। लेकिन इस तरह की व्यवस्था करना यूनिवर्सिटी की आटोनोमी में दखल देना होगा क्योंकि वाइस-चांसलर का चुनाव ही सब से ज्यादा महत्व का है। अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुःख इसी बात का हुआ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि लखनऊ युनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कांउसिल ने इसको बिलकुल सपोर्ट किया है। मैं समझ नहीं सका। मैं यह मान सकता हूं, जैसा कि नवल किशोर जी ने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स एजीटेट कर रहे हैं। वह मैं मान सकता हूं कि गलत है, क्योंकि स्टूडेन्ट्स का इससे कोई मतलब नहीं। उनको इससे कोई नुक्सान और तकलीफ नहीं होती। मैं अभी इलाहाबाद

गया था। वहां कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि स्टूडेंट्स इससे खास एफेक्टेड होते हैं ? ऐसी बात नहीं है। डीन आफ दी स्टूडेंट्स रक्खा गया है क्योंकि स्टडेंट्स एफेक्टेड होते हैं लेकिन वह मैं बाद में बतलाऊंगा। प्रोफेसर्स का सवाल है, वे तो जरूर इंटेरेस्टेड हैं। जो कोई इसके खिलाफ नहीं कहता है वह अपनी कांशस को किल करता है और नौकरी रखने के लिये कुछ नहीं कहता है। यह उनके लिये नेल है, अगर वे इसके खिलाफ भी आवाज नहीं उठाते तो अपनी कांशस को किल करते हैं। जैसा माननीय हर-गोविन्द सिंह जी ने कहा कि लड़कों को भड़काते हैं। वे हमारे बच्चे हैं भावुकता में आ जाते हैं और फिर उनसे कोई भी काम करा लो। उन्हें समझाया जा सकता है कि उनको इस यूनिवर्सिटी बिल से क्या इंटेरेस्ट है लेकिन जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वे जरूर अफेक्टेड हैं। उनका यूनिवर्सिटी से सारा हाथ निकाला जा रहा है। यह मैं मानता हूं कि किन्हीं चीजों पर तो कुछ हद तक जाने की जरूरत थी और यह बताने की जरूरत थी कि आज देश की यूनि-वर्सिटीज इस तरफ जा रही हैं जो कि ऊंची शिक्षा देने का दावा करती हैं, वे किस गलत रास्ते पर जा रही हैं, इसको बतलाने की आवश्यकता थी। लेकिन यह जो सम्पूर्ण विधेयक है इस तौर पर तो कोई भी रिस्पेक्टेबिल प्रोफेसर नहीं रह सकता है। यह दूसरी बात है कि अपनी नौकरी कायम रखना है तो गुप्ता जी की खुशामद कर ले वर्ना इससे उनका स्टेटुस कायम नहीं रह सकता।

अधिष्ठाता महोदय, मेरी तो यह राय है जैसा कि मैंने आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक के समय भी कहा था , कि वाइस चांसलर का चुनाव करना ही सब से महत्वपूर्ण मामला है। कैसा वाइस-चांसलर होना चाहिये, बड़ा इम्पार्शियल कंडक्ट उसका होना चाहिये। सब से ऊंचा करेक्टर होना चाहिये, जो सब से ऊंची शिक्षा हमारे बच्चों को दे सके, सेन्स आफ रिसपांसिबिलिटी समझता हो, लड़कों और प्रोफेसरों का उसमें विश्वास हो ऐसा हमारा वाइस-चांसलर होना चाहिये। यूनिवर्सिटी के साथ उसके सम्बन्ध अच्छे हों, अच्छा इंटेलेक्चुअल एटमासफियर वह यूनिवर्सिटी में क्रियेट करने की कोशिश कर सके। बहुत से गुण एक वाइस-चांसलर में होने चाहिये । एक्जिक्यूटिव कौंसिल पर ही वाइस-चांसलर का सिले-क्शन छोड़ दें तो यह भी उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल को सारे अधि-कार होने चाहिये लेकिन अगर कोई दूसरा अच्छा रास्ता निकल आये तो उस रास्ते का अख्तियार करना चाहिये। हमारी राय है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल को अधिकार होना चाहिये वाइस-चांसलर को एप्वाइंट करने का, लेकिन सलाह देने के लिये किन क्वालिफिकेशंस का आदमी वाइस-चांसलर होना चाहिये इसके लिये एक एक्सपर्ट कमेटी हो जाय जो एक्जि-क्यूटिव कौंसिल को एडवाइज करे कि ये ३, ४ आदमी हमने छांटे हैं देश भर में जो हर तरह से क्वालिफाइड हैं किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर बनने के लिये। अगर ऐसी एक एक्स-पर्ट कमेटी बन जाय एक्जिक्यूटिव कौंसिल को सलाह देने के लिये, वाइस-चांसलर का सिलेक्शन करने के लिये, तो मैं समझता हूं, अधिष्ठाता महोदय, कि इससे मौका मिलेगा कि हम देश के अच्छे से अच्छे आदमी को किसी युनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर बना सकें। वह कमेटी तीन आदमियों की हो और उसमें एक चांसलर का नुमाइन्दा हो, दूसरा नुमाइन्दा एक्जिक्यूटिव कौंसिल का हो जिसमें पार्टीबन्दी की बात कही जाती है, वह भी अपनी यूनेनीमस ओपीनियन से एक नुमाइंदा एक्सपर्ट कमेटी में भेजे और एक्जिक्यूटिव कौंसिल की राय उसके सामने आये और तीसरा आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर हो जिसको सिलेक्शन के मामले में काफी एक्स-पीरियंस होता है, जो कि हजारों आदमियों का सेलेक्शन कर चुका होता है। इन तीन आदमियों की कमेटी बनाई जाय और वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल के पास तीन नाम भेज दे और उससे कहे कि वह इन तीन नामों में से एक नाम चांसलर के पास भेज दे तो चांसलर को मजबूर होकर उसे वाइस-चांसलर बनाना होगा, उसमें क्या नुक्सान है ? जब पिछली मर्तबा यहां पर इलाहाबाद युनिवर्सिटी बिल चल रहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम तो एक्जिक्यूटिव कौंसिल को वायस-चांसलर बनाने का अधिकार दे रहे हैं इससे ज्यादा और क्या आटोनामी हो सकती है ? हम तो इससे भी आगे जाना चाहते हैं, हम तो यह कहते हैं कि एक्जिक्यूटिव

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

कौंसिल को जो इस बिल में मौक़ा दिया जा रहा है कि वह तीन आदमियों के नाम छांटकर भेजे तो हमारा तो कहना यह है कि बजाय तीन आदमियों के नाम भेजने के अगर उनको एक्सपर्ट कमेटी की राय मिल जाय तो एक ही नाम भेजें, तो यूनिवर्सिटी के वातावरण की सम्भाल हो सकती है और युनिवर्सिटी का काम ठीक रूप से चल सकता है। इसमें सरकार को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये। यह तरीका दिल्ली में है और यही तरीका राजस्थान में प्रचलित है। मैं यह नहीं कहूंगा कि दिल्ली का तरीका यहां पर बर्ता जाय। हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा प्रान्त है और करीब-करीब सभी मामलों में सब से आगे रहता है तो उस छोटी स्टेट की नक़ल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब दिया गया है कि हमने वाइस-चांसलर के अप्वाइन्टमेंट के बारे में स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि दिल्ली और राजस्थान के माडल को ही आप अपने यहां भी अपनाइये। मैंने जो अभी तरीका बतलाया यही तरीका हमारे यहां दिल्ली के वाइस-चांसलर के चुनाव में और राजस्थान के वाइस-चांसलर के चुनाव में बरता जाता है।

अब यहां पर अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि टीचरों का हाथ वाइस चांसलर के चुनाव में नहीं है। जो ६ मेम्बर कोर्ट के ज़रिये से एक्जिक्यूटिव कौंसिल के लिये छांटे जायेंगे जो उसमें काम करने के लिये जा सकते हैं, तो उसमें भी कोई नुमाइन्दा टीचरों का नहीं होगा। क्योंकि यह प्राविज़न है कि कोर्ट जो ६ मेम्बरों को एक्जिक्यूटिव कौंसिल में छांट कर भेजेगी तो कोर्ट में वही मेम्बर वोट दे सकते हैं जो यूनिवर्सिटी के मुलाज़िम नहीं हैं और उनको ही वह छांट कर भेजेगी जो मुलाज़िम नहीं हैं। किसी हालत में इन ६ मेम्बरों के छांटने में भी टीचरों का कोई हाथ नहीं है। अब सवाल ट्रेज़रार की नियुक्ति का आता है। आज ट्रेज़रार की पोज़ीशन हमारी एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल में बहुत महत्वपूर्ण हो गयी है.....

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्, इस समय कोरम पूरा नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी।)

अधिष्ठाता—अब कोरम पूरा हो गया है। श्री मदनमोहन उपाध्याय अपना भाषण जारी रखें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं ट्रेज़रार के ऊपर बहस कर रहा था। हमारे इस नये अमेंडिंग बिल में ट्रेज़रार की जो पोज़ीशन है वह बहुत ऊंची की जा रही है। इसके सिलेक्शन में वही प्रोसीजर एडाप्ट किया जायगा जो कि वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये रहा है। लेकिन एक इम्प्रेशन ऐसा क्रियेट हो रहा है कि उसकी जो पावर है उसके मुताबिक बजट के मामले पर रोक लगायी जा सकती है और ऐसा किया जा सकता है। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हो और हमको यह समझ लेना कि ऐसी बात होगी और वह ट्रेज़रार एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ऊपर हो जायगा, ऐसी बात नहीं होगी लेकिन जैसा इम्प्रेशन क्रियेट हुआ वह यह है कि ट्रेज़रार को बड़ी पावर मिल गयी है; उससे यह समझी जा रहा है कि यह एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ऊपर हो जायगा और एक्जिक्यूटिव कौंसिल के काम में हस्तक्षेप करेगा, यह इम्प्रेशन पैदा कर दिया गया है। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। उससे उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है।

अब अधिष्ठाता महोदय, कोर्ट का प्रश्न है जो सब से बड़ी बाडी होगी वह कोर्ट होगी। उसके मेम्बर अलावा डोनर्स के १६० होंग। यह एक जगह ऐसी है जहां हमारे टीचर्स को काफी प्रतिनिधित्व मिला है। पैरिटी के लिये उन्होंने रखा है कि टीचर्स (इन्टरनल) और एक्स्टरनल में बराबरी नहीं होगी लेकिन फिर भी उनको यह खतरा रहा कि टीचर्स कहीं कुछ गड़बड़ न कर दें और यह कहा गया है कि टीचरों से बाहर वाले ज्यादा होंगे। तो इससे टीचर्स की कोई इज्जत

नहीं रह जाती है। कोर्ट ६ आदमी जो एग्जीक्यूटिव कौंसिल के लिये मुकर्रर करती है उनमें टीचर्स को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है और न किसी टीचर को छंटकर एग्जीक्यूटिव कौंसिल में मेम्बर बन कर आने का है। तो फिर उनका क्या अधिकार रहा? सारा अधिकार तो एग्जीक्यूटिव कौंसिल को है। कोर्ट के मेम्बर खाली दिखलावेंगे कि वह जनरल डिक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो असली चीज है, जिसके लिये इलाहाबाद में झगड़ा हुआ, एग्जीक्यूटिव कौंसिल की मेम्बरी, उसमें उनका कोई हाथ नहीं रहेगा। दो टीचर हमारी एग्जीक्यूटिव कौंसिल से जो छांटे जावेंगे सभी कोर्ट से नहीं होंगे, उसके लिये भी बाई स्टेट्यूट्स कहा जा रहा है, वे चुने जायंगे। इसका फैसला आज नहीं किया जा रहा है कि कौन से वे टीचर्स होंगे यानी वे कहां से आवेंगे। इस बाडी में भी जितने लोग होंगे उनको गवर्नमेंट इनफ्लुऐंस कर सकती है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल में नुमाइन्दे ऐसे छांटे जावें जिनको गवर्नमेंट अपने हाथ में रख सकती है और फिर उसके जरिये से वाइस-चांसलर हो, तो हमें बड़ा भारी शक है कि हमारी आटोनामी पर हमला हो रहा है।

टीचर पोलीटीशियन्स के बारे में भी काफी चर्चा यहां हुई है। कुछ लोग तो गलत समझते हैं कि टीचर पोलीटिक्स में हिस्सा ले ही नहीं सकते। अगर उनकी मंशा यह है कि हमारे शिक्षा देने वालों को किसी राजनीतिक पार्टी में भाग नहीं लेना चाहिये या राजनीतिक विधारधारा नहीं रखनी चाहिये, उन्हें तो वही विचारधारा रखनी चाहिये जिसकी गवर्नमेंट हो, अगर यह हमारी सरकार की मंशा है और उन्हीं को वे टीचर पोलीटीशियन समझते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि वह यूनिवर्सिटी शिक्षा का नाश करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। टीचर पोलीटीशियन से अगर हम समझें कि वह आपस में जो पोलिटिक्स खेलते हैं, तब तो ठीक है और वह रोकी जानी चाहिये। लेकिन जहां तक उनकी विचारधाराओं का संबंध है, उन्हें पूरा अधिकार होना चाहिये कि जो भी विचारधारा वे चाहें, उसे रख सकें।

दूसरी बात मुझे कल माननीय गुप्त जी से यह सुनकर बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि यूनिवर्सिटी के अन्दर पोलिटिक्स नहीं आनी चाहिये और स्टूडेन्ट्स का पोलिटिक्स से क्या वास्ता है यही तो हमारा भी कहना है। अभी हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर एक इन्टर-यूनिवर्सिटी यूथ कांग्रेस का उद्घाटन हमारे देश के प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी ने किया था। यह कहा जा सकता है कि यंग सोशलिस्ट लीग में हमारा कोई हाथ नहीं है। तो मुहर हमारी भले ही न पड़ी हो लेकिन हो सकता है कि उसमें भी हमारा नाम हो, चूंकि 'सोशलिस्ट' उसके अन्दर है। लेकिन इस यूथ कांग्रेस जिसका कि कंनवेंशन हाल ही में लखनऊ में हुआ इसमें इस सरकार के सभी लोगों का हाथ था और माननीय बनारसी दास जी तो दारुलशफा के एक-एक कमरे में फिर गये कि इस स्टूडेंट्स यूथ कांग्रेस को अपनाओ, नौजवान लड़के कांग्रेस में नहीं आ रहे हैं उनको घेरो। इस तरह से मैं देखता हूं, कि वहां पालिटिक्स इन्ट्रोड्यूस की जा रही है और इसी का नतीजा हुआ कि यूनिवर्सिटी में स्टुडेंट्स कन्वेन्शन हुआ। फिर दूसरे दल के लोग चाहे वे कम्युनिस्ट हों या सोशलिस्ट्स हों समझते हैं तो ठीक ही समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में पालिटिक्स न हो वे वहां स्वयं ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं वही लोग वहां पर यूथ कांग्रेस को आर्गेनाइज करते हैं, पोलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं और इसका नतीजा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी पर होना चाहिये था वही हुआ और वहां मारपीट हुई। इधर तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कहे जाने वाले लोग थे और उधर यूथ कांग्रेस वाले। अधिष्ठाता महोदय, यह मारपीट भी देखने लायक थी। छिपाने की कौन सी बात है, यह सभी जानते हैं कि कांग्रेस अब डिक्लेइंग फोर्स हो चुकी है। वह अब आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिये वे कोशिस करते हैं कि उधर कोई आ जाय। पार साल लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूनियन का झगड़ा चला था, उसमें क्या था? यही कि इलेक्शन में कुछ लोग न आ पाये। इसलिये तरीका यह निकाला गया कि यूनियन का तरीका ही बदल दिया जाय। यद्यपि आखिर में वही हुआ जो हुआ था लेकिन हुआ कब जब कि बहुत से लड़कों को लाठी से मारा गया, हजारे बच्चे गोली के शिकार हुये और उसके बाद वही बात रक्खी गयी जो पहले थी। क्या यह यूनिवर्सिटी के अन्दर पोलिटिक्स

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

नहीं थी ? मैं तो कहता हूं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल स्टूडेंट्स को ही एड्रेस करते तो अच्छा था। अगर वह कांग्रेस के प्रेसीडेंट हैं तो दूसरी ओर वे भारत के प्रधान मंत्री भी हैं। हम भी उनकी हिन्दोस्तान के प्रधान मंत्री की हैसियत से इज्जत करते हैं लेकिन उन्होंने इस यूथ कांग्रेस में भाषण दिया। अगर स्टूडेंट्स की यूनियन के समक्ष भाषण दिया हुआ होता तो कोई बात भी थी। फिर हमें दोष दिया जाता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, अब जो कमेटी आफ रिफरेंस है उसके बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उसके द्वारा यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी में हस्तक्षेप किया जा रहा है क्योंकि जो कमेटी आफ रिफरेंश होगी उसमें भी गवर्नमेंट का पूरा हाथ होगा। उसका टीचर्स से कोई संबंध नहीं है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का उसमें कोई हाथ नहीं होगा। एक मेम्बर वाइस चांसलर का, एक ट्रेजरर और ३ मेम्बर कोर्ट के होंगे जो नान टीचर और नान एक्जीक्यूटिव मेम्बर, तथा दो नोमीनेटेड बाई दी गवर्नमेंट होंगे। इस प्रकार से जो कमेटी आफ रिफरेंश बनी है उसमें गवर्नमेंट का हाथ होगा। इस प्रकार जो उसके अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया है उससे हमें कुछ शक है।

इसके बाद इम्पोर्टेंट आइटम सेलेक्शन कमेटी का है जिसका असर टीचर्स और प्रोफेसर्स पर पड़ता है। तो देखना यह है कि सेलेक्शन कमेटी के अन्दर कौन-कौन होगा। एक तो होगा वाइस चांसलर, एक डीन आफ फैकल्टी और दो एक्सपर्ट्स होंगे, प्रोफेसर्स के एप्वाइन्टमेंट के सिलसिले में और के लिये एक एक्सपर्ट होगा, हेड आफ दि डिपार्टमेंट होगा और दो मेम्बर एक्जीक्यूटिव कौंसिल की तरफ से होंगे जो टीचर्स नहीं होंगे और उसके बाद एक प्रिंसिपल, एक मैनेजर होगा, जब ये एसोसिएटेड कालेजों के किसी टीचर की नियुक्ति करेंगे। एक उनका प्रिंसिपल होगा और मैनेजिंग कमेटी का मेम्बर भी उस सेलेक्शन कमेटी का मेम्बर होगा। अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस सेलेक्शन कमेटी के मेम्बर हैं दो एक्सपर्ट्स भी हैं, एक्जीक्युटिव कमेटी के भी नुमाइन्दे है, कोर्ट के भी नुमाइन्दे हैं और यूनिवर्सिटी के भी नुमाइन्दे हैं क्योंकि डीन आफ फैकल्टी और हेड आफ दि डिपार्ट्मेंट भी होंगे लेकिन इसका जो सेलेक्शन होगा उसको अधिष्ठाता महोदय रोक दिया गया है। वह इस तरह से कि वे कहते हैं कि अगर इस कमेटी द्वारा किसी प्रोफेसर का सेलेक्शन किया जाय और मैजारिटी उसके पक्ष में वोट कर दे लेकिन अगर दो एक्सपर्ट्स की राय नहीं है तो उसका एप्वाइन्टमेंट नहीं होगा। यह भी लिखा है कि हैड आफ दि डिपार्टमेंट भी अपने डिपार्टमेंट के एप्वाइन्टमेंट के सिलसिले में अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट समझा जाना चाहिये। यह एक्स-प्लेनेशन दे रखा है। अगर किसी हिस्टरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर की नियुक्ति करनी हो तो हेड आफ दि हिस्टरी डिपार्टमेंट भी उस कमेटी के अन्दर एक एक्सपर्ट ही समझा जायगा। यानी दो एक्सपर्ट्स के बजाय तीन एक्सपर्ट्स हो गये। तो कहा गया है कि सेलेक्शन कमेटी सेलेक्शन करेगी प्रोफेसरों का लेकिन अगर उनके सेलेक्शन में दो एक्सपर्ट्स की राय नहीं होगी, मैजारिटी आफ दि एक्सपर्ट्स राय नहीं देंगे तो उसका सेलेक्शन नहीं होगा। क्यों क्या बात है? सेलेक्शन के लिये एक्सपर्ट्स अपनी राय क्यों नहीं देंगे ? अगर कमेटी एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकती तो मैं समझता हूं कि आखिर सेलेक्शन कमेटी की आवश्यकता ही क्या है ? एक दफा जो सेलेक्शन कमेटी में एक्सपर्ट की हैसियत से चला जाता है वह फिर से सब के बराबर हक पाता है। मैंने देखा है कि पुलिस का जब सेलेक्शन होता है, जब थानेदार का सेलेक्शन होता है तो उसमें आई० जी० भी बैठते हैं, डी० आई० जी० भी बैठते हैं। इस विधान सभा के कुछ सदस्य भी बैठते हैं और अगर यह कानून बना दिया जाय कि थानेदार के सेलेक्शन में आई० जी० या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की राय नहीं होगी तो उसका सेलेक्शन ही नहीं हो सकता, यह तो फिर एक फोर्स की चीज हो जाती है। इसलिये मैं कहता हूं कि सेलेक्शन कमेटी को ऐसा बनाया जाय कि उसमें एक्सपर्ट्स हों या नान-एक्सपर्टस हों, मैजारिटी के

डिसिजन से इस बात का फैसला होना चाहिये कि इस प्रोफेसर की नियुक्ति की जाय या न की जाय। यह बड़ी फिजूल सी बात और रेस्ट्रिक्शन सी लगती है।

अब इसमें यह भी कहा गया है कि इन आर्डर आफ प्रिफरेंस तीन नाम भेजे जायेंगे। अगर कमेटी ने मैजारिटी डिसिजन से किसी प्रोफेसर को एप्वाइन्ट करने का फैसला किया तो वह फिर एक्जीक्यूटिव कमेटी के सामने जायगा और अगर एक्जीक्यूटिव कमेटी ने उसमें हस्तक्षेप किया और उसे नहीं माना तो फिर मामला चांसलर को रेफर होगा और चांसलर तब माननीय शिक्षा मंत्री श्री ह गोविन्द सिंह जी से पूछेगा कि मैं इसे मुकर्रर करूं या न करूं। इस तरह से हम कहते हैं कि हमारी आटोनामी पर इसका असर पड़ता है, यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर इसका असर पड़ता है।

अब अधिष्ठाता महोदय, लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बड़ा भारी फर्क है और वह यह कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जितने रेजिडुअरी पावर्स हैं जो इस बिल में नहीं है वे सारे पावर सब जगह कोर्ट को दिये गये हैं, लेकिन हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर न मालूम क्या बात है कि ये पावर एक्जीक्यूटिव कौंसिल को दिये गये हैं। कहा तो यह जाता है कि हम एक तरह की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, एक पद्धति ही सब जगह होगी। तो मैं समझ नहीं पाया हूं कि उसमें क्या उनका महत्व है।

अब ब्लाक ग्रांट के बारे में मुझे खुशी हुई कल कि माननीय मंत्री जी ने इस बात को कहा और हमारी जो ब्लाक ग्रांट्स की प्रथा है अगर वह कायम हो जाय तभी हमारी यूनिवर्सिटीज आगे बढ़ेंगी। इस विषय पर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल के संबंध में बहुत अच्छी तरह से इन तमाम चीजों को माननीय नारायणदत्त जी ने समझा दिया था और उस वक्त उन्होंने सदन में अच्छी तरह से समझा दिया था कि एक आइडियल यूनिवर्सिटी किस तरह की होनी चाहिये और उन्होंने एक आदर्श हमारे सामने रखा था। मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब वह इस बिल पर विचार करें तो उस नकशे को सामने रखें जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल की बहस के वक्त इधर से सदन के सामने रखा गया था और मैं समझता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी भी शायद इस वक्त बहुत लम्बा भाषण न दें क्योंकि वह सब वही बातें होंगी जो वह बता चुके हैं। मैं किसी के पीछे नहीं हूं और साफ राय जो मेरी है वह बता देना चाहता हूं कि जो कुछ वह अब बदल रहे हैं उस पर उनको फिर गौर करना होगा और तवज्जह देनी होगी। एक बात और है जिसमें मेरा थोड़ा सा मतभेद है लेकिन मैं तो स्पष्टवादी हूं और मेरी जो राय है वह यह है कि एसोसियेटेड कालेज के बारे में या यूनिटरी कैरेक्टर या टीचिंग युनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा नहीं कहता लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि एसोशियेटेड कालेजेज की वजह से स्टैंडर्ड गिरेगा जरूर और मैं समझता हूं कि इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। जहां पर यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स को १२-१२ सौ रुपया वेतन दिया जाता है वहां इन एफिलियेटेड कालेजेज में दो ढाई सौ रुपया ही उनको मुश्किल से मिलता है और नतीजा यह होता है कि वहां पढ़ाने के लिये उस केलिबर के लोग नहीं पहुंच पाते जैसे यूनिवर्सिटीज में पहुंचते हैं और इसका असर जो लड़के वहां से पढ़कर निकलते हैं उनकी क्वालिटी पर पड़ता है। इसलिये हमें यह भी ध्यान देना चाहिये कि या तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को सरकार की ओर से इतना रुपया दिया जाय और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जरूर उनको ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाय कि जितने भी आस पास के विद्यार्थी हों और जो वहां पढ़ना चाहें उन सब के पढ़ने और रहने का प्रबन्ध स्टेट करे लेकिन वह सरकार नहीं करती है। अगर सरकार के पास पैसा है तो यूनिटरी तरीका जो पहले का है वही जरूर जारी रहे लेकिन अगर सरकार पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकती, तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हमारे जो एसोशियेटेड कालेजेज हैं उनके स्तर को हम ऊंचा करें और ट्यूटोरिल क्लासेज वगैरा के जरिये जो लड़के बी० ए० पास कर चुकते हैं वहां के स्टैंडर्ड को भी हमें उठाना चाहिये। जहां वह हफ्ते में ४ घंटे पढ़ाते हैं वहां अगर ८ घंटे या १२ घंटे पढ़ा दें तो हो सकता है कि उन कालेजेज का भी स्तर कुछ-कुछ उठ जाय इस तरह

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

से अगर उनकी सहायता हो जायगी तो उनको भी कुछ लाभ हो जायगा। मैं तो प्रालीटेरियट हूं और सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखता हूं और इसीलिये किसान और गरीब मजदूरों की बात कर रहा हूं और हमारे कांस्टीट्यूशन तक में लिखा हुआ है कि दस साल के अन्दर प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरी कर दी जायगी, अगर हमें शिक्षा का प्रचार करना है तो हमारे पास वाकई इतना धन नहीं है कि हम उस सब को यूनिवर्सिटीज में ही खर्च डालें। आज हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ता कौन है, वहां अमीरों के लड़के ही पढ़ते हैं गरीब वहां नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवरसिटी का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और आगरा के बारे में कहा जाता है कि वहां का कोई स्टैंडर्ड नहीं है और आगरा की कोई कद्र नहीं है, तो हमें इन गरीब लड़कों के बारे मे सोचना है कि जिनके मां बाप के पास ज्यादा पैसा नहीं है और जिनको यूनिवर्सिटीज में जगह नहीं मिलती, जिनकी पहुंच नहीं है उनकी कोई व्यवस्था हम करें, यह प्रादेशिक सरकार का कर्त्तव्य है। इसलिये मैं अधिष्ठाता महोदय इसके लिये क्षमा चाहूंगा, अपने मित्रों से इधर भी और उधर भी। इस मामले में मैं इनसे इत्तिफाक नहीं कर सकता और उधर वालों से भी इत्तिफाक नहीं करता कि वे प्राइमरी स्कूलों को छोड़े बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी शिक्षा कम्पलसरी कब होने वाली है। क्या आखिरी साल में एक साथ ही कर डालोगे? इसकी तरफ भी मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैंने काफी समय ले लिया है अधिष्ठाता महोदय और कोई किताब मैं पढ़ना नहीं चाहता, यदि चाहता तो मैं भी कोटेशंस ले आता पर मैं तो सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन कल माननीय गुप्त जी ने बड़ा जोर दिया कि हम अटानामी के हामी हैं। मैं उनसे भी तेज अटानामी का हामी हूं और बड़े जोरों से इसके बारे में कह सकता हूं लेकिन जो वजह मैंने बताई है, जो कारण मैंने दिये हैं उसकी वजह से कहता हूं कि किस तरह से गवर्नमेंट का इन्फ्लुयेंस यूनिवर्सिटी पर हो सकता है उसको हटाने की कोशिश कीजिये।

दूसरी बात मैं प्रोफेसरों के संबंध में कहना चाहता हूं क्योंकि आज ही कहने का मौका मिला है और कभी कहते हैं तो अटानामस होने के कारण अवसर नहीं मिलता लेकिन आज मौका है इसलिये कहता हूं कि प्रोफेसर्स जो चाहते हैं कि यूनिवरसिटी का स्टैंडर्ड ऊंचा हो, यूनिवर्सिटी एक आदर्श यूनिवर्सिटी बने और जब करोड़ों रुपया यूनिवरसिटीज पर खर्च हो रहा है तो उसके लिये वे डिजर्व भी करें। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर वे प्रोफेसर्स भी जैसे आज गलियों गलियों में मदरसे चल रहे हैं उनके अध्यापकों की तरह से बिहैव करने लगें तो उनके प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। आज हम उनके केस को किसलिये प्लीड कर रहे हैं इसलिये प्लीड कर रहे हैं कि उनकी वहां इज्जत रहे, उनको वहां इंडिपेंडेंस रहे कि हम उनको वहां मौका दें जिससे वे हमारे बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दे सकें, साइंटिफिक वर्ल्ड में हमारे बच्चे आगे से आगे बढ़ सकें, हमारे यहां ऊंची से ऊंची रिसर्चेज हो सकें और दुनिया भर की बातों में अपने बच्चों को उन्नत देख सकें और गुरू वे सच्चे माने में कहलाने लायक रहें। मैं भी यूनिवरसिटी में पढ़ा हुआ हूं और मैं अपने गुरुजनों की आज भी श्रद्धा करता हूं यह नहीं कि क्रोकोडाइल टीयर्स बहा दूं जैसे कि कल यहां पर क्रोकोडाइल टीयर्स बहा दिये गये। हम तो सिन्सियरली उनकी श्रद्धा करते हैं और आज जितनी श्रद्धा है वह जब मैं पढ़ता था तब नहीं थी। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गरीबों के लड़के भी पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं, वह भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन पैसे नहीं दे सकते हैं, थीसिस नहीं लिख सकते हैं और इस कारण वे बढ़ नहीं पाते और आज आप देखिये कि गरीबों के लड़कों को फर्स्ट डिवीजन नहीं मिल पाता है यह बहुत अच्छा नहीं है। उनका ख्याल अवश्य होना चाहिये। ग्रेजुयेट्स को मेडल्स, स्कालरशिप्स वगैरह सब मिलते हैं पर सब में देखिये वे पिछड़े रह जाते हैं; कम्पेटीटिव एक्जामिनेसन्श होते हैं उनमें गरीब विद्यार्थी जो थर्ड डिवीजन में रह गये थे उनका कोई पूछने वाला नहीं है और अगर ये थर्ड डिविजनल विद्यार्थी प्रोफेसर साहब की खुशामद करते तो वह उनका डिवीजन फर्स्ट भी हो सकता। अगर यह बात है तो उसको हटाना चाहिये और अगर नहीं है तो

ईश्वर उनको इससे ज्यादा सदा के लिये बचावे। अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन मैंने जितनी बातें कहीं हैं वे मेरे जजबात हैं तो यह तो ठीक है कि मैं पार्टी के बंधन में हूं लेकिन जिस चीज को ठीक समझता हूं कहता हूं और कोशिश करता हूं अपने सब दोस्तों को समझाने की, चाहे वह इधर के हों और चाहे उधर के हों। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक से वे कैसे एफेक्टेड होते हैं, कोई एफेक्ट नहीं होता। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिये कुछ नहीं किया। आपने उनके लिये डीन आफ स्टूडेन्ट्स बना दिया और क्या आपने समझा कि स्टूडेंट्स के बड़े हित की बात कर दी। वह डीन आफ स्टूडेंट्स को ऐप्वाइंट कौन करेगा? वाइस चांसलर कौन वाइस चांसलर जो एप्वाइन्ट होगा गवर्नमेंट के इन्फ्लुयेंस से, यह सब खराबियां हैं। तो डीन आफ स्टूडेंट्स के लिये कोई ऐसा रास्ता जरूर अख्तियार करना चाहिये कि जिससे स्टूडेंट्स का भला हो। अभी हाल में यूथ कांग्रेस हुई थी यूनिवरसिटी के अन्दर जिसमें हमारे मुख्य मंत्री पंडित पंत गये थे और उनका भाषण हुआ था। उस यूथ कांग्रेस में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब थे, शायद उनका नाम मिस्टर डे था। कहीं उनको अगर डीन बना दिया तो यूनिवर्सिटी के अन्दर तो लाठियां चलने लगेंगी। कम्युनिस्ट कहेंगे कि यह कहां से आ गया, सोशलिस्ट कहेंगे कि यह कहां से आ गया। तो इस मामले पर भी सोचना पड़ेगा कि डीन आफ दि स्टूडेंट्स को एक्जीक्यूटिव कमेटी में रखते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि वह ऐसा आदमी है जो कि स्टूडेंट्स में यूनिटी रख सके। जिस उद्देश्य की पूर्ति उसके जरिये करनी है उसके लायक वह आदमी हों लेकिन इसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। साफ लिख दिया है कि डीन आफ दि स्टूडेंट्स एप्वाइंटेड बाई दि वाइस चांसलर। तो मैं समझता हूं कि हमें सब चीजों का ख्याल रखते हुये बिना पार्टी का ख्याल किये इस पर विचार करना चाहिये ताकि हम इसको और अधिक सुधार सकें, इसमें रिफार्म कर सकें। आज एक हवा है कि यह बिल बिदड़ा होना चाहिये। एक बड़ा भारी परचा भी आया है, एक पिटीशन कुछ लोगों ने दस्तखत करके भेजा है कि उसको खत्म कर दिया जाय, इसको भी आप देखें। आखिर वह लोग भी कुछ अक्ल रखते होंगे, उनकी भी एक विचारधारा होगी, उन्होंने एक पिटीशन के रूप में हमें एक सुझाव दिया और समझाने की कोशिश की, तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब जवाब दें तो उनकी हर एक बात का वह जवाब दें और उस पर प्रकाश डालें। बाहर के लोग भी आपकी बात को सुनें और जिन लोगों ने दस्तखत करके पिटीशन भेजा है वह आपकी बात से कंविन्स हों और मैं समझता हूं कि वही एक तरीका है डेमोक्रेसी में कि जिससे जनता के हृदय पर आप शासन कर सकते हैं। इन सब बातों में अधिष्ठाता महोदय मैंने आपका काफी समय लिया और उसके लिये आप मुझे क्षमा करें लेकिन हमें इस पर फिर विचार करना चाहिये और जैसा मैंने कहा उन सब बातों का ख्याल रखते हुये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर कुछ विचार अवश्य करेंगे।

श्री सी. आर. म शुक्ल––माननीय अधिष्ठाता महोदय, सब से पहले मैं इस बिल के लाने पर अपने शिक्षा मंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री और इस विभाग के कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ-साथ अपने विरोधी वृन्द को भी एक अच्छा व्याख्यान देने के लिये मुबारकबाद देता हूं। उर्दू में एक शेर है:––

वह दुश्मनी से देखते हैं देखते तो हैं,
मैं शाद हूं कि हूं तो किसी की निगाह में।

मुखालिफत की, बहुत अच्छी तरह से मुखालिफत की, बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया लेकिन इस बिल के पक्ष में मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाउस में बहुमत है, काफी विचार-विनिमय के साथ यह बिल लाया गया है। बहस कराके इसको पास कराने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि विरोधी वृन्द क्यों मुखालिफत करते हैं इसको जाना जाय। आपको हमारे साथ करीब ढाई साल हो गया।

एक सदस्य––शेर सुनाइये।

श्री सीता राम शक्ल—शेर सुना चुका, उस समय आप नहीं थे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह इंटरेप्ट किया करें तो होने वाला नहीं है, वह नौजवान हैं, उनके दिल में भी मुल्क की उतनी ही भलाई है जितनी कि हमारे दिल में है। मैं नहीं मानता कि वे देशभक्त नहीं हैं। मैं मानता हूं कि वह देश भक्त हैं और मुल्क की उतनी ही भलाई करना चाहते हैं जितनी कि हम। तब फिर क्यों मुखालिफत होती है? इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पहले आंया था आगरा का, इलाहाबाद का और उस पर कई दिन तक व्याख्यान भी हुये। पक्ष-विपक्ष के तर्कों को सुनाया गया और इसी प्रकार का यह प्रस्ताव भी है। लेकिन फिर भी बड़े जोरदार शब्दों में मुखालिफत की गई और फिर उन्हीं बातों को दुहराया गया जिनको कि पहले कहा जा चुका है। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है बल्कि ऐसा करने से हाउस का समय बरबाद होता है और पब्लिक का पैसा बरबाद होता है। मेरी प्रार्थना है कि जो शिकायत की, मुझे उस शिकायत से कोई शिकायत नहीं। अगर विरोधी वृन्द का इसी में फायदा होता है कि सरकार के हाथ में कम से कम शक्ति जाय तो ठीक है।

हर चीज स्वतंत्र हो, हर जगह आजादी हो, सरकार के हाथ में शक्ति कम जाय और इसलिये वह बराबर कोशिश करते हैं। हमें उसकी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिये लेकिन जहां हमें उनसे शिकायत नहीं वहां अधिष्ठाता महोदय, अदब के साथ अर्ज करता हूं कि हम अपने केस को इस तरह पुट अप करें कि कल तक जो हमारे विरोधी थे वह आज दोस्त बन जायं। सन् १९२१ की बात है कि कांग्रेस ने मजाक में चुनवा करके ९ हरिजन भाइयों को भेज दिये थे। नवाब साहब छतारी होम मेम्बर थे। वह ९ जो भेजे गये थे उन सबको उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया और अपने साथ बैठाया और वह नवरत्न कहलाते थे। अगर हम लोग भी अपनी बातों को अच्छे तरीके से पेश करें तो मैं हिम्मत करता हूं कि लाल टोपी सफेद हो सकती है। (एक सदस्य—हो गयी है) हां एकआध की तो हो गयी किन्तु मैं तो सब की सुफेद देखना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है कि आपने फर्माया है कि कल माननीय गुप्ता जी ने अपनी तरफ से यह फर्माया था कि यूनिवर्सिटी की कोई शिकायत नहीं है, काम अच्छा चल रहा है तो फिर बिल लाने की क्या जरूरत है? यह तर्क हमारे माननीय जोरावर वर्मा जी ने पेश किया था। मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि अब तक तो कोई खास शिकायत तो नहीं रही लेकिन गलती होने का अन्देशा है, जो हरकत विद्यार्थियों की हो रही है या होने जा रही है, इससे अन्देशा मालूम होता है कि कुछ एलेक्शन लेना चाहिये, वर्ना कल नुकसान पहुंच सकता है। इसलिये यह बिल पेश किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का काम अच्छा है? ठीक-ठीक चल रहा है? उत्तम काम वह कर रहे हैं? कोई शिकायत की बात नहीं है? और अगर है तो बिल लाकर क्या गलती की गयी। अन्देशा था इसलिये बिल लाया गया ताकि वह गलतियां न हों आज जोर दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को आजादी मिलनी चाहिये, हस्तक्षेप न कीजिये। मैं अर्ज करता हूं कि हस्तक्षेप उसका बुरा होता अगर यहां पर कोई विदेशी सरकार होती, कोई उच्छृंखल सरकार होती, कोई डिक्टेटर होता। यहां तो अपनी चुनी हुयी सरकार है, किसानों, मजदूरों के वोटों से, बालिग मताधिकार पर चुनी हुयी सरकार है। अगर इसके हाथ में अधिकार जाता है तो गलत जगह पर अधिकार नहीं जा रहा है, अपने हाथ में अधिकार जाता है। बहस में कहा गया है कि चुनाव कम हों, इलेक्शन कम हों, पार्टीबाजी कम हों और जब पार्टी-बाजी रोकने की कोशिश की जाती है तो आप रूठते हैं यह ठीक नहीं है। रुपये का खो जाना बुरा है, लेकिन बैंक में जमा हो जाना बुरा नहीं होता। इसलिये विदेशी सरकार के हाथ में शक्ति जाना बुरा होता है, किन्तु अपनी सरकार के हाथ में शक्ति जाना अच्छा होता है। इसलिये जो बात वह कहा करते हैं कि आप ही ने कांग्रेस ने तो उच्छृंखलता सिखलायी, अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं? हम विदेशी सरकार की हुकूमत हटाने के लिये खुद भी आगे बढ़ते थे, खुद भी सलाह देते थे, बच्चों का पढ़ना छुड़ा दिया था। ऐसी हालत में हम जो काम तब करते थे विदेशी सरकार के जमाने में, वही चीज अब करेंगे तो अनुचित हो जायगी।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मेम्बर साहबान जो यहां बैठे हुये हैं, जैसा कपड़ा दिसम्बर, के महीने में पहने हुये हैं अगर मई में पहने तो अच्छा नहीं लगेगा,जायज़ नहीं होगा लेकिन आजकल पहनना जायज़ होगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है ।

(कोरम पूरा करने के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य के भाषण से डरकर शायद सदस्य लोग भाग गये हैं ।

(कोरम पूरा होने के बाद)

श्री सीताराम शुक्ल--मेरे भाषण से भाग गये हैं या अध्यक्ष महोदय के डर के मारे भाग गये हैं यह तो भागने वाले से पूछा जाय तब वही बतलायेंगे क्योंकि मुझसे कौन डरेगा लेकिन आपसे लोग डरते हैं। (हंसी)

तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि बैंक में रुपया जमा करना बुरा नहीं है, पाकेट से खो जाना बुरा है । अपनी सरकार के हाथ में शक्ति जाना खतरनाक नहीं होता । हमारे दोस्तों ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा है कि राजनीति में विद्यार्थियों को घसीटने के लिये बार-बार मना किया जाता है.....

श्री जगन्नाथ मल्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी शुक्ल जी ने जो यह कहा कि आपके डर से भाग रहे हैं तो यह रेफ्लेक्शन टु दी चेयर है ।

श्री उपाध्यक्ष--नहीं, मैं समझता हूं कि ऐसे हास्य बिनोद की कभी-कभी आवश्यकता पड़ती है ।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं अब यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह लाल टोपी के डर के मारे भाग गये थे। मैं गलती करके आपको कह गया था अब आपने सुधार दिया। उसके लिये धन्यवाद ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया कि बच्चों को राजनीति से अलग रहना चाहिये और कल हमारे माननीय वर्मा जी ने बड़े जोरदार शब्दों में उपदेश दिया। मैं अर्ज करता हूं कि कोई दूसरा कहे तो कहे कि राजनीति से बच्चों को अलग रहना चाहिये मगर ये लाल टोपी वाले भाई कैसे अपनी जुबान मुबारक से यह फरमाते हैं, कि जिनका काम ही है कि लड़कों में जावें और उनको उलटे सीधे समझावें । लड़कों का दिल बहुत साफ होता है , उनका चित्त बड़ा सरल होता है । उनके सामने जाकर व्याख्यान दिया जाता है कि भाई यह सारी गलती सरकार की है, स्वराज्य हुये सात साल हो गये, अभी गरीबी नहीं गयी, लोग तकलीफ सह रहे हैं । ये मिनिस्टर पूंजीपति हवाई जहाज पर घूमते हैं और हमारे बहुत से भाई अभी भी नंगे पांव चलते हैं। उलट दो ऐसी सरकार को । दिल भावुक होता है बच्चों का, सेंटीमेंट्ल बातें कर दीं, बच्चे उनके साथ हो गये और साथ हो जाने को ही बात नहीं है, वह यह भी उपदेश देते हैं कि दूसरों को अपनी सभाओं में मत आने दो, अपने बीच में तुम दूसरों को मत बोलने दो। नतीजा यह होता है कि दूसरा कोई समझाना चाहे तो लड़के उसको बोलने नहीं देते हैं, उसकी साइकिल पंक्चर कर देते हैं । यहां लड़कों का जुलूस आता है तो माननीय बाबू राजनारायण सिंह का व्याख्यान होता है, लोहिया साहब का वहां ले जाकर उनका व्याख्यान कराया जाता है, यहां तक कि प्रोपेगेंडा प्रचार और तोड़-फोड़ तक के लिये इशारा किया जाता है । लेकिन अगर माननीय पंत जी का व्याख्यान यूथ कांग्रेस वालों ने कराया तो बड़ी गलती हो गयी, हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जो ने व्याख्यान दिया तो गलती हो गयी । तो यह एक अजीब हालत है । वह गलत काम करें तो जायज है और हम ठीक काम करें तो नाजायज है । इस तरह का गलत प्रोपेगेंडा ये करते हैं । लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं चल सकता । तर्क की कसौटी पर पहले कसिये । आपके इसी गलत प्रोपेगेंडा का नतीजा है कि बहुत से लाल टोपी वाले आपका साथ छोड़कर कांग्रेस में चले आ रहे हैं। आपके बहुत से आदमी ५०,५०-६०,६० आदमी लालटोपी छोड़ कर कांग्रेस में आ रहे हैं। इसलिये मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि पहले तर्क की कसौटी पर कसिये फिर.....

श्री जगन्नाथ मल्ल––हाउस में फिर कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री सीताराम शुक्ल––उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि पूरी ताकत लीजिये, झिझकिये मत । यह काफी नहीं कि तीन आदमियों का नाम आये, तीन दफा बहस की जाय, उसके बाद एक नाम लिया जाय वह पहले ही मर्तबा आये और सर्वसम्मति से आये और चांसलर ठीक नहीं समझें तो वह उसे हटा दें। क्योंकि इस तरह से बच्चों की जिन्दगी नहीं बिगाड़ी जा सकती । बच्चे सदन के फाटक पर आकर क्या व्याख्यान देते हैं? यह कि सदन में शिक्षित, अर्ध शिक्षित और अशिक्षित सदस्य हैं। व्याख्यान होता है हाउस के बाहर और हमारे विरोधी दल के लोग व्याख्यान देते हैं। लड़कों का फैसला आनरेबिल मेम्बर के बारे में होता है । मैं कहता हूं कि सिर्फ पुस्तकों को पढ़ कर विद्वान् होना काफी नहीं है । शास्त्रकारों ने कहा है कि 'चरित्रवान्पुरुषस्य विद्वान् अर्थात् विद्वान वही है जो कि चरित्रवान् भी हो, खाली किताबों का बोझ लादने से कोई विद्वान् नहीं हो सकता । 'यथा खरश्चन्दन भारवेत्ता, भारस्यवेत्ता नतुचन्दनस्य" । एक गधे के ऊपर चन्दन का बोझा लादा जाता है, तो उसे उसे बोझे का पता रहता है न कि चन्दन का ? केवल सर्टिफिकेट ही काफी नहीं है । किताब पढ़ना बुरी चीज नहीं है लेकिन खाली डिग्री हासिल कर लेने से कोई विद्वान् नहीं हो जाता। उसके साथ चरित्रवान् होना भी जरूरी है । लड़कों को मिठाई खाने की आजादी दी जा सकती है, किताब पढ़ने की आजादी दी जा सकती है और डिबेट करने की आजादी दी जा सकती है लेकिन बच्चों को खुदकुशी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती । कानून बनाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती इस तरह की चीजों को कैसे बरदाश्त किया जा सकता है। मेहरबानी करके पूरी ताकत अपने हाथ में लीजिये। एक दफा चुनाव हो गया, गवर्नमेंट बन गयी, उसके बाद फुल ताकत अपने हाथ में लीजिये ताकि बच्चों की लाइफ बने। वरना डिमोक्रेसी और आजादी के नाम पर बच्चों की लाइफ खराब होने जा रही है । इसलिये झिझकने की जरूरत नहीं है । पब्लिक हमारे साथ है ।

मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि वह हो कैसे ? वह इस तरह कि भर्ती थोड़ी उम्र के प्रोफेसरों की बन्द कर दीजिये । २५ साल तक इम्तहान पास करने के बाद, कुछ पढ़ने लिखने के बाद उनको प्रोफेसर बना दिया जाता है । उनकी उम्र और विद्यार्थियों की उम्र में थोड़ा सा फर्क होता है । उन्हें तजुर्बा नहीं है खाली दर्जा हासिल करना ही काफी नहीं है, अनुभव होना भी जरूरी हुआ करता है । उनके सामने दुनिया का तजुर्बा होना भी जरूरी है, तब उनकी बुद्धि परिपक्व हुआ करती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि रिटायर्ड अफसरों को वहां रखिये, उन्हें प्रोफेसर बनाइये । शर्त लगा दीजिये कि ४५ वर्ष से कम उम्र का कोई आदमी नहीं रखा जायगा । आनरेरी प्रोफेसर्स रखिये । अगर इस देश में जेल जाने के लिये, फांसी पर चढ़ने के लिये आदमी मिल गये तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आनरेरी प्रोफेसर्स भी मिल सकते हैं । रिटायर्ड अफसरों को रखिये । उच्च अभिलाषी होना बुरी चीज नहीं है किन्तु पदलोलुपता बड़ी खतरनाक होती है । आज विद्यार्थी हैं, कल प्रोफेसर्स होंगे, ऊंचे दर्जे पर पहुंचेंगे, प्रीमियर बनेंगे। हर एक को अभिलाषी होना चाहिये। उपनिषदों में यहां तक कहते हैं, "सोहं ब्रह्म", हम ईश्वर हैं। लेकिन वह हैं तपस्या करके, न कि दूसरे को गाली देकर और निन्दा करके।

लेकिन उच्च अभिलाषा और एम्बीशन में गुण पैदा करके कम्पटीशन में आने में समय लगता है । किन्तु दूसरों की निन्दा करके लीडरी हासिल करने में समय नहीं लगता मेरा कहना यह है कि ऐसे लोग हमारी यूनिवर्सिटीज में आयें जो ईमानदारी के लिये मशहूर हों, ऐसे प्रोफेसर्स रखें जायं जो आनरेरी हों और रिटायर्ड आफिसर्स हों तब उनका पढ़ना अच्छा होगा। उन बच्चों की हमें कोई शिकायत नहीं है, प्रोफेसर के प्रति भी कोई शिकायत नहीं है लेकिन चंद उच्छृङ्खल तबियत के लोगों की वजह से ऐसा हो जाता है । आप यदि ऐसे लोगों को प्रोफेसर बनाकर भेजेंगे तो कोई बात खराब नहीं हो सकती है ऐसे लोग अगर आयेंगे तो सब काम ठीक होगा

वह पुराना जमाना जबकि स्वामी शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक पनिहारिन से पूंछा कि मंडन मिश्र जी का मकान कहां है, तो उस पनिहारिन ने संस्कृत में कहा कि जिस घर के सामने तोता मैना संस्कृत में बोलते हों, जहां विद्यार्थियों के भी विद्यार्थी मौजूद हों वही मंडन मिश्र का मकान है

"जगद् ध्रुवं स्याद्, जगद ध्रुवं स्यातु कांगना यत्रविचारयन्तिशिष्योशिष्येगीयमानम् अवेहितन्मन्डन मिश्र धाम

यदि इसमें ऐसे लोग प्रोफेसर्स होंगे तो हमारे विद्यार्थी सच्चरित्र ही नहीं होंगे बल्कि स्वदेश तथा संसार की भलाई भी कर सकेंगे जिसे देखकर स्वर्ग में महात्मा जी की आत्मा प्रसन्न होती रहे।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह शिक्षा सम्बन्धी संशोधन विधेयक सदन के सामने है इस पर विरोधी सदस्यों ने जो यह कहा है कि इसको दुबारा प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, यह कहां तक उचित है, यह मेरी समझ में नहीं आया। सबसे पहली बात यह है कि जब हम अपने पहले की शिक्षा और आजकल की शिक्षा पर ध्यान देते हैं तो हमें बड़ा खेद होता है। जो विधेयक प्रवर समिति द्वारा पास हो जाने के बाद सदन में, प्रस्तुत हुआ है उसको हमारे साथी जो शिक्षित हैं वह दुबारा प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं। यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की है। क्या उन्होंने इसी किस्म की शिक्षा प्राप्त की है कि इसको बराबर लौटायें और इस तरह से सदन का समय नष्ट हो।

मैं अपने विरोधी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार के सुझाव, जो सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं वह उनको वापस ले लेना चाहिये और एक सच्चे और सही तरीके से वाद विवाद चलता है उसको चलने दें ताकि सदन के कार्य में कोई रुकावट न हो और जिस विधेयक को जिस कार्य के लिये लाये हैं उसको सत्यता के साथ और न्याय के साथ पास होने दें और उसमें बाधा न डालें। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है प्रत्येक देश के निवासी का कर्त्तव्य है कि वह सब मिलकर ऐसे तरीके से चलायें ताकि देश का कल्याण हो और हमारी आने वाली संतान का जीवन सुधर सके और दूसरे देश आपकी बनायी हुई शिक्षा पद्धति से कुछ प्राप्त कर सकें। हमारे भारतवर्ष में पहले दुनियां के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। लेकिन आज हम यहां ऐसा विधेयक प्रस्तुत करते हैं और ऐसा कहते हैं कि यहां से इंगलैन्ड, अमरीका और जर्मनी वगैरह जाकर हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको दुबारा प्रवर समिति में भेजा जाय तो ठीक होगा। यह बात नहीं है। जिस तरह से आप लोग विश्वविद्यालयों में उपद्रव उठाना चाहते हैं उससे किसी पार्टी की ही हानि नहीं होती बल्कि सारे देश को हानि पहुंचती है। नवयुवकों का जीवन नष्ट होता है। यह विधेयक बहुत सोच विचार करके रखा गया है और आप लोग भी जरा अपना मस्तक सुधार कर फिर से ध्यान दें, जहां तक हमारी शिक्षा पद्धति का प्रश्न है हम चाहते थे कि देश के स्वतंत्र होने पर वही हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति आयेगी कि हमारे आचार्य लोग एक वृक्ष के नीचे बैठकर हमारे नवयुवकों को शिक्षा देंगे।

श्री जोरावर वर्मा—यहां तो नयी नयी बिल्डिंगें बनवायी जा रही है।

श्री हरि सिंह—जहां तक नयी बिल्डिंग के बनवाने का प्रश्न है उसके कारण तो आप और आपके नेता हैं। हमारे पूज्य बापू की जो शिक्षा पद्धति थी यदि आप सब उस पर चलते तो आज जो हड़ताल करने की और जनता में एक संघर्ष पैदा करने की भावनायें आप नवयुवकों में पैदा करते हैं वह नहीं कर पाते।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—इस पर तो कुछ कह डालिये यह यूनिवर्सिटी बिल है।

श्री हरिसिंह---इसी पर कह रहा हूं भगवन् । तो जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे देश में ऊंची से ऊंची शिक्षा हो और आप लोग जो महज लड़ाई लड़ाते हैं .....,.

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहता हूं कि वह सीधे बातें न करें, मेरे द्वारा कह सकते हैं ।

श्री हरिसिंह---मैं आप ही के द्वारा कह रहा था, लेकिन उपाध्याय जी ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था । शिक्षा के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि वह बहुत ही कम खर्च वाली हो । इसका एक ही सुधार है कि गांवों में चौपालों के भीतर और वृक्षों के नीचे बैठकर हमारे आचार्य लोग वेतन न लेकर पढ़ायें ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—यही लिखा भी है इस बिल में ।

श्री हरि सिंह---यह इस बिल में आना आवश्यक है । आपके बच्चे उन चौपालों के नीचे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप तो उस सरमायादारी वर्ग से हैं कि आपको बड़ी-बड़ी बिल्डिंग में रहने की आदत है ।

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री हरि सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विरोधी दल के माननीय सदस्यों से यह बता देना चाहता हूं कि उनके पास हमारे विद्यार्थियों को हड़ताल कराने और देश में उपद्रव मचाने के सिवा शिक्षा देने के लिये और कुछ नहीं है । मेरा अपना यह ख्याल है कि उनसे यह हो भी नहीं सकता कि कोई नयी योजना रखें जिससे देश का कल्याण हो । जहां तक विश्वविद्यालय का प्रश्न है विश्वविद्यालय में आप लोग इधर एक तरफ विरोध करते हैं, एक तरफ उन बड़े बड़े प्रोफेसरों और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी तनख्वाहों के लिये लड़ते हैं और जब एक तरफ सरकार कहती है तो उसका विरोध करते हैं । मैं तो विरोधी दल के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा जहां तक हो सके वह इतनी कम खर्चीली होनी चाहिये ताकि गरीब के बच्चे भी अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें । परन्तु आज तक आपके द्वारा कोई भी विरोधी दल के सदस्यों ने एक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया जिससे कम खर्च पर शिक्षा दी जा सके । उल्टा उन्होंने उसे इतना कठिन बना दिया है कि गरीब वर्ग का विद्यार्थी इतना व्यय नहीं कर सकता और सरलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---यही हम लोग कहते हैं ।

श्री हरि सिंह---आप तो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं । कोई योजना आपने प्रस्तुत नहीं की है । सिवा इसके, वही एक योजना है कि आप विद्यार्थियों द्वारा उपद्रव उठवाए और उन नवयुवकों का जीवन नष्ट करें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---बिल के चौदहवें सफा में यही लिखा है ।

श्री हरिसिंह---जहां तक अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी सदस्यों का प्रश्न है वह हमेशा कागज दिखाते रहते हैं । हाउस में भी कागज दिखाते रहते हैं, उनके मस्तिष्क में कोई ऐसी बात है नहीं जिससे देश का कल्याण हो । यदि आप लोगों के पास कोई ऐसी योजना है तो आप उस योजना को लाइये और उसका प्रचार कीजिये । अगर सरकार उसको उचित समझेगी तो उस पर विचार कर लेगी । जो बात हमारे नेताओं ने उचित समझी है, जनता के हित में, देश के कल्याण के लिये, वह सदैव मानी है । हम सब का मिल कर यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम देश के लिये ऐसी शिक्षा चालू करें जिससे देश का कल्याण हो, नवयुवकों के जीवन का कल्याण हो । परन्तु ऐसी बातें नहीं हैं । आपके यहां जो वाइसचांसलर हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों ने कोई

सुझाव नहीं दिया। आज वह गवर्नमेंट का विरोध करते हैं, लेकिन जब कल आप स्वयं वहां वाइस-चांसलर थे तो एक भी विरोधी दल के सदस्य ने यह विरोध नहीं किया कि वह इतनी बड़ी तनख्वाह न लें या इतनी बड़ी कोठी में न रहें। परन्तु आज जब सरकार की तरफ से वह चीज आती है तो माननीय विरोधी दल के सदस्य इसका विरोध करते हैं। क्या यह बुद्धिमत्ता की बात है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा अपने माननीय विरोध दल के सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि आपकी इन योजनाओं से देश का कल्यान हो नहीं सकता और न जनता की कभी भलाई हो सकती है। आप लोग ऐसी बात सोचें जिससे देश का कल्याण हो, यहाँ के नवयुवकों का उत्थान हो और शिक्षा प्रणाली में कम से कम यह हो कि यहाँ का गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा प्राप्त कर सके।

और यह जो सुझाव पेश कर रहे हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सिपुर्द कर दिया जाय इसका मैं घोर विरोध करता हूं क्योंकि इससे जनता के रुपये का अपव्यय होगा।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ता को उनकी उस हिम्मत और धैर्य के लिए बधाई देता हूं जिसका परिचय उन्होंने इस सदन में दिया है। माननीय सदस्यों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने इस सदन के भाषणों के पेंडुलम के दोनों एक्स्ट्रीम्स के विचारों को सुन सके।

मैं बीच में एक पेंडुलम की तरह लटकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने विचार इस सदन के सामने रखूं। प्रस्तुत विधेयक के बारे में जो बड़ी-बड़ी बातें हैं वे तो आप लोग सुन चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो राबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता याद आती है। वे कहते थे कि हमारी जितनी भी समस्यायें हैं, उनपर हमारे विचार या तो बहुत ऊंचे उठते हैं या तो हमारे विचार बहुत ही ऊंची सतह पर रहते हैं, परन्तु संसार में जो व्यवस्था कायम होकर यहां के कारोबार को संचालित करती है वह स्टीम पर न चल कर बीच में चलती है—

"The common problems yours—mine—every ones,
Is not to fancy, what were fair in life,
But first finding what may be,
Then find how to make it fair up to your means
—a very different thing,
No abstract intellectual plan of life,
Quite irrespective of life's plainest laws,
But a man who is a man and nothing more,
May lead within this world."

इस प्रकार के विचार उस स्तर पर मेटिरियलाइज नहीं होते जिस विकास के स्तर पर हमारा देश है। मैं समझता हूं कि सुन्दर विचार उतने ही हमारे देश की प्रगति के लिये इस स्टेज पर बाधक हो सकते हैं, जितने कि वे दूसरे विचार, जो समय से बहुत पीछे हैं और जिनका जिक्र कि सदन के सामने किया जा चुका है और कहा जाता है कि जो व्यवस्था पहले की थी उसी व्यवस्था को कायम रहने दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं क्योंकि हमारे देश की ओर से, जनता की ओर से, सरकार की ओर से कई कमीशन हमारी यूनिवर्सिटीज के प्राब्लम्स को साल्व करने के लिये बैठाये गये और उन कमीशनों ने बड़ी-बड़ी पोथियां हमारी जनता को, सरकार को, प्रदान की परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी कमीशन की रिपोर्ट को माननीय सदस्य पढ़ डालें उनको पता चलेगा कि हमारे देश के जितने बड़े-बड़े विद्वान हैं वे एक विचारधारा को कायम नहीं कर सके कि वह कौन सी पद्धति होगी, कौन से रिफार्म्स होंगे, जो कि हमारे देश को ऊंचा उठा सकते हैं। मुझे खेद है, महान् खेद है इस बात का कि हमारे देश के बड़े-बड़े विद्वान् जो कि ऊंचे-ऊंचे विचार रखते हैं जिन्होंने हजारों किताबें लिखी हैं, दुनियां जिनके थिंकिंग का लोहा मानती है, वे भी इन कमेटीज में बैठ कर राइट साल्युशन नहीं दे सके। इसका कारण हमारी शिक्षा-दीक्षा है जो कि उधार ली हुयी है, जिसमें कि हमने हर चीज वेस्टर्न कन्ट्रीज से उधार लेकर जबरदस्ती अपने देश के ऊपर थोपी है जिससे कि हमारे दिमाग का विकास बिल्कुल रुक गया और उसकी गति रुक जाने से हमारे दिमाग का पूरा-पूरा विकास नहीं हो सका। इसलिये आज कल भी हमारे पढ़े लिखे लोग नये ढंग चाहते हुये भी उनको कोई रास्ता

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

नजर नहीं आता। अगर उन्हें कोई चीज लिख कर देनी है तो उनको पहले किताबें प्रोवाइड करनी होगी। माननीय उपाध्याय महोदय, हमारे सदस्य इस विधान सभा के कितना महत्व इस शिक्षा के विषय को देते हैं यह इस सदन की उपस्थिति से नापा जा सकता है। मुझे खेद है और अत्यन्त खेद है कि जब हम अपने देश के भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं और जब हम अपनी शिक्षा का प्लान बनाने जा रहे हैं और जब कि हम अपनी पुरानी रूढ़ियों को रिफार्म करने जा रहे हैं और रिफार्म करके देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं हम लोग अपने उत्तरदायित्व को उतना नहीं समझते हैं। क्या यह इस बात का सूचक नहीं है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं। क्या यह इस बात को जाहिर नहीं करता कि हम अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कितना अपना उत्तरदायित्व समझते हैं? क्या आज हम इसका परिचय इस सदन में नहीं दे रहे हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह जो शिक्षा का प्राबलम है यह पार्टी पालिटिक्स से बिलकुल अलग है। किसी भी व्यक्ति को हमारी शिक्षा की पालिसी को निर्धारित करते समय, अपने देश की शिक्षा की व्यवस्था करते समय अपने को पार्टी पालिटिक्स से अलग करके अपने को गौरवान्वित समझना चाहिये और पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिये। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि सब बातों में पार्टी पालिटिक्स हो सकती है। परन्तु शिक्षा सब से ऊंची शिक्षा और सब से अच्छी शिक्षा होनी चाहिये। कौन पार्टी कहती है कि हमारे देशमें ऊंची से ऊंची और अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं होनी चाहिये, हम भारतवासी हैं और हमारे देश में हमारा वातावरण हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता एक हो और हमारी शिक्षा-दीक्षा उच्चस्तर की हो इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान.....

श्री जगन्नाथ मल्ल---इस समय फिर कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी फिर कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री चन्द्रसिंह रावत---जो रिफार्म्स हम यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं मैं उनमें से उनमें ज्यादा इन्टरेस्टेड हूं जो कि हमारे बच्चों के ऊपर डाइरेक्ट असर रखते हैं। मैं समझता हूं कि ऊंचे कानूनों के बना देने से हैविनली पैरेडाइज का चार्टर पैदा करने से यूनिसवर्सिटी का स्टेटस ऊंचा नहीं हो सकता। कानून किसी देश की शिक्षा को ऊंचा नहीं उठ सकता है। जो शिक्षा पर खर्च होता है वह शिक्षा-दीक्षा को ऊंचा उठा सकता है। वहां के मीन्स ऊंचा उठा सकते हैं। माननीय जोरावर वर्मा जी ने कहा कि यह कमी है, दूसरी कमी है और तीसरी कमी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल लाया गया है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब कमियां हैं तो उन्हें दूर करना आवश्यक है और इसीलिये यह बिल लाया गया है। तो इस तरह से उनके सवाल का जवाब उन्हीं के मुंह से मिल जाता है। उन कमियों को नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता। यह निर्विवाद है कि ऐसे पीस आफ लैजिस्लेशन की जरूरत थी जो कोई भी अपने बच्चों के भविष्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं वे इससे इंकार नहीं कर सकेंगे कि जब तक कैओस और डिसआर्डर जो कि आजकल यूनिवर्सिटियों में है उसे दूर न किया जाय वे शिक्षित नहीं हो सकते यूनिवर्सिटी में जाने से पता चलता है और हम वहां के विद्यार्थी रहे हैं तो हमने देखा कि वह दो संस्थायें हैं जिनमें विद्यार्थी काम करते हैं जिनको काकपिट्स कहा जाता है। यूनिवर्सिटीज में बड़ी-बड़ी पार्टीज हैं और पुरानी व्यवस्था के गीत गाये जाते हैं। परन्तु मैं बतलाना चाहता हूं कि यह फेमिली मानोपोली नहीं होनी चाहिये। यह किसी देश में नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज देश की हैं और किसी पार्टी की नहीं हैं और वे देशहित में यानी जनहित में ही चलनी चाहिये।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब कभी वाइसचांसलर की या कोई दूसरी जगह खाली हुयी तो भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्यानों ने और विदेशियों ने दरख्वास्तें दीं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन लोगों को यूनिवर्सिटी का दरवाजा देखने तक का मौका

नहीं दिया गया और मक्खी की तरह से उनकी दरख्वास्तों को फेंक दिया गया चूंकि किसी भी अच्छे आदमी की हिम्मत नहीं होती थी कि चुनाव में खड़ा हो सके। वहां जो दलबन्दी थी वह अपने गुट में से किसी नाम को पेश करके हमेशा अपनी गुटबाजी को मजबूत बनाये रखती थी। और वही हालत अभी तक चली आ रही है। कम से कम हमें उस रिफार्म को करना ही है और गुटबन्दी को, उस मौनोपली को खत्म करना ही है और इस प्रकार जो यह लेजिस्लेशन रक्खा गया है कि अगर यूनानीमसली कोई वाइसचांसलर नहीं चुना जाता है, तो तीन आदमियों की लिस्ट भेजी जायगी, इस प्रकार के पीस आफ लेजिस्लेशन की अत्यन्त आवश्यकता थी क्योंकि बड़े-बड़े विद्वान् आपके कदमों को चूमने के लिये नहीं आयेंगे। यह तो समाज और मुल्क का काम है कि वह विद्वानों को ढूंढे यह विद्वानों का काम नहीं है कि घर घर जाकर वह ढूंढें कि किस-किस दरवाजे पर उसको वोट मिल सकता है। मैं समझता हूं कि वह विद्वान् होना चाहिये चाहे वह माइनोरिटी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो। इसमें ऐसा भी प्राविजन होना चाहिये कि अगर किसी विद्वान् की सपोर्ट यूनिवर्सिटी के कोर्ट या ऐक्जीक्यूटिव में नहीं है, और यह सपोर्ट उसकी गुटबन्दी के कारण नहीं है तो उसको डिबार न कर दिया जाय। अगर ऐसा प्राविजन नहीं किया गया तो वह मुल्क का दुर्भाग्य होगा। जितनी भी २–४ पार्टीज हों उन सब का कैंडीडेट ऐक्जीक्युटिव कमेटी में आ सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर आपने ऐसा नहीं किया और जो खामियां पहले बिल में थीं उन्हीं को रहने दिया तो इस बिल को लाकर आपने सदन का समय नष्ट किया, ऐसा ही कहा जायगा। इस बिल के अन्दर एक ऐसा मौका अवश्य होना चाहिये जिससे भारत के अच्छे से अच्छे विद्वान् का नाम आ सके तभी ठीक होगा। अगर इस बिल के द्वारा प्रोपेगेंडा वालों का सपोर्ट किया गया तो यह देश, का बड़ा भारी दुर्भाग्य होगा। इसमें कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, कोई भी आदमी जो विद्वत्ता रखता हो, मुल्क के हितों का रक्षक हो उसको ही हमें लाना चाहिये न कि उसको जो केवल प्रोपेगेंडा कर सकता हो। हम इस पार्टी पोलिटिक्स को शिक्षा के क्षेत्र से हजारों मील दूर रखना चाहते हैं क्योंकि वहां पर हमारे देश के भावी नागरिक बनाये जाते हैं। यूनिवर्सिटीज के प्रोडक्ट के बारे में बड़े-बड़े गीत गाये जाते हैं। हमें ये गलत गीत गाने छोड़ देने चाहिये। हमें तो यह देखना चाहिये कि जो भारतवर्ष की जनता है उसकी गरीबी, उसकी अज्ञानता मिट रही है या नहीं। हमें एक ऐसी लहर पैदा करनी चाहिये जिससे अज्ञानता के अंधकार का विनाश हो, और प्रकाश फैले उसीको शिक्षा भी कहा जा सकता है। हमें यह देखना चाहिये कि आज की शिक्षा हमारे समाज को, हमारे बच्चों को क्या बनाने जा रही है। हमें यह देखना चाहिये कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वे पेट भर्तुओं को पैदा कर रही है या कि देशभक्तों को। शिक्षा वही कही जा सकती है जो देशभक्तों को पैदा करे। वह शिक्षा दीक्षा भले ही आपके दिमाग से ऊंची हो, आप बहुत अच्छी कविता लिखते हों और इतिहास के पोथे लिखते हों लेकिन अगर आपने अपने देश की बहबूदी के लिये आंसू न बहाये तो मैं कहता हूं कि आपकी वह शिक्षा दीक्षा बेकार है और आप अपने को उस ऊंची शिक्षा दीक्षा से महरूम रखें। जो शिक्षा दीक्षा इंसान को इंसान नहीं बनाती, जिससे केवल पेटभक्त ही पैदा हो सकें, जिससे मुल्क के नौजवान नये काम के लिये अपने दिमाग को न लगा सकें और जिसके अन्दर मुल्क के जीवन को ऊंचा उठाने के लिये बच्चों के हित चिन्तन की बात न हो, जिससे मुल्क ऊंचा न उठ सके उस शिक्षा दीक्षा के ऊपर लानत है। जो मुल्क के हितैषी हैं वे यूनिवर्सिटी के अन्दर केवल किताबों के जरिये ही विद्यार्थियों को शिक्षा दीक्षा देने के बजाय भारतवर्ष की भूमि के अनुसार शिक्षा दीक्षा देकर उनको इंसान बनायें तभी मुल्क की बहबूदी हो सकती है और शिक्षा दीक्षा फलीभूत हो सकती है। एग्रीकल्चर कालेज की बात है कि वहां पर केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है, लेकिन एनिलिसिस आफ स्वायल होता है इंगलैन्ड का। रहते हैं भारतवर्ष में और यहां के स्वायल की बात छोड़ कर वहां की एनालिसिस आफ स्वायल के बारे में लड़कों को शिक्षा दी जाती है। ऐसी केमिस्ट्री की पढ़ाई को मैं बिलकुल बेकार समझता हूं। क्या आप समझते हैं कि इसी तरह से भारतवर्ष ऊंचा उठ सकता है? हरगिज नहीं। आगरा एग्रीकल्चर कालेज का ही किस्सा है कि वहां पर एक खेत के दो हिस्सों में

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

गोभी के पौधे लगाये गये। कालेज की तरफ से एक फुट के फासले पर गोभी के पौदे लगाये गये और दूसरी तरफ एक किसान ने गोभी के पौदे लगाये जो काफी दूर दूर पर थे। नतीजा यह हुआ कि किसान वाले पौदों में तो गोभी के बड़े बड़े फूल लगे और कालेज वाले पौदों में बिलकुल छोटे-छोटे फूल ही लग सके। इस तरह से एक किसान जिसको हम लोग जाहिल समझते हैं उसने बतला दिया कि आपकी शिक्षा में और यहां की शिक्षा में क्या फर्क है। इंगलैन्ड में इकनामिक्स जो पढ़ाई जाती है वह यहां नहीं लागू हो सकती क्योंकि वहां के होल्डिंग करने के तरीके में और भारतवर्ष के तरीके में बहुत फर्क है। वहां की इकनामी यहां नहीं लागू हो सकती। मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आप लोग अगर लाइटली लेंगे तो जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करेंगे। जब कि आप दारुलशफा के कमरों में बैठे रहते हैं, जब कि आप की सेवाओं की मुल्क को जरूरत है और जबकि आप के समय की यहां कीमत अदा की जाती है, जबकि आप पर जनता का रुपया खर्च किया जाता है लेकिन आप उस रुपये की कोई यूटिलिटी जनता को प्रदान नहीं करते, इसका मुझे बहुत खेद है। मैं बताना चाहता हूं कि लेजिस्लेशन से इस तरह के समील लेजिस्लेशन से कोई देश का भला नहीं होने वाला है और उससे देश ऊंचा होने वाला नहीं है। हमें अपने कानून को बहुत ही गहरे फाउन्डेशन्स पर बनाना होगा और बहुत सोच समझ कर और लोगों के दिमागों को देखकर उनकी प्रवृत्ति और हालतों को देखकर कानून बनाना होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं यह जानना चाहता हूं कि आज यह बहस किस बिल पर हो

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि अगर उन की समझ में इतनी सी बात भी नहीं आयी है तो मैं उनकी इमदाद के लिये तैयार हूं और उन को बता देना चाहता हूं कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल पर बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल उस कम्प्रिहेन्सिव लेजिस्लेशन को न तो एनटिसिपेट करता है और न उसकी रूपरेखा को ही हमारे सामने रखता है जिसको सदन के सामने आना चाहिये था। देश के आजाद होने के बाद और हमारा कांस्टीट्यूशन पास होने के बाद हजारों हमारे कानूनों की ऐसी धारायें हैं जो बगैर कैन्सिल हुये ही ऐसी धारायें हैं जो हमारे कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध हैं और वह स्वयं ही कानूनन नाजायज हो चुकी हैं। किसी सदन ने उनको रिपील नहीं किया है बल्कि कांस्टीट्यूशन की धाराओं ने उन्हें स्वयं ही रिपील कर दिया। "दे शुड बी ट्रीटेड एज केन्सिल्ड"। इस कानून में जो पेश किया गया है उसमें जितनी बातें हैं, उन में जो चीज मैं चाहता हूं वह नहीं है और मैं उससे नहीं समझता और वह चीज मैं नहीं देखता कि जिससे मैं समझूं कि इससे वहां विद्वान्, पंडित, इंजीनियर्स या देश के भावी निर्माता उत्पन्न होंगे और यह बिल उनको पैदा करने में समर्थ होगा। मैं तो चाहता था कि यह यूनिवर्सिटीज जो शहरों में बसी हैं और बसाई जा रही हैं उन को गांवों की तरफ ले जाया जाता और दूर देहातों की तरफ जाकर यूनिवर्सिटीज का स्थान चुना जाता जहां जाकर यहां के विद्यार्थियों को देहातों में रहने वाली ८५ प्रतिशत जनता से सम्पर्क स्थापित करने का मौका मिलता और उनको मौका मिलता कि वह किसानों की समस्याओं को, उनके रीति-रिवाज को, उनके कस्टम्स को समझते। परन्तु खेद है कि आज हमारे स्नातक यूनिवर्सिटीज में बैठकर बड़े नकशे बनाते हैं लेकिन अपने देश की वास्तविक समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको एक नमूना बता दूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मार्टगेज की परिभाषा तक मालूम नहीं कि मार्टगेज किसे कहते हैं। गढ़वाल में एक बार मार्टगेज को बताया गया कि "इट इज वन थर्ड रेन्ट इन काइन्ड इन एडवान्स" यह योग्यता का परिचय है। इस तरह की गलतियां हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोग करते हैं और वह अपने देश के किसानों की और गरीबों की पेचीदा समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। इस तरह की एजूकेशन से वह लोग मुल्क को कोई कन्ट्रेब्यूशन नहीं दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार

की हो और उस का एक ऐसा स्टैन्डर्ड हो कि जब विद्यार्थी वहां से निकलें तो वह देश के लिये उपकारी हों, हमें सैकड़ों और लाखों की जरूरत नहीं है वह ४ ही निकलें लेकिन वह ऐसे हों कि जो भारतवर्ष के वातावरण में रिवोल्यूशन पैदा कर दें, ऐसे मेडिकल ग्रेजुएट निकलें कि जो अगर एक तपेदिक की ही दवा का एक नुस्खा निकाल दें तो सारे संसार का धन यहां आकर भारतवर्ष के कदमों में झुक जाय। परन्तु खेद है कि जहां हम मेडिकल साइंस के गीत गाते हैं वहां एक भी विद्यार्थी उसको सिन्सियरिली आज परसू करने के लिये तैयार नहीं है। इस बिल के द्वारा हम ऐट दि कास्ट आफ स्टेट गवर्नमेंट ऐसे विद्यार्थियों की सहायता करें जो ऐसे एजूकेशन को ऐडवांस करना चाहते हों और इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो नेशन को देने के लिये तैयार हों जिससे नेशन का सम्मान सारे संसार में ऊंचा हो। मैं समझता हूं कि हजारों और लाखों विद्यार्थियों के मुकाबिले में वह एक विद्यार्थी अच्छा होगा। उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा क्योंकि वह भारतवर्ष के स्टेटस को दुनियां की नजरों में ऊंचा उठा सकेगा, वह भारतवर्ष के लिये आशीर्वाद पैदा हुआ है लेकिन खेद है कि आज वह मेंटल परसूट्स नहीं है। जो पढ़े लिखे भी हैं वे पालिटिक्स में घुसते हैं, पावर के चक्कर में रहते हैं। उन्हें मुल्क के लोगों को समझने पढ़ने और मुल्क की प्राब्लम्स को हल करने के लिये टाइम नहीं है, वह तो पावर कैपचर करने के लिये मैड हैं और जो पावर को कैप्चर कर लेते हैं वे उसको दबाकर बैठे रहना चाहते हैं, आज यह सारा दृश्य हमारे सामने है। मुझे खेद है कि हम यहां आकर बड़ी-बड़ी आइडियलिस्टिक स्पीचेज देते हैं लेकिन इससे मुल्क एडवान्स नहीं हो सकता है। कोई भी मुल्क अच्छे-अच्छे भाषणों से तरक्की नहीं कर सकता है। बड़े-बड़े नेताओं के अच्छे-अच्छे भाषणों से दो पाट जुड़कर नदी पर पुल नहीं बन सकते। नेहरू जी के भाषणों से और बड़े-बड़े नेताओं के भाषणों से जंगल कटकर खुद ब खुद खेत नहीं बन सकते, उनसे गेहूं, चावल और बढ़िया-बढ़िया अनाजों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वह मेहनत से हो सकती है इसलिये यह आवश्यक है कि जब हम उनको अपने विद्यार्थियों को शिक्षा-दीक्षा देते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिये ट्रेनिंग कालेजेज हैं, टेक्नीकल कालेजेज हैं, ऐग्रीकल्चरल कालेजेज हैं, इंजीनियरिंग कालेजेज हैं तब उनको चाहिये कि बड़े-बड़े नहरों का, बड़े-बड़े पुलों का निर्माण करने के लिये अच्छे से अच्छे आदमियों की उनसे उत्पत्ति हो। कितने खेद की बात है कि आज तक हमारे देहातों में पुराने जमाने की चक्की चलती है। क्या किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने उस चक्की को इम्प्रूव करने के लिये कोई प्रयास किया है। मैं कहता हूं कि आज के डी०एस-सी० और एम० एस-सी० की क्या हालत है जब कोई मोटर खराब हो जाता है तो क्लीनर उसके नीचे घुस जाता है और उसको ठीक करता है लेकिन हमारे एम०एस-सी० साहब अपने पैंट में हाथ डाले खड़े रहते हैं। इस शिक्षा से कोई फायदा नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है कि जब तक आपका भाषण चलता रहे तब तक यह सदन बैठा रहे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को अधिक बोलना नहीं है।

श्री चन्द्र सिंह रावत—मुझे इस पर बहुत अधिक कहना है। आज मुझे इस सदन में मुश्किल से मौका मिला है जबकि मैं अपने दबे हुये विचारों को और दबी हुयी भावनाओं को इस सदन के सामने उपस्थित कर सकता हूं और मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की बेहबूदी के लिये और इस प्रदेश की ६ करोड़ जनता के इंटेरेस्ट में मैं उचित समझता हूं कि मुझे पूरा पूरा मौका मिलना चाहिये कि मैं अपने विचारों को सदन में रख दूं। मैं विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज वह कहते हैं कि इस प्रकार के रिफार्म्स नहीं होने चाहिये और ऐसे रिफार्म्स सदन में न लायें जायं तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन से रिफार्म्स है, वह कौन सी पिक्चर है जो उन्होंने इस सदन के सामने पेश की है। एक बात कही गयी है कि यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हों वह गवर्नर न हों वह बाहर के एक कोई बहुत बड़े विद्वान्, बहुत अच्छे स्टेटस के आदमी हों। इस प्रकार के चांसलर की व्यवस्था इस कानून के अन्दर होनी चाहिये।

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

अगर हमारे मुल्क के विकास का स्तर बहुत ऊंचा होता और मुल्क आगे बढ़ गया होता, मैं कहता हूं कि उस समय मैं भी उनके साथ ही अपनी राय रखता, उनकी ही राय का मैं भी होता और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून की व्यवस्था अगर इस बिल के अन्दर की गयी होती तो हमारे मुल्क की शिक्षा की व्यवस्था को सफल बनाने में वह बहुत हद तक सफल हुयी होती, परन्तु आज जिस स्टेज पर हमारा देश है, आज विचारों की धारायें जिस प्रकार से हमारे दिमागों के अन्दर टकरा रही हैं करेन्ट्स क्रास करेन्ट्स और पालिटिक्स जिस प्रकार नौजवानों के दिमाग को स्वीप आफ कर रही है उस समय इस बात की जरूरत है कि हमारा चांसलर वह व्यक्ति हो जो कि स्टेट के अन्दर आल पावरफुल हो। हमारे देश के निर्माताओं का अगर कोई बड़ा भारी कांट्रीब्यूशन है तो वह यह कि उन्होंने मुल्क को बरबाद होने से बचाया, मुल्क के अन्दर तबाही आने से उसको बचाया है और जितने भी जीनियस, पोटेंशियल्स और फरदर डेवलपमेंटस हुये उनको फार फरदर डेवलपमेंट यूटिलाइज करने में लगाया है। अगर इस कंट्री के अन्दर कोई ब्लडी रेवोल्यूशन हुआ होता.....

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य को कुछ ज्यादा समय की आवश्यकता है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—तो आज हम उठ रहे हैं। आपका भाषण जारी रहेगा और हम २० तारीख, सोमवार को ११ बजे यहां फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;

१७ दिसम्बर, १९५४।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर)

आजमगढ़ जिले में शस्त्र विक्रेताओं की सूची

१—सर्व श्री सेराज अहमद वकील अहमद, आजमगढ़ ।

२—शिबली स्टोर, (मालिक अब्दुल वहीद) आजमगढ़ ।

३—श्री इन्द्रासन सिंह, ग्राम ढडोरा, थाना रौनापार, आजमगढ़ ।

४—श्री ओम् प्रकाश पुत्र धरम दत्त गुप्त, मुहल्ला सीताराम, आजमगढ़ ।

५—श्री मोहन लाल खन्ना, मऊ, आजमगढ़ ।

६—रमन आर्म्स स्टोर, मऊ, आजमगढ़ ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर)

No. A(2)-7058/XV—306-1950

FROM

SRI B. N. JHA, B. ED. (EDIN.),
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

(1) THE VICE-CHANCELLOR, ALLAHABAD UNIVERSITY, ALLAHABAD,
(2) THE VICE-CHANCELLOR, LUCKNOW UNIVERISITY, LUCKNOW,
(3) THE VICE-CHANCELLOR, BANARAS HINDU UNIVERSITY, BANARAS,
(4) THE VICE-CHANCELLOR, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH
AND
(5) THE VICE-CHANCELLOR, AGRA UNIVERSITY, AGRA.

Dated Lucknow, November 24, 1951.

Subject:—**Reconstitution of the Universities Grants Committee, Uttar Pradesh**

Education (A)

SIR,

I AM directed to address you on the above subject, and to say that in G. O. no. A(2)-5538/XV—306-1950, dated August 28, 1950, the term of the University Grants Committee was extended for a period of nine months beyond September 14, 1950 i. e. up to June 14, 1951. The Governor has now been pleased to reconstitute the Committee for a period of three years.

2. The constitution of the Committee will now be as follows :

(1) Chairman	Dr. Sita Ram, M.A., LL.B., D.LIT, Champa, Meerut.
(2) to (7) Six educationist nominated by Government —	(2) Dr. R. S. Tripathi, Banaras Hindu University, Banaras.
Two representing Arts. ..	(3) Dr. Ishwari Prasad, Allahabad University. Allahabad (now retired.)
Two representing Science. ..	(4) Dr. P. S. Gill, D.SC., Aligarh Muslim University, Aligarh.
	(5) Dr. Y. Bharadwaja D.SC., Head of the Department of Botany , Banaras Hindu University.
One representing Law ..	(6) Dr. R. U. Singh, M.A., LL.B., S.J.D., Lucknow Univerisity, Lucknow.
One representing Commerce. ..	(7) Sri K. P. Bhatnagar, M.A., Principal, D. A. V. College, Kanpur.
(8) One person with practical experience of financial administration nominated by Government	(8) Sri Rang Bihari Lal, (Retired Accountant General, U. P.), Usha Farm, Mailani, Kheri.

(9) to (11) Three members of the U.P. Legislative Assembly chosen by election.

(12) One member of the U. P. Legislative Council chosen by election.
(Sri Parmanand, M.A., a retired Officer shall act as Secretary of the Commitee) .

(9) Shri Gopi Nath Dixit, M.L.A.,
(10) Sri Cheda Lal Gupta, M. L. A and
(11) Sri Wasi Naqri M. L. A.
(12) Shri Deep Chandra, M. L. C. of the U. P. E. S., Senior scale,

3. The Committee will advise Government regarding the provision of funds for Universities and Degree Colleges from Public revenues and its functions will be :

(i) to advise Government on the system of making grants-in-aid to the Universities and the Degree Colleges in the U. P. ;

(ii) to forward to Government proposals for new expenditure received from the Universities and the Degree Colleges in particular relating to the schemes for the development of research and specialised knowledge with their recommendation.

In examining proposals and schemes from the universities for the improvement of their services, the Committee will have regard to the need of co-ordination of research and learning between one University and another.

(iii) to propose to Government new schemes of development , expansion and research in the Universities after full consultation with the University concerned with the object of ensuring that the Universities are enabled thereby to further the aims and objects of higher education. ;

(iv) to evaluate assets in the possession of the Universities and to report on their upkeep ;..

(v) to pay periodical visits to the Universities and Degree Colleges to form their judgement regarding the proposals and plans submitted by them for additional expenditure after studying their needs on the spot and in order to ascertain first hand for themselves the progress which is being made with the schemes of research and plans of development for which money has been allotted by Government to the Universities or Degree Colleges on the advice of the Committee.

4. The Chiarman and non-official members of the Committee shall hold office for a period of three years with effect from the date of issue of these orders. Members representing the legislature shall cease to hold office on their ceasing to be members of the legislature. The term of office of the two members whom the Committee may co-opt shall terminate on the same date as that of other members. All casual vacancies among members(1) to (11) and co-opted members of the Committee shall be filled by Government or the body who appointed, elected or co-opted the members whose place has become vacant, and the person so appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of the Committee for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.

5. The Committee shall hold at least three meetings in the year. The Chairman, however, call more than three meetings for special reasons justifying such meetings if he wishes to call a meeting himself, or on the

requisition of not less than one-third of the members of the Committee. Meetings of the Committee may be held either at Allahabad or Lucknow or with Government's special approval in any of the other towns of the Uttar Pradesh.

6. The Chairman and non-official members of the Committee will be allowed travelling and daily allowances, at rates ordinarily admissible to Government officers of the first classfor attending meetings of the Committee, and for visiting universities and Degree colleges from and back to their usual places of residence. If concessional fares are allowed by the railway for the return journey, travelling allowance for railway journey will be limited to the actual cost of the return railway fare *plus* one half of the ordinary fare of the first class for each journey. The Secretary of the Committee will countersign the travelling allowance bills of the non-official members.

7. I am to add that as stated in paragraph 3 of G. O. no C-250/XV—432-1945, dated September 9, 1947, regarding the first constitution of the Committee, the Governor has, by the appointment of this Committee, no intention whatsoever of interfering with the internal autonomy of the universities which will, as it must, remain unaffected by the setting up of this Committee. The power to visit and inspect universities and degree colleges is being given to the Committee for the obvious reason that it may be able to obtain first hand information by discussing matters in detail with the authorities and professors concerned, and seeing the existing equipment so that it may be able to deal with matters expeditiously and thoroughly.

Yours faithfully,
B. N. JHA,
Secretary.

FINANCE DEPARTMENT

No.A(2)-7058(1)XV—306-1950

COPY forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh for information and necessary action.

By order,
R. C. CHATTERJI,
Assistant Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

EDUCATION DEPARTMENT

No. A(2)-7058(2)XV—306-1950

(1) COPY forwarded to the Chairman and members of the Committee.

(2) COPY with ten spare copies also forwarded to the Secretary, University Grants Committee, Uttar Pradesh, 24-A, Chatham Lines, Allahabad for information and necessary action.

(3) COPY, with 20 spare copies also forwarded to the Chairman, Scientific Research Committee, Uttar Pradesh, 24-A, Chatham Lines, Allahabad, for information.

(4) COPY also forwarded to the Director of Education, Uttar Pradesh, for information.

By order,
B. N. JHA,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

No. A(2)-8220/XV—306-50.

FROM

SRI A. N. SAPRU, I. C. S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

The Vice-Chancellor,
(1) ALLAHABAD UNIVERSITY, ALLAHABAD.
(2) LUCKNOW UNIVERSITY, LUCKNOW.
(3) BANARAS HINDU UNIVERSITY, BANARAS.
(4) ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH.
(5) AGRA UNIVERSITY, AGRA.

EDUCATION A (2) DEPARTMENT. *Dated Lucknow, December* 29, 1951.

Subject:—**Reconstitution of The University Grants Committee, U. P.**

SIR,

I AM directed to invite your attention to G. O. no. A(2)-7058/XV—306-1950, dated November 24, 1951, on the subject noted above and to say that the Governor has been pleased to order that the following amendments be made in that Government Order :

(1) *Substitute the following as paragraph 5 for the existing paragraph 5 of the G. O:—*

"5. The Committee shall hold at least three meetings in the year. The Chairman may, however, call more than three meetings for special reasons justifying such meetings if he wishes to call a meeting himself, or on the requisition of not less than one-third of the members of the Committee. The Committee shall ordinarily meet at Allahabad or Lucknow but the Chairman may, if he so thinks, direct that it shall meet at some other place in Uttar Pradesh."

(2) *For*

"Dr. Y. Bharadwaj, D. SC., Head of the Department of Botany, Banaras Hindu University" appearing aganist item (6) in paragraph 2 of the G. O.

Substitute

"Dr. Yajnavalkya Bharadwaja, M. SC., PH.D., (London) F.L.S., F.N.I., University Professor of Botany and Head of the Department, Banaras Hindu University".

(3) *For*

"Mailai" appearing as the penultimate word aganist item (7) in paragraph 2 of the G. O. read "Malani".

Yours faithfully,
A. N. SAPRU,
Secretary.

Finance Department

No. A (2)-8220(I)-X V—306-1950.

COPY forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad, for information in continuation of G. O. no. A(2)-7058(1)-XV—306-50, dated November 24, 1951.

By order,
N. C. RAY,
Assistant Secretary.

Education A(2) Department.

No. A(2)-8220 (2)—XV—306—1950.

COPY forwarded to the —

(1) Chairman and members of the Committee.
(2) Secretary, University Grants Committee, Uttar Pradesh, 24-A, Chatham Lines, Allahabad.
(3) Secretary, Scientific Research Committee, Uttar Pradesh, Chatham Lines, Allahabad.
(4) Director of Education, Uttar Pradesh, Allahabad.

By order,
A. N. SAPRU,
Secretary to Government
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर)

सूची

उन जिलों का नाम जिनके चुने हुये ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा योजना क्रियान्वित है।

(अ) बालकों की अनिवार्य योजना

१—गोंडा
२—लखनऊ
३—बाराबंकी
४—कानपुर
५—मिर्जापुर
६—इलाहाबाद
७—बिजनौर
८—मथुरा
९—प्रतापगढ़
१०—मुरादाबाद
११—आगरा
१२—मेरठ
१३—सीतापुर
१४—मुजफ्फरनगर
१५—गोरखपुर
१६—बदायूं
१७—उन्नाव
१८—शाहजहांपुर
१९—हरदोई
२०—फतेहपुर
२१—इटावा
२२—गाजीपुर
२३—पौरी गढ़वाल
२४—सहारनपुर
२५—देवरिया
२६—बनारस

(ब) बालिकाओं की अनिवार्य योजना

१—इटावा
२—लखनऊ

विधान सभा